खण्ड-456, अंक-9
गुरुवार, 13 माघ, शक संवत् 1927
(2 फरवरी, 2006 ई0)

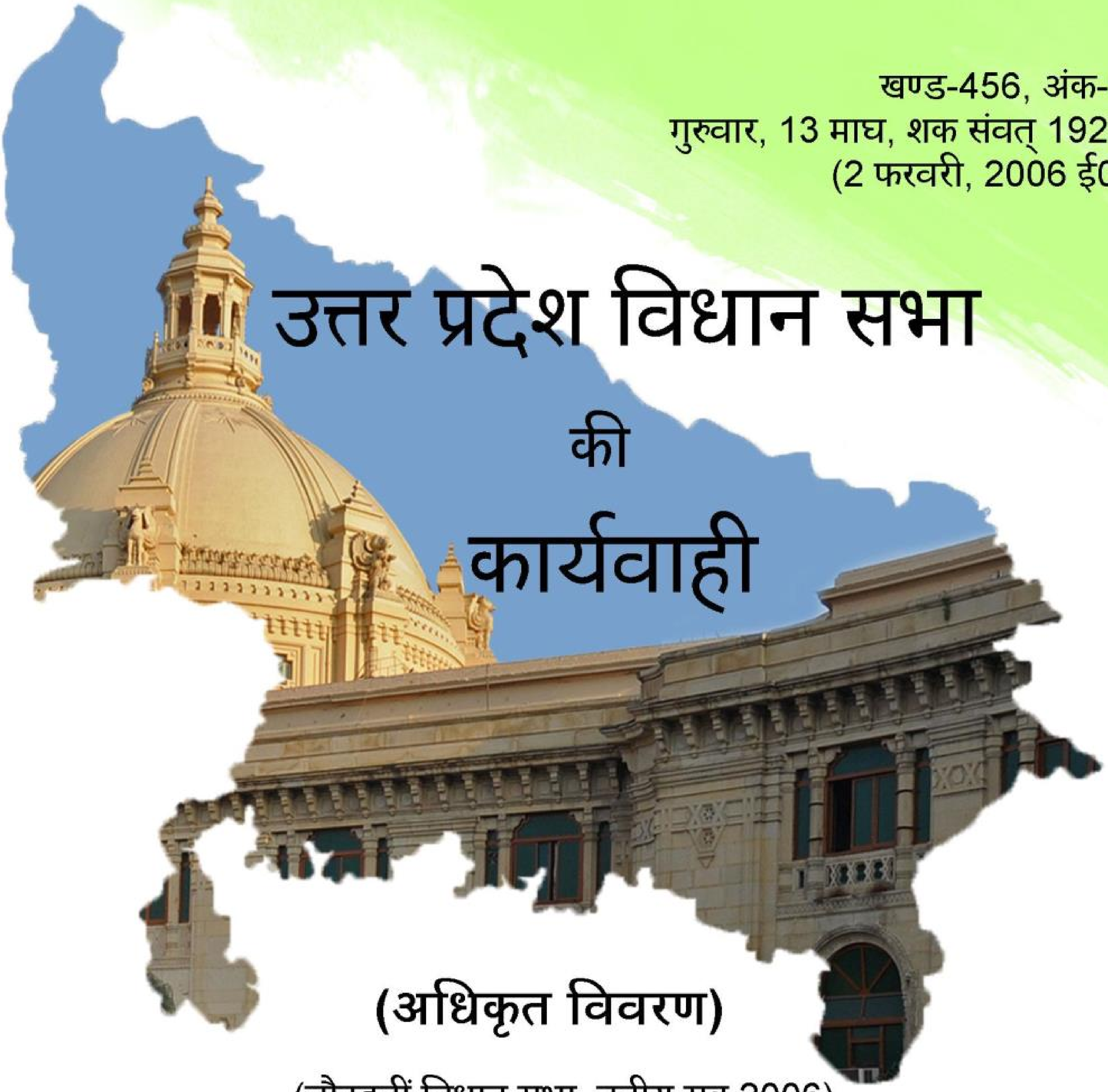

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 2006)

खण्ड 456 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2006

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य --------	च-झ
जनपद बलिया में बैंक डकैती विषयक नियम 311 की सूचना को सुने जाने की मांग ---	1
प्रश्नोत्तर ----------	1-54
विधान सभा के पूर्व सदस्य सर्वश्री अनीसुर्रहमान, लालसा, सूरजपाल सिंह रामेश्वर लाल जगन्नाथ राव, ब्रजमोहन लाल गुप्ता, हरि प्रसाद उर्फ धमड़ी, हरदेव सिंह तथा चौधरी नरेन्द्र सिंह के निधन पर शोकोद्गार ---------	54-57
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं ---------	57
लखनऊ में पेय जल संकट के समाधान हेतु शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि जल निगम को उपलब्ध कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना -------	57-58
लखनऊ स्थित सरकारी कालोनियों/आवासीय परिसरों के अनुरक्षण खण्डों में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार की जांच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना --------	58
जनपद कुशीनगर के नौरगिया क्षेत्रान्तर्गत चीनी मिल द्वारा गन्ना किसानों को भुगतान कोआपरेटिव बैंक शाखा खड्डा के माध्यम से कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना --------	59
जनपद फतेहपुर के खागा किशनपुर मार्ग पर ससुर खदेरी नदी पर बने जर्जर लोहे के पुल का पुनर्निमाण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ------	59
जनपद देवरिया की ग्राम सभा कुण्डौली की सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के आवंटी की जा रही अनियमितताओं की जांच कराकर कार्यवाही किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना -------	59-60
मेरठ महानगर की मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु फेमवायर डालने की योजना को स्वीकृत कर धन अवमुक्त करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ------	60
जनपद जौनपुर स्थित सई एवं गोमती नदियों के पानी का शुद्धीकरण कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना-------	60

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय	पृष्ठ-संख्या
अलीगढ़ के कोल क्षेत्रान्तर्गत ग्राम ईकरी नाले पर पुल बनवाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना---	61
जनपद जौनपुर के ग्राम जलालपुर में हुए नरसंहार के विषय में दिनांक 24 नवम्बर 2005 को नियम 51 ध्यानाकर्षण सूचना पर शासन द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न----	61
नियम 311 की सदन को दी गयी सूचना---	61
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (अट्ठारहवां संशोधन) नियमावली, 2005 (सदन के पटल पर रखी गयी)---	62
उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम लखनऊ की स्थिति पत्रक एवं लाभ-हानि का लेखा 2003-2004 (सदन के पटल पर रखा गया)---	62
उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम लखनऊ के 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखों पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)---	62
कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति सं0 क0नि0-2-2667/ग्यारह-9-(85)/2003-उत्तर प्रदेश अधि0-15 - 48 - नियम-आदेश- (43)-2005, दिनांक 07 सितम्बर, 2005 (सदन के पटल पर रखी गयी)---	62
कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या - क0 नि0 - 2-3239/ग्यारह-9-(74) 2004-उत्तर प्रदेश अधि015-48-आदेश-(47), दिनांक 28 अक्टूबर, 2005 (सदन के पटल पर रखी गयी)---	62-63
स्थानीय निधि लेखा परीक्षक विभाग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद का वार्षिक लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1998-1999 एवं 2000 (सदन के पटल पर रखा गया)---	63
उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की लोक सेवा समिति (2005-2006) का प्रथम प्रतिवेदन (खण्ड-1) (सदन के पटल पर रखा गया)---	63
उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2005-2006) का द्वितीय प्रतिवेदन (खण्ड-2) (सदन के पटल पर रखा गया)---	63

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2005-2006) का द्वितीय प्रतिवेदन (खण्ड-3) (सदन के पटल पर रखा गया)---	63-64
उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन संबंधी समिति का 103वां (एक सौ तीनवां) प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)---	64
उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन संबंधी समिति का 104वां (एक सौ चारवाँ) प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)---	64
उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन संबंधी समिति का 105वां (एक सौ पाँचवाँ) प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)---	64
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक-प्रस्ताव (स्वीकृत)---	65-66
प्रदेश के किसानों को डी0ए0पी0 उर्वरक खाद की आपूर्ति न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री प्रमोद कुमार आदि द्वारा दिनांक 24 नवम्बर, 2005 को नियम-56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर कृषि मंत्री का वक्तव्य---	66-68
उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) (संशोधन) विधेयक, 2006 (पुर:स्थापित)---	68-69
उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधयेक, 2006 (पुर:स्थापित)-	69
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2006 (पुर:स्थापित)---	69
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2006 (पुर:स्थापित)---	70
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2006 (पुर:स्थापित)---	70
उत्तर प्रदेश मोटरयान काराधान (संशोधन) विधेयक, 2006 (पुर:स्थापित)---	70-71
कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं---	71-92
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)---	92-93

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विधयेक, 2006 (पारित)---	93-99
उत्तर प्रदेश राज्य में कन्या भ्रूण हत्या पर अविलम्ब प्रभावी रोक लगाये जाने के संबंध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा दिनांक 8 अगस्त, 2005 को नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर जारी चर्चा का स्थगन ---	99
प्रदेश में पुलिस कर्मियों एवं वैतनिक होमगार्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भांति अवैतनिक होमगार्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवानिवृत्त आयु 60 वर्ष किये जाने के संबंध में श्री प्रमोद कुमार द्वारा दिनांक 8 अगस्त, 2005 को नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गए प्रस्ताव पर चर्चा (चर्चा समाप्त, प्रस्ताव वापस लिया गया)--	99-101
उत्तर प्रदेश के नगर निगमों द्वारा जनसुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु मार्ग दर्शन सिद्धान्त बनाये जाने के संबंध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन	101
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं---	101-102
लखनऊ निवासी स्व0 संतोष साहू, कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी की हत्या से जुड़े अभियुक्तों गिरफ्तार न किये जाने के संबंध में श्री प्रमोद कुमार आदि द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य---	103-104
जनपद खीरी स्थित युवराज दत्त महाविद्यालय के बी0एस0सी0 एवं एम0एस0सी0 के छात्रों में परीक्षा फार्म न भरवाये जाने के संबंध में डा0 कौशल किशोर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य---	104-106
जनपद संतकबीर नगर के नगर पंचायत हरिहरपुर बार्ड नं0 1 (सवापार) में श्री गोपी कृष्ण द्विवेदी, सेवानिवृत्त उप सचिव, विधान सभा की जमीन पर अवैध कब्जा कर हमले के प्रयास में दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने के संबंध में श्री अलगू प्रसाद चौहान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य---	106-107
जनपद अलीगढ़ के कस्बा खैर में राजस्व अभिलेखों में जमींदारों के नाम दर्ज होने के संबंध में श्री प्रमोद कुमार गौड़ द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दीं गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य---	107-108
उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लि0 मुख्यालय, लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में श्री कोविद कुमार सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सहकारिता मंत्री का केवल वक्तव्य---	109-110

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय	पृष्ठ-संख्या
वक्तव्य के समय संबंधित मंत्रियों को सदन में उपस्थित रहने के निर्देश---	111
जनपद सहारनपुर मुजफ्फरनगर एवं बागपत स्थित उद्योगों द्वारा प्रदूषित पानी छोड़ने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री हुकुम सिंह द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पर्यावरण मंत्री का केवल वक्तव्य---	111-112
जनपद कुशीनगर स्थित खड्डा नगर पंचायत सुभाष चौक से मैसहा जाने वाले बाढ नियंत्रित बांध को गढ्ढा मुक्त कराये जाने के संबंध में डा0 पूर्णमासी देहाती द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य---	112-113
जनपद लखीमपुर खीरी में उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, शाखा बेहजम के प्रबन्धक द्वारा बड़े पैमाने पर फर्जी ऋण वितरण करके घोटाला करने के संबंध में श्री राजेश कुमार द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सहकारिता मंत्री का केवल वक्तव्य---	113-114
जनपद रायबरेली स्थित नलकूप संख्या 65, 70, 88 के विगत कई वर्षो से खराब होने के संबंध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य---	114
जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड पटेहरा, विधान सभा क्षेत्र मझावा के अन्तर्गत सिरसी बांध पर सिंचाई हेतु स्थापित पम्प को चालू कराने के संबंध में श्री रमेश चन्द्र बिन्द द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य--	115
नयी चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति, 2004 में संशोधन करते हुए नयी चीनी मिल को विषेष प्रोत्साहन/छूट दिये जाने के विषयक श्री हुकुम सिंह द्वारा नियम-49 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन ---	115-116
श्री भरत सिंह, सदस्य विधान सभा द्वारा श्री बी0 बी सिंह, उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की अवहेलना एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना तथा श्री धर्मपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा जिलाधिकारी, बरेली के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय---	116-118
नत्थियां--- --- ---	119-122

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गुरुवार, दिनांक 2 फरवरी, 2006

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य-239

अकीलुर्रहमान खां, श्री	मुरादाबाद
अजय कुमार, डा0	बागपत
अजीम भाई, श्री	फिरोजाबाद
अताउल रहमान, श्री	बरेली
अनवर महमूद, श्री	बलरामपुर
अनार सिंह दिवाकर, श्री	एटा
अनिल कुमार पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
अनिल कुमार मौर्य, श्री	मिर्जापुर
अनिल कुमार वर्मा, श्री	सीतापुर
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू, श्री	पीलीभीत
अनुग्रह नारायण उर्फ खोखा सिंह, श्री	देवरिया
अनूप कुमार पाण्डेय, श्री	बस्ती
अन्सार अहमद, श्री	इलाहाबाद
अमर सिंह परमार, श्री	आगरा
अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री	हाथरस
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अम्बेश कुमारी, श्रीमती	महोबा
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा0	जालौन
अरुण कुमारी, श्रीमती	कानपुर देहात
अरुणवीर सिंह, श्री	बहराइच
अलगू प्रसाद चौहान, श्री	सन्तकबीर नगर
अवधेश कुमार वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
अशोक बाजपेयी, डा0	हरदोई
अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
आर0के0 चौधरी, श्री	लखनऊ
आर0के0 सिंह पटेल, श्री	चित्रकूट
आलम बदी, श्री	आजमढ़
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
उज्जवल रमण सिंह, श्री	इलाहाबाद
उदयराज यादव, श्री	उन्नाव
उमा किरन, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
ओमकार सिंह यादव, श्री	बदायूं
ओमप्रकाश (ओ0पी0 सिंह), श्री	सुल्तानपुर
ओमप्रकाश पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
कपिल देव यादव, श्री	मऊ
कमलेश कुमार, श्री	गोरखपुर
कल्यान सिंह दोहरे, श्री	कन्नौज
काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब	रामपुर
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
किरण पाल कश्यप, श्री	मुजफ्फरनगर
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृष्णा पासवान, श्रीमती	फतेहपुर
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कौकब हमीद खां, श्री	बागपत
कौशल किशोर, श्री	लखनऊ
गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री	आगरा
गंगा बक्श सिंह, डा0	उन्नाव
गीता सिंह, श्रीमती	बलरामपुर
गुलाब देवी, श्रीमती	मुरादाबाद
घूराराम, श्री	बलिया
चन्द्र किशोर, श्री	महराजगंज
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	श्रावस्ती
चितरंजन स्वरूप, श्री	मुजफ्फरनगर
छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
छोटे लाल वर्मा, श्री	आगरा
जंग बहादुर, श्री	सुल्तानपुर
जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती
जगदीश नारायण (राय), श्री	जौनपुर

जगदीश मिश्र बाल्टी बाबा, श्री	कुशीनगर
जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जगराम सिंह, श्री	मुरादाबाद
जटाशंकर सिंह, श्री	बहराइच
जय प्रकाश यादव, श्री	गोरखपुर
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जियाउद्दीन रिजवी, श्री	बलिया
दद्दू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दिनेश सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
दिलीप कुमार वर्मा, श्री	बहराइच
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
देवेन्द्र प्रताप, श्री	एटा
देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	रायबरेली
द्वारिका प्रसाद, श्री	सन्त कबीर नगर
धर्मपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
नत्थू सिंह, श्री	उन्नाव
नन्दिता शुक्ला, श्रीमती	गोण्डा
नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री	सीतापुर
नारद राय, श्री	बलिया
परमजीत, श्री	मुजफ्फरनगर
परमेश्वर दयाल, श्री	सोनभद्र
पी0के0 राय, डा0	कुशीनगर
पीटर फैन्थम, श्री	नाम-निर्देशित
पीतम राम, श्री	पीलीभीत
पूर्णमासी देहाती, श्री	कुशीनगर
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद गौड़, श्री	अलीगढ़
प्रागी लाल अहिरवार, श्री	झांसी
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
फागू, श्री	मऊ
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बाबूराम एम0काम, श्री	जालौन
बाबू लाल चौधरी	आगरा
बाबू लाल कुशवाहा, श्री	बांदा
बीजू पटनायक, श्री	गाजीपुर
वृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज), श्री	झांसी
बृजेन्द्र प्रताप सिंह कुवंर, एडवोकेट	जालौन
बैजनाथ पासवान, श्री	मऊ
बैजनाथ दुबे, श्री	गोण्डा
ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवत शरन गंगवार, श्री	बरेली
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भूपेन्द्र सिंह, श्री	बदायूं
मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
मदन भैया, श्री	बागपत
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
मशहूद खां, श्री	बलरामपुर
मस्तराम चौ0, एडवोकेट	उन्नाव
महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफुले नगर
महेन्द्र सिंह चौधरी	अलीगढ़
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
मान पाल सिंह, श्री	एटा
माया प्रसाद, श्रीमती	खीरी
मिथिलेश कुमार, श्री	शाहजहांपुर
मुकुट बिहारी वर्मा, श्री	बहराइच
मुलायम सिंह यादव, श्री	बदायूं
मुंशीलाल गौतम, श्री	बुलन्दशहर
मूलचन्द्र चौहान, ठाकुर	बिजनौर
मोहन देव शंखवार, श्री	फिरोजाबाद
मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद इहशाद खां, श्री	लखनऊ
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
यशपाल चौधरी, श्री	खीरी
योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री	गोण्डा
रंगनाथ मिश्रा	सन्त रविदास नगर भदोही

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रणवीर राणा, श्री	मेरठ
रतन लाल अहिरवार, श्री	झांसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश चन्द्र बिन्द, डा0	मिर्जापुर
रविन्द्र पुण्डीर, प्रो0	मेरठ
राज किशोर सिंह, श्री	बस्ती
राजनाथ यादव, श्री	वाराणसी
राजपाल सिंह सैनी, श्री	मुज्फ्फरनगर
राजरानी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती	बाराबंकी
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री	लखनऊ
राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री	एटा
राजेन्द्र सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0	गोरखपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राम इकबाल सिंह, श्री	बलिया
राम करन आर्य, श्री	बस्ती
राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
राम कृष्ण, श्री	सीतापुर
राम चन्द्र यादव, श्री	फैजाबाद
रामजी शुक्ला, श्री	औरैया
राम नरेश यादव, श्री	आजमगढ़
रामनाथ, श्री	प्रतापगढ़
रामपाल यादव, श्री	सीतापुर
राम पाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री	कन्नौज
रामबाबू हरित, डा0	आगरा
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
राम मगन, श्री	बाराबंकी
राम लाल अकेला, श्री	रायबरेली
रामवीर सिंह, श्री	फिरोजाबाद
राम शंकर पाल, श्री	उन्नाव
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
रामेश्वर सिंह यादव, श्री	एटा
रिजवान अहमद खां, श्री	ज्योतिबा फूलेनगर

लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लालजी वर्मा, श्री	अम्बेडकर नगर
बकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
विजमा यादव, श्रीमती	इलाहाबाद
विजय कुमार मिश्रा, श्री	सन्त रविदासनगर
विजय बहादुर पाल, श्री	कन्नौज
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्या सागर गुप्ता, श्री	लखनऊ
विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री	गोण्डा
विनोद कुमार सिंह, श्री	जौनपुर
विनोद तिवारी, डा0	पीलीभीत
विमल कृष्ण अग्रवाल, श्री	बदायूं
विमला राकेश श्रीमती	सहारनपुर
विश्राम सिंह यादव, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना, श्री	शाहजहांपुर
वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
वीरेन्द्र सिंह, श्री	वाराणसी
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
शब्बीर, श्री	बहराइच
शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
शहजिल इस्लाम, श्री	बरेली
शाकिर अली, श्री	देवरिया
शारदा देवी, श्रीमती	गोरखपुर
शारदा नन्द अंचल, श्री	बलिया
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
शिव तपस्या पासवान, श्री	चन्दौली
शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिव प्रताप यादव, डा0	बलरामपुर
शिवाकान्त ओझा, प्रोफेसर	प्रतापगढ़
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज
शिशुपाल सिंह यादव, श्री	एटा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शैलेन्द्र यादव लल्लई, श्री	जौनपुर	सुन्दर लाल, श्री	उन्नाव
श्याम सिंह अहेरिया, श्री	मथुरा	सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
श्यामदेव राय चौधरी, श्री	वाराणसी	सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	जौनपुर
श्याम नारायन, श्री	महराजगंज	सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री	रायबरेली
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर	सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद	सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
संजय गर्ग, श्री	सहारनपुर	सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर	सुल्तान बेग, श्री	बरेली
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद	सुशील चौधरी, डा0	सहारनपुर
सत्तो देवी, श्रीमती	सहारनपुर	सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ	सोमारू राम सरोज, श्री	जौनपुर
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर	सोवरन सिंह, श्री	मैनपुरी
सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर	हरि ओम यादव, श्री	फिरोजाबाद
सद्ध गोपाल साहू, श्री	महोबा	हरि प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
सियाराम सागर, डा0	बरेली	हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
		होशियार सिंह, श्री	बुलन्दशहर

नोट :- (परिवार कल्याण मंत्री) श्री अहमद हसन,
(सिंचाई मंत्री) श्री मुन्ना सिंह चौहान,
(औद्योगिक विकास मंत्री) श्री ख्वाजा हलीम,
(प्रोटोकाल नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री) श्री बनवारी सिंह यादव,
(उच्च शिक्षा राज्य मंत्री) श्री रामआसरे विश्वकर्मा तथा
(बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री) श्री अजीत कुमार राजू भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जनपद बलिया में बैंक डकैती विषयक नियम 311 की सूचना को सुने जाने की मांग

श्री राम इकबाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, हमारे जिले में श्रीमन् 2 जनवरी को....

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जाइये, आपकी सूचना मैंने पढ़ी है ।

श्री राम इकबाल सिंह-

श्रीमन्, आप मेरी बात को सुन लें ।

श्री अध्यक्ष-

आप किस नियम के तहत बोल रहे हैं ?

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, नियम-311 के तहत ।

श्री अध्यक्ष-

जब अध्यक्ष उसे स्वीकार कर लेते हैं, तब बोला जाता है, आपकी 311 में स्वीकार नहीं हुयी है ।

(श्री राम इकबाल सिंह के पुन: आग्रह करने पर)

यह अच्छी बात नहीं है, आप प्रबुद्ध हैं । मुझे प्रश्न लेने दें, जब समय आयेगा तो आप कह लीजियेगा ।

श्री राम इकबाल सिंह-

श्रीमन्, हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे, इतना गंभीर विषय है । हमारे जिले में स्टेट बैंक में 10 लाख की लूट हुयी है ।

श्री अध्यक्ष-

आपकी सूचना आई है, लेकिन नियम-311 में स्वीकार नहीं हुयी है, जब जीरो आवर आयेगा, तब हम आपको मौका देगें, आप बैठिये ।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में खेलों एवं खिलाड़ियों को बढ़ावा देने की नीति

***1-डा0 अजय कुमार-**

क्या खेलकूद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खेलों एवं खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिये सरकार द्वारा कोई नयी खेल नीति बनाई जा रही है? यदि हां, तो वह नीति क्या है ? उक्त नीतियों के

उत्तर प्रदेश विधान सभा

तहत जनपद-बागपत में स्टेडियम निर्माण हेतु क्या भूमि उपलब्ध करा दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री (श्री आर0के0 चौधरी)-

जी हाँ ।

खेल नीति अन्तिम रूप देने के उपरान्त प्रकाशित कर दी जायेगी ।

जी हाँ, जनपद बागपत में स्पोर्टस स्टेडियम के निर्माण हेतु जिला प्रशासन द्वारा 7.76 एकड़ भूमि खेल विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ के नाम पुर्नग्रहण कर राजस्व अभिलेखों में दर्ज करा दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता ।

डा0 अजय कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, आज का स्वर्णिम दिन है, प्रदेश की क्रिकेट टीम रणजी ट्राफी जीतने जा रही है । यह संयोग की बात है कि यह पहला सवाल है जो खेल और खिलाड़ियों से इसकी शुरूआत हुई है । मैं कप्तान मोहम्मद कैफ, उत्तर प्रदेश क्रिकेट टीम को बधाई देना चाहूंगा कि आज वह रणजी ट्राफी फाइनल जीतने जा रही है, 72 वर्षो के बाद यह पहला अवसर होगा । ऐसे समय में जो खेल और खिलाड़ियों की नीति की बात की थी, उसका मंत्री जी ने जवाब दिया है कि खेल नीति अन्तिम रूप देने के उपरान्त प्रकाशित कर दी जायेगी, मैं समझता हूं कि यह उत्तर काफी दिन का होगा और खेल नीति बन चुकी होगी । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि खेल नीति क्या है, यह मेरा पहला सवाल है और दूसरा प्रश्न है कि जो जनपद बागपत में स्टेडियम बनाने के लिये 7.76 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गयी है, यह स्पोर्टस स्टेडियम कहां बनेगा और इसके लिये कितने धन की व्यवस्था की गयी है और इसका निर्माण कब से शुरू कर दिया जायेगा ?

श्री आर0के0 चौधरी-

मान्यवर, जहां तक उत्तर प्रदेश खेल नीति के प्रारूप का सवाल है, यह तैयार करा ली गयी है, इसे माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष अनुमोदन के लिये प्रस्ताव भेजा था, लेकिन इसमें यह खुशी की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिये एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है, जिससे इसे अन्तिम रूप दिया जा सके । इस समिति में जाने माने खिलाड़ियों की सलाह मांगी गयी है, इस समिति में पद्श्री मो0 शाहिद हाकी खिलाड़ी, वाराणसी, अर्जुन पुरस्कार विजेता रणवीर सिंह जी और लेफ्टीनेंट कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर हैं । इसमें दो सदस्यों ने अपनी संस्तुतियाँ दे दी हैं, परन्तु बड़ी कोशिशों के बाद लेफ्टीनेंट कर्नल राज्यबर्धन सिंह राठौर जी से सम्पर्क नहीं हो पाया, इसके लिये हमारे अधिकारी लगे हैं । इस बीच हमने अनुमोदन के लिये पुन: प्रस्ताव भेजा था और यह कहा था कि दो सदस्यों की रिपोर्ट पर ही इसे अन्तिम रूप दे दें, या फिर इसमें और समय दे दें । इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय बढ़ाने के लिये कहा है और 15 दिन का समय और दिया गया है, उम्मीद है कि 10 फरवरी तक लेफ्टीनेंट कर्नल राठौर की रिपोर्ट आ जायेगी, जिससे खेल नीति को अन्तिम रूप हम दे सकें । जहां तक बागपत में स्टेडियम का सवाल है, बागपत में 1997 में एक नये जिले का सृजन किया गया है और खेकड़ा में 7.76 एकड़ जमीन ले ली गयी है और खेल विभाग को स्थानान्तरित हो गयी है । इसका प्रोजेक्ट तैयार करा रहे हैं, वित्तीय संसाधनों को देखते हुये अतिशीघ्र स्टेडियम बना दिया जायेगा ।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने इस बात को तो स्वीकार किया है कि मौजूदा राज्य सरकार नयी खेल नीति बनाने पर विचार कर रही है और खेल नीति तैयार भी हो गयी है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी

के पास अनुमोदन हेतु भेजी गयी थी । लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनुमोदित न करके इसके लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन कर दिया है । मैं जानना चाहता हूं कि जो उच्चस्तरीय समिति गठित की गई है, उसमें क्या-क्या बिन्दु रखे गये हैं, टर्म्स ऑफ रिफरेंस क्या है ? खिलाड़ियों को और खेल को बढ़ावा देने और उन्हें सुविधाओं को देने के लिए कौन-कौन से बिन्दु तय किये गये हैं, जिन पर समिति को कार्य करने के लिये कहा गया है? और यह रिपोर्ट कब तक आ जाएगी ?

श्री आर0के0 चौधरी-

मान्यवर, खेल नीति का प्रारूप बहुत लम्बा-चौड़ा है ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी यदि कोई टर्म्स ऑफ रिफरेंस हों तो उन्हें बता दें ।

श्री आर0के0 चौधरी-

मान्यवर, मोटे तौर पर यह है कि खिलाड़ियों के हौसले बढ़ाते हुए हम कैसे उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा सकते हैं, इसी बिन्दु को ध्यान में रखा गया है ।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, खिलाड़ियों के हौसले बढ़ाने की बातें तो पिछली सरकार में भी थीं । मैं जानना चाहता हूं कि टर्म्स ऑफ रिफरेंस क्या है ? इनका कहना है कि खिलाड़ियों के हौसले कैसे बढ़ें, इस बिन्दु पर विचार करके अपनी रिपोर्ट देंगे ?

डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, जिन लोगों को नामित किया गया है, उनको किस आधार पर नामित किया गया है?

श्री अध्यक्ष-

बाजपेयी जी, अभी पाल साहब को पूछने दीजिए ।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, जब प्रश्न सदन में आ गया तो यह पूरे सदन की सम्पत्ति हो गई, माननीय बाजपेयी जी भी खेल से संबंधित हैं, इसलिए पूछ लिया । खिलाड़ियों के हौसले बढ़ाने के लिए जो टर्म्स ऑफ रिफरेंस हैं, वह क्या हैं ? खिलाड़ियों के हौसलें बढ़ा कर उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करने की नीति तो हमेशा की है, उस नीति में परिवर्तन करके जो नीति तैयार की गई है, उसमें क्या निर्देश हैं?

श्री आर0के0 चौधरी-

मान्यवर, मैंने पाल साहब को आश्वस्त कर दिया है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे प्रदेश के खिलाड़ी पहुंच सकें, उसके लिए हम उन्हें क्या-क्या सहूलियतें दें, क्या-क्या सुविधाएं दें, हमारे अन्दर क्या-क्या कमियाँ है उन्हें उजागर करें, इन सारे बिन्दुओं पर विचार करके रिपोर्ट देने के लिए हमने समिति के सदस्यों को लिखा है, उनमें से दो सदस्यों ने हमें रिपोर्ट दे दी है, एक सदस्य लेफ्टिनेंट

कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से सम्पर्क नहीं हो पाया है, हम उनसे भी संपर्क करके उनसे रिपोर्ट ले लेंगे।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, टर्म्स आफ रिफरेंस तो सदन में रखे जा सकते हैं ।

डॉ0 अजय कुमार -

मान्यवर, यह खेल नीति कब तक तैयार हो जाएगी, क्या उसकी कुछ समय-सीमा है ?

श्री अध्यक्ष-

इसका उत्तर तो आ चुका है, जैसे ही कार्य पूर्ण हो जाएगा, मंत्री जी बता देंगे ।

प्रदेश में गन्ने का घोषित मूल्य

***2-श्री जगदम्बिका पाल-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार द्वारा वर्तमान पेराई सत्र हेतु गन्ने का मूल्य घोषित कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

गन्ना मूल्य की दर अगैती प्रजाति के लिए रु0 120.00 प्रति कु0 सामान्य प्रजाति के लिए रु0 115.00 प्रति कु0 व अनुपयुक्त प्रजाति के लिए रु0 112.50 प्रति कुन्टल है ।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, यह प्रश्न जब मैंने किया था, उस समय राज्य सरकार द्वारा गन्ना मूल्य घोषित नहीं किया गया था । अब राज्य सरकार ने गन्ना मूल्य घोषित कर दिया है, इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं । लेकिन एक चीज मैं जानना चाहता हूं कि पेराई सत्र प्रारम्भ होने के कुछ दिनों के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष 2005-2006 में गन्ना मूल्य की घोषणा हुई है । किसी-किसी चीनी मिल में बीस दिन,पन्द्रह दिन और कहीं-कहीं पर एक महीने में किसानों के द्वारा जो गन्ने की आपूर्ति हुई है, उनका मूल्य दर्ज नहीं है । जिसके कारण उन पर्चियों के भुगतान में प्रदेश के कतिपय चीनी मिलों द्वारा जो वर्तमान राज्य सरकार द्वारा घोषित गन्ना मूल्य है उसका भुगतान नहीं हो रहा है। इसी सदन में राज्य सरकार ने यह भी कहा था कि हमने पिछले पेराई सत्र के गन्ना मूल्य का पाई-पाई का भुगतान कर दिया है । पिछले पेराई सत्र का लगभग 150 करोड़ रूपया और इससे पहले के दो वर्षो का अर्थात पिछले 3 वर्षो का गन्ना मूल्य बाकी है । इस गन्ना मूल्य को दिलाने के लिए राज्य सरकार इसी सदन में कह चुकी थी, इसके बावजूद पिछले 3 वर्षो का गन्ने मूल्य का भुगतान जिन मिलों ने नहीं किया है, क्या उनके खिलाफ आर0सी0 जारी करके राज्य सरकार कार्रवाई करेगी ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, पिछले सत्र वर्ष 2004-2005 में जो पाल साहब ने कहा करीब 12 रूपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बढ़ाया था और इस सत्र में करीब 8 रूपया प्रति क्विंटल की वृद्धि सरकार ने की है ।

वर्तमान सरकार किसानों की हितैषी है और गन्ना मूल्य भुगतान के संबंध में हर सम्भव प्रयास किया है और भुगतान भी करा दिया गया है । गन्ना किसानों का भुगतान हो भी चुका है । जो पाल साहब ने चिन्ता व्यक्त की है उसका हम परीक्षण करा लेंगे ।

डा0 अजय कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी पीड़ा यह है कि प्रदेश में 110 चीनी मिलें वर्तमान में कार्यरत हैं जिसमें 27 सहकारी क्षेत्र की हैं ।

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न से संबंधित नहीं है ।

डा0 अजय कुमार-

मान्यवर, 27 सहकारी और 22 निगम की मिलें हैं । पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिकतर चीनी मिलें राज्य सरकार द्वारा घोषित मूल्य 115 और 120 रूपया है, इसके अलावा निजी क्षेत्र की चीनी मिलें 13 रूपये से 15 रूपये प्रति क्विंटल इंसेंटिव के रूप में गन्ना किसानों को दे रही हैं । एक ही जिले की जो सहकारी क्षेत्र की मिल है और प्राइवेट सेक्टर की मिल है दोनों में अलग-अलग दाम किसानों को मिल रहा है । इससे विसंगति उत्पन्न हो गयी है और किसान आन्दोलित हैं और हमारी सहकारी चीनी मिल बंदी के कगार पर है । मैं माननीय मंत्री से से जानना चाहूंगा कि सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलें और निगम की चीनी मिलें, निजी क्षेत्र की चीनी मिलों के अनुरूप ही इंसेंटिव 13 से 15 रूपये प्रति क्विंटल देने पर विचार कर रही हैं ? इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि माननीय चौधरी अजित सिंह जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से दिल्ली में चर्चा भी की है और मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि यह इंसेंटिव कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न से संबंधित नहीं है । प्रश्न में गन्ना मूल्य से संबंधित है ।

डा0 अजय कुमार-

मान्यवर, यह गन्ना मूल्य से ही संबंधित है । निजी क्षेत्र की अधिकतर मिलें 13 से 15 रूपये प्रति क्विंटल इंसेंटिव या प्रोत्साहन राशि दे रही हैं । अगर सहकारी और निगम की मिलें निजी क्षेत्र की चीनी मिलों की अपेक्षा कम मूल्य देंगी तो इन मिलों को कम गन्ना आपूर्ति होगी जिससे इन चीनी मिलों को घाटा उठाना पड़ेगा और सहकारी और निगम की चीनी मिलों से संबंधित किसानों को आर्थिक नुकसान होगा ।

श्री जगदम्बिका पाल-

अध्यक्ष जी, अल्पसूचित प्रश्न था उसका आपने तारतम्य में परिवर्तन कर दिया है, यह आपका अधिकार है । अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर से आप इस बात से सहमत होंगे कि उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए गन्ना मूल्य सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है । अभी माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि गन्ना मूल्य में बढ़ोत्तरी की है । सप्लीमेंट्री में डा0 अजय कुमार ने या मैंने पूछा है तो यह प्रदेश के किसानों के हित की बात है ।

मान्यवर,सरकार द्वारा घोषित मूल्य किसानों को दी जाने वाली पर्चियों पर अंकित नहीं होता है। क्या सरकार निर्देशित करेगी कि वर्तमान पेराई सत्र में घोषित गन्ना मूल्य किसानों को दिया जाय । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज चीनी मिलों को ज्यादा लाभ हो रहा है क्योंकि चीनी के दाम बढ़े हैं । इसी तरह से गन्ने के उत्पादन की लागत बढ़ी है । आज निजी चीनी मिलें 130-135 रूपये क्विंटल का भाव दे रही हैं तो यह स्वाभाविक है कि निजी चीनी मिलें लाभ में हैं । तो क्या राज्य चीनी निगम की मिलों और संघ की चीनी मिलों द्वारा किसानों को कोई इंसेंटिव देने पर विचार किया जायगा । किसानों को चाहे नकद दिया जाय या एक कट्टा खाद ही दिया जाय, क्या सरकार किसानों को इंसेंटिव देने पर विचार करेगी ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, मैंने बताया था कि जो मूल्य निर्धारित किया गया है उससे अधिक किसानों को मिल रहा है, पूरे प्रदेश में मिल रहा है । जो बात आपने कही है, जिस संबंध में चिंता व्यक्त की है उस पर अभी कोई विचार नहीं है ।

प्रदेश में जैविक खाद, गोबर खाद और केचुआ खाद के प्रयोग को प्रोत्साहित करने पर विचार

***3-श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"-**

(अनुपस्थित) ।

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार कृषि कार्यो के लिये रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद, गोबर खाद और केचुआ खाद के प्रयोग को प्रोत्साहित करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो इसके लिये सरकार द्वारा क्या कोई योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (डा0 अशोक बाजपेयी)-

जी हाँ ।

जी हाँ ।

वर्ष 2003-2004 से मैनेजमेंट आफ एग्रीकल्चर के अन्तर्गत जैविक उर्वरकों (नैडप एवं वर्मी कम्पोस्ट) को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष योजना आरम्भ की गयी है । वर्ष 2005-2006 में उक्त योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 812 विकास खण्डों में योजना कार्यान्वित की जा रही है, जिसमें प्रत्येक विकास खण्ड से 8 ग्रामों का चयन किया गया और प्रत्येक चयनित ग्राम के 2 चयनित कृषकों के यहां जैविक उर्वरकों के प्रदर्शन आयोजित कराये जा रहे हैं । इन्हीं प्रदर्शनों के माध्यम से कृषकों में जैविक उर्वरकों के उत्पादन एवं प्रयोग में अभिरूचि पैदा की जायेगी जिसमें मृदा स्वास्थ्य में सुधार आयेगा साथ ही कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी ।

कम्पोस्ट खाद उत्पादन एवं हरी खाद आच्छादन हेतु वर्ष 2005-2006 में जनपदवार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जिसमें सम्पूर्ण प्रदेश के लिए 16,68,600 मी0टन कम्पोस्ट खाद उत्पादन एवं 1,72,000 है0 क्षेत्र को हरी खाद से आच्छादित कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में गांवों के विकास हेतु भूमि आरक्षित किये जाने की नीति

***4-प्रो0 रविन्द्र पुण्डीर-**

(अनुपस्थित)

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गांवों के विकास हेतु स्कूल, चिकित्सालय, क्रीड़ास्थल स्थापित किये जाने के लिये भूमि आरक्षित किये जाने की सरकार द्वारा कोई नीति बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 की धारा 8-क तथा उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी नियमावली, 1954 के नियम 24-क (2) के अन्तर्गत आबादी के प्रसार, अनुसूचित जाति/जनजाति तथा भूमिहीन व्यक्तियों के लिए आबादी की वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकता तथा सार्वजनिक प्रयोजनों जैसे स्कूल, चिकित्सालय, क्रीड़ास्थल आदि के लिए भूमि का आरक्षण किया जाता है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ की तहसील मलिहाबाद के ग्राम माधोंपुर में गाटा सं0-379 की भूमि पर अवैध निर्माण को हटवाने की मांग

***5-श्री मोहम्मद इरशाद खां-**

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम-माधौपुर तहसील-मलिहाबाद, जनपद-लखनऊ स्थित गाटा सं0 379 रकबा-0.025 हे0 पर सर्वेश व अखिलेश पुत्र श्री छोटेलाल, श्री छोटेलाल पुत्र श्री मेवालाल निवासी ग्राम-भुलभुलखेड़ा, तहसील मलिहाबाद ने अवैध निर्माण करके रास्ते को अवरूद्ध कर दिया है, जिससे आवागमन में काफी असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध निर्माण को हटायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हाँ ।

प्रश्नगत अवैध अतिक्रमण के संबंध में उप जिलाधिकारी मलिहाबाद के न्यायालय में वाद सं0 26/05 अन्तर्गत धारा 133 द0प्र0सं0, विचाराधीन है ।

न्यायालय के आदेश पारित होने के उपरान्त अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मोहम्मद इरशाद खां-

मान्यवर, यह इतना बड़ा प्रश्न नहीं है । माननीय मंत्री जी ने ऐसा जवाब दिया है जैसे मामला हाईकोर्ट या सुप्रीमकोर्ट में लंबित है । यह सिर्फ गांव से संबंधित रास्ते का प्रश्न है । सरकार ने शनीचर और मंगल के दिन थाना दिवस और तहसील दिवस की व्यवस्था की है । गांव के नाली और परनाले के झगड़ों को निस्तारित करने के लिये यह व्यवस्था की गयी है । यह 3-4 फुट के रास्ते का मामला है जिस पर अवैध निर्माण करके आना जाना रोक दिया गया है । यह मामला एक घंटे में हल किया जा

सकता है लेकिन इस मामले में जवाब दिया गया है कि एस0डी0एम0 के न्यायालय में वाद लंबित है । इस मामले में तत्काल लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार को भेजकर जांच कराकर एक घंटे में मामले को हल कराया जा सकता है । लेकिन माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि वाद एस0डी0एम0 के यहां लंबित है । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस मामले में कब तक अवैध कब्जा हटा दिया जायेगा ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने बिल्कुल ठीक बात कही कि यह मामला ऐसा नहीं है जिसमें बहुत समय लगे। मैं उनकी भावनाओं का आदर करते हुए उनको अवगत कराना चाहता हूं कि यह उत्तर जो मैंने पढ़ा है यह पहले छपकर आया था । इसमें वास्तविक स्थिति यह है कि जब मैंने इसकी समीक्षा की तो मैंने महसूस किया कि 133 की प्रोसीडिंग चलती रहेगी, यह सार्वजनिक रास्ता था और इसमें 122-बी के अंतर्गत कार्यवाही हो सकती है । इसमें मैंने निर्देशित किया और मैं अवगत कराना चाहता हूं कि कल ही उस मिट्टी को फिंकवा दिया गया है और रास्ता साफ करा दिया गया है । यह कार्यवाही हो चुकी है।

प्रदेश की सहकारी चीनी मिलों में मृतक आश्रितों की नियुक्ति की मांग

***6-श्री कौशल किशोर-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी चीनी मिलों में मृतक आश्रितों की नियुक्तियों पर रोक लगी हुई है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त रोक हटायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

सहकारी चीनी मिलों में मृतक आश्रित सेवा नियमावली 1974 के प्राविधान लागू नहीं हैं । सहकारी चीनी मिलें सहकारी संस्थायें हैं जो सहकारी समिति अधिनियम-1965 के अंतर्गत पंजीकृत हैं एवं इन पर शुगर वेजबोर्ड औद्योगिक विवाद अधिनियम, स्टैन्डिंग आर्डर तथा श्रम विभाग द्वारा जारी अधिसूचनायें लागू होती हैं ।

श्री कौशल किशोर-

अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न किया था क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी चीनी मिलों में मृतक आश्रितों की नियुक्तियों पर रोक लगी हुई है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त रोक हटाएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो, ? इसमें मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि सहकारी चीनी मिलों में मृतक आश्रित सेवा नियमावली 1974 के प्राविधान लागू नहीं है । सहकारी चीनी मिलें सहकारी संस्थाएं हैं जो सहकारी समिति अधिनियम-1965 के अंतर्गत पंजीकृत हैं एवं इन पर शुगर वेज बोर्ड औद्योगिक विवाद अधिनियम, स्टैन्डिंग आर्डर तथा श्रम विभाग जारी अधिसूचनाएं लागू होती है । यह हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं है । हमने तो प्रश्न पूछा कि मृतक आश्रित पर रोक लगी है ?

श्री अध्यक्ष-

जब इसका विधान ही नहीं है तो रोक लगने का प्रश्न नहीं उठता है । मंत्री जी ने सही जवाब दिया है।

श्री कौशल किशोर-

हमने यह भी प्रश्न किया है कि अगर इस तरह का नियम नहीं है तो इस तरह का नियम लागू करेंगे ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मान्यवर, वैसे तो आपने ही बता दिया है श्रम विभाग से संबंधित जो नियम हैं वह हमने लागू किए हैं । जो सदस्य ने पूछा है उस तरह का कोई विचार नहीं है । जब विचार होगा तब देख लिया जायेगा।

प्रदेश की सहकारी चीनी मिलों के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ के समान वेतनमान व सुविधाएं प्रदान करने की मांग

***7-डा0 विनोद तिवारी-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की सहकारी चीनी मिलों में मिल द्वारा नियुक्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों को उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ द्वारा नियुक्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों के समान वेतनमान व सुविधाएं प्रदान करने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

डा0 विनोद तिवारी-

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा सन् 1989 में तृतीय वेज बोर्ड की संस्तुतियाँ प्रदेश में लागू की गई और चीनी मिल कर्मचारियों को 1989 में इसका लाभ मिला । पूरे प्रदेश में पाँचवें वेतन आयोग की संस्तुतियाँ लागू की जा चुकी हैं मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि चीनी मिलों में भी पांचवें वेतन वेज बोर्ड की संस्तुतियों को अभी तक क्यों लागू नहीं किया गया ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जो औद्योगिक इकाइयां हैं इसमें फेडरेशन में जो कर्मचारी काम करते हैं उनकी नियुक्तियां अलग से होती हैं, उनका अलग कार्य क्षेत्र है अन्य औद्योगिक इकाइयों का अलग कार्य क्षेत्र है उनके अलग नियम हैं दोनों अलग अलग तरह से काम करते हैं उन्हीं के अनुसार नियुक्तियां होती है, फेडरेशन अलग नियुक्ति करता है,अलग काम लेता है, अन्य औद्योगिक इकाइयां अलग नियुक्ति करती हैं जो सदस्य ने कहा है इस तरह का कोई विचार नहीं है ।

डा0 विनोद तिवारी-

पाँचवे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की जा चुकी हैं । लेकिन चीनी मिलों में 1989 के तृतीय वेज बोर्ड की संस्तुतियाँ लागू हैं और अभी तक पाँचवे वेतन आयोग को लागू नहीं किया गया है इसका कारण मैं जानना चाहता हूँ दूसरे मैं जानना चाहता हूँ कि चीनी मिल फेडरेशन और सहकारी चीनी मिल

संघ से संबंधित चीनी मिलें एक ही जी0ओ0 से गवर्न होती हैं फेडरेशन के एम0डी0 द्वारा गवर्न होती हैं, मैं जानना चाहता हूं कि सहकारी संघ की चीनी मिल के चौकीदार का वेतन भी 10 हजार रूपये होता है जबकि अन्य चीनी मिलों के चौकीदार का वेतन तीन साढ़े तीन हजार रूपये से ज्यादा नहीं होता है ?

श्री अध्यक्ष-

अन्तिम भाग का उत्तर दे दें ।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

कर्मचारियों के वेतन एवं सुविधा के संबंध में कोई भी प्रकरण विचाराधीन नहीं है । न ही कोई प्रस्ताव है।

डा0 विनोद तिवारी-

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पॉचवें वेतन आयोग की संस्तुतियां लागू करेंगे या नहीं अगर नहीं लागू करेंगे तो जो सहकारी चीनी मिल संघ के कर्मचारियों को वेतन दिया जा रहा है उसके अनुसार उन मिल कर्मचारियों को वेतन देने पर विचार करेगी ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

अभी कोई विचार नहीं है ।

श्री जगदम्बिका पाल-

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी अगर इसी तरह का उत्तर देते रहेगें तो सदन में एक भी आश्वासन नहीं बनेगा । आप देख ही रहे हैं कि अभी तीन प्रश्नों के उत्तर जो माननीय मंत्री जी ने दिये उसमें यही उत्तर दिया कि अभी कोई विचार नहीं है । मतलब यह है कि सरकार कोई विचार करेगी ऐसा कोई उत्तर नहीं आ रहा है । यह प्रश्न तो कर्मचारियों के हित से जुड़ा हुआ है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रश्न करना चाहता हूं कि जो उत्तर प्रदेश सहकारी संघ है वह एक कोआपरेट बाड़ी है । जो सहकारी संघ की चीनी मिलें इसमें आती हैं जिनकी कोई कमाई नहीं केवल उसको खर्च करना है । कमाई करने के लिये वे चीनी मिले हैं जिसके अधिकारी कर्मचारी उसमें कार्यरत हैं जो खून पसीनें से बॉयलर टर्बाइन पर बैठते हैं तब 3 हजार से 5 हजार तक की पेराई होती है । राज्य के सहकारी संघ की और इन सहकारी चीनी मिलों के कर्मचारियों के वेतन में भिन्नता है । जो संघ के कर्मचारी बैठकर चिट्ठी लिखाई का कार्य करते हैं उनको तीन गुना ज्यादा वेतन दिया जा रहा है । मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यही सवाल है कि क्या इन विसंगति को दूर करने पर विचार करेंगे?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय पाल साहब ने जो चिन्ता व्यक्त की है । इनकी सारी बातों पर हम विचार कर लेंगे और परीक्षण भी करा लेंगे ।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई-

मान्यवर एक व्यवस्था का प्रश्न है । पाल साहब वरिष्ठ सदस्य हैं इन्होंने आश्वासन की तरफ

ध्यान आकृष्ट किया। 5 हजार 83 आश्वासन लम्बित हैं । इतने समय में तो आश्वासन देने वाला, आश्वासन लेने वाला और आश्वासन का विषय तीनों मर चुके हैं इसलिये इन आश्वासनों का फायदा क्या हुआ ?

(प्रश्न संख्या-8 पुकारा गया)

श्री जगदम्बिका पाल-

इस तरह से तो सदन की सार्थकता पर प्रश्नचिन्ह लग जायेगा । इनकी भावनाओं के अनुरूप आश्वासनों का निस्तारण जल्दी होना चाहिए । मान्यवर, हमारा कहना है कि इनको आश्वासन समिति का अध्यक्ष बना दीजिये तो कार्य की प्रगति होगी ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

आगरा मण्डल में आलू उत्पादक किसानों को प्रोत्साहित करने की कार्य योजना

***8-श्री देवकी नन्दन कोरी-**

(अनुपस्थित) ।

क्या खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार आगरा मण्डल में आलू उत्पादक किसानों को प्रोत्साहित करने के लिये कोई कार्ययोजना बना रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उद्यान मंत्री (श्री राज किशोर सिंह)-

जी हाँ ।

आगरा मण्डल में आलू उत्पादन को बढ़ावा दिये जाने हेतु मण्डल के आलू उत्पादक कृषकों को 7187 कुन्तल आधारीय आलू बीज वितरित किया गया है । मण्डल के आलू उत्पादक कृषकों को प्रोत्साहित किये जाने हेतु राज्य औद्यानिक मिशन के अन्तर्गत आलू बीज उत्पादन का कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

लखनऊ मण्डल लखनऊ के उप कृषि निदेशक (भू0सं0) द्वारा की गयी वित्तीय अनियमितता विषयक प्राप्त शिकायती पत्रों पर कार्यवाही

1-डा0 सुशील चौधरी-

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप कृषि निदेशक (भू0सं0) लखनऊ मण्डल, लखनऊ द्वारा की गई वित्तीय अनियमितता एवं भवन संबंधी प्रियदर्शनी शान्ति समिति, लखनऊ का शिकायती पत्र

नोट :- तारांकित प्रश्न संख्या-7 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दिनांक 21-2-05, 11-5-05, 18-6-05 व 17-8-05 एवं मा0 विधायक श्री आर0पी0एन0 सिंह द्वारा प्रेषित पत्र दि0 24-3-05 व 4-4-05 उन्हें प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 अशोक बाजपेयी-

जी हां । उप कृषि निदेशक (भू0सं0), लखनऊ मण्डल, लखनऊ द्वारा की गयी वित्तीय अनियमितता एवं भवन संबंधी प्रियदर्शनी शान्ति समिति के क्रमशः शिकायती पत्र दिनांक 21-2-05, 11-5-05, 18-06-05 एवं मा0 विधायक श्री आर0पी0एन0 सिंह का शिकायती पत्र दिनांक 4-4-05 प्राप्त हुए हैं, परन्तु प्रियदर्शनी शान्ति समिति का शिकायती पत्र दिनांक 17-10-05 एवं मा0 विधायक श्री आर0पी0एन0 सिंह का शिकायती पत्र दि0 24-3-05 प्राप्त नहीं हुआ है ।

उक्त शिकायती पत्रों दिनांकित 21-02-05, 11-05-05, 18-06-05 एवं 04-04-05 की जांच अपर कृषि निदेशक (सामान्य) को कृषि निदेशालय के पत्रांक-का0 लो0 शि0 प्र0-875/दिनांक 21-10-05 द्वारा सौंपी गयी है । जांचाख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

2-डा0 सुशील चौधरी-

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भ्रष्टाचार हटाओ देश बचाओ मंच, लखनऊ का उप कृषि निदेशक (भू0सं0), लखनऊ मण्डल, लखनऊ द्वारा किये गये भ्रष्टाचार एवं उत्पीड़न से संबंधित पत्र दिनांक 29-3-05 एवं पृष्ठांकित पत्र दिनांक 24-3-05 उन्हें प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो संदर्भित बिन्दुओं पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 अशोक बाजपेयी-

जी हाँ ।

प्रश्नगत शिकायती पत्रों में उल्लिखित शिकायतों की जांच संयुक्त कृषि निदेशक (राष्ट्रीय जलागम) द्वारा की गयी । जांच में कोई भी आरोप सिद्ध नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी के सिन्धौरा क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत की मांग

3-डा0 सुशील चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि वाराणसी जनपद के अन्तर्गत सिन्धौरा मार्ग क्षतिग्रस्त है, जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत वर्ष 2005-2006 में करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग में कुछ स्थानों पर पैच/पाट होल्स हो गये हैं । मार्ग पर आवागमन चालू है ।

जी हाँ ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र फूलपुर की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराने की मांग

4-श्री राम नरेश यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि वर्ष 2003 व 2004 तथा 2005 में विधान सभा क्षेत्र फूलपुर, जनपद-आजमगढ़ के अन्तर्गत प्रश्नकर्ता द्वारा क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत हेतु सड़कों की सूची प्राप्त हुई थी ? यदि हां, तो उनमें से कितनी सड़कों पर मरम्मत कार्य आरम्भ हुआ है और कितनी सड़कों का कार्य शेष है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त वर्षो में सड़कों की मरम्मत हेतु कितनी धनराशि अवमुक्त की गई है ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

वर्ष 2003 व 2004 में क्षतिग्रस्त सड़कों की कोई सूची प्राप्त नहीं हुई है । वर्ष 2005 में क्षतिग्रस्त सड़कों की एक सूची प्रश्नकर्ता से प्राप्त हुई है ।

वर्ष 2005 की 15 क्षतिग्रस्त सड़कों की सूची में से 3 सड़कों पर पैच/पाट होल्स मरम्मत का कार्य प्रगति पर है । शेष 12 सड़कों की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

वर्ष 2005 में क्षतिग्रस्त सड़कों की प्राप्त सूची के 15 सड़कों में से 3 सड़कों पर पेच मरम्मत/पाट होल्स मरम्मत हेतु कुल रू0 5.52 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई है ।

जनपद आजमगढ़ के फूलपुर विधान सभा क्षेत्र की सड़कों हेतु वर्ष 2002-2003 में मरम्मत, नवीनीकरण व विशेष मरम्मत हेतु रू0 71.26 लाख, वर्ष 2003-2004 में मरम्मत व विशेष मरम्मत हेतु रू0 8.90 लाख तथा वर्ष 2004-2005 में मरम्मत, विशेष मरम्मत व नवीनीकरण मद में रू0 90.22 लाख का आवंटन किया गया है ।

जनपद बलिया की तहसील बांसडीह एवं सिकन्दरपुर में अवैध खनन की जाँच

5-श्री जियाउद्दीन रिजवी-

क्या भूतत्व एवं खनिकर्म मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद की तहसील बांसडीह एवं सिकन्दरपुर में विगत एक वर्ष से बिना पट्टा प्राप्त किये हुए भू-माफियाओं द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है तथा रायल्टी जमा नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए रायल्टी फीस जमा करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रश्नांकित क्षेत्र को खनन पट्टा पर दिये जाने हेतु विज्ञप्ति जारी की गयी है । विज्ञप्ति जारी होने तक प्रश्नगत क्षेत्र रिक्त न रहे, इस हेतु राजस्व हित एवं अवैध खनन रोकने के लिए अल्प अवधि हेतु अनुज्ञा पत्र निर्गत किया गया । अनुज्ञा पत्र निर्गत किये जाने के साथ-साथ प्रश्नगत बालू क्षेत्र की स्थलीय जांच करायी गयी, जिसमें अवैध खनन पाया गया, जिसके फलस्वरूप अवैध खननकर्ता से रायल्टी की धनराशि तथा अर्थ दण्ड आरोपित कर वसूली की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बलिया के कतिपय ग्रामों में गत वर्ष सूखा राहत योजनान्तर्गत राहत की चेकों का वितरण

6-श्री जियाउद्दीन रिजवी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद में वर्ष 2004-2005 में सूखा राहत योजना के अन्तर्गत जनपद को कितनी धनराशि दी गई है ? क्या मा0 मंत्री जी को जानकारी है कि बांसडीह तहसील के मनियर टुकड़ा नं0-2, मानिकपुर, चतुरपुर गोडौली एवं सिकन्दरपुर तहसील के सिसोटार डुहा-बिहरा गोसाईपुर हरदीया ग्रामों के किसानों को सूखा राहत की चेकों का वितरण नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त ग्रामों के किसानों को सूखा राहत की चेकों का वितरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जनपद बलिया को वर्ष 2004-2005 में सूखा से प्रभावित कृषकों को कृषि निवेश अनुदान हेतु रू0 35,81,29,000/- की धनराशि आवंटित की गई थी ।

किसानों को सूखा राहत चेकों का वितरण किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा में रबी बुआई हेतु कृषकों को खाद वितरण

7-श्री बाबूलाल कुशवाहा

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि बांदा जनपद में वर्तमान में रबी बुआई हेतु खाद की कमी होने के कारण किसानों की रबी फसल की बुआई नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार कृषकों को खाद उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 अशोक बाजपेयी-

जी नहीं । जनपद बांदा में रबी की बुआई हेतु रासायनिक उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है । दिनांक 14 दिसम्बर, 2005 तक जनपद बांदा में विभिन्न रासायनिक उर्वरकों की लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्धता निम्नवत् रही है :-

(मात्रा मी0टन में)

उर्वरक का नाम	लक्ष्य	उपलब्धता
यूरिया	8469	8958
डी0ए0पी0	8355	6840
एन0पी0के0	833	717
एम0ओ0पी0	123	145
योग :	17780	16660

उक्त से स्पष्ट है कि जनपद बांदा में दिनांक 14 दिसम्बर, 2005 तक रासायनिक उर्वरकों के लक्ष्य के सापेक्ष 93 प्रतिशत से भी अधिक उपलब्धता रही है और जनपद में रबी की बुआई हेतु रासायनिक उर्वरकों की कोई कमी नहीं रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बांदा विधान सभा क्षेत्र हेतु बुन्देलखण्ड क्षेत्र विकास निधि राज्यांश के अन्तर्गत सम्पर्क मार्गो हेतु स्वीकृत धनराशि

8-श्री बाबूलाल कुशवाहा-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि बांदा जनपद के बांदा विधान सभा क्षेत्र हेतु बुन्देलखण्ड क्षेत्र विकास निधि राज्यांश 2002-2003 के अन्तर्गत विशेष सचिव नियोजन अनुभाग-5 के पत्रांक सं0-बु0 03/एम 790/2002/35-5-2003, दिनांक 6-2-2003 द्वारा भुखल घनसौल जनवारा, मदेहदू, करिंगा, मनीपुर रामैल पैगम्बरपुर जरर, चौसड़, नई दूनिया, डमनी गड़ांव, उपरेहडा-कोनी, धूरी अकोलहापुरवा, भांडी पुरवा, सम्पर्क मार्ग हेतु स्वीकृत 9 परियोजनाओं में से 8 परियोजनाओं पर आंशिक धनराशि स्वीकृत हुई थी और अवमुक्त धनराशि का उपयोग प्रमाण-पत्र शासन को प्रेषित किया जा चुका है ? यदि हां, तो उक्त स्वीकृत मार्गो के अधूरी कार्यो को पूर्ण कराने हेतु अवशेष धनराशि कब तक अवमुक्त कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद बांदा के विसंडा-ओरन क्षतिग्रस्त सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराने की मांग

9-श्री बाबूलाल कुशवाहा-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि बांदा जनपद में विसंडा-ओरन सम्पर्क मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है जिससे आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो सरकार उक्त सम्पर्क मार्ग विसंडा ओरन की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग कुछ लम्बाई के भाग में क्षतिग्रस्त है एवं यातायात बाधित नहीं है ।

उपलब्ध धनराशि से मार्ग के आंशिक भाग की मरम्मत करायी जा रही है । शेष मार्ग की विशेष मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद गोरखपुर के क्षेत्रीय क्रीड़ागंन में बैडमिन्टन कोर्ट के जीर्णोद्धार की जानकारी

10-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या खेलकूद मंत्री को जानकारी है कि गोरखपुर क्षेत्रीय क्रीड़ागंन में स्थित बैडमिंटन कोर्ट पूरी तरह जीर्णशीर्ण हो गया है ? यदि हां, तो क्या इसका जीर्णोद्धार कराया जायेगा ? खिलाड़ियों की अधिक संख्या को देखते हुए क्या गोरखपुर में एक नये बैडमिन्टन कोर्ट का निर्माण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आर0के0 चौधरी-

जी हाँ ।

जी हाँ ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ में गत वर्ष आई बाढ़ से हुई भारी क्षति की पूर्ति की मांग

11-श्रीमती विद्या चौधरी-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि माह अगस्त, 2005 में जनपद आजमगढ़ में आई बाढ़ के कारण जानमाल की भारी क्षति हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा किसानों को क्षतिपूर्ति व आर्थिक सहायता दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हाँ ।

भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार राहत सहायता दी गई है । क्षतिपूर्ति अनुमन्य नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर में किसानों को सूखा राहत चेकों का भुगतान कराये जाने की मांग

12-श्रीमती विद्या चौधरी-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र मेंहनगर के विभिन्न ग्रामों में किसानों को प्राप्त सूखा राहत की धनराशि के चेक का भुगतान नहीं हो पाया है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हाँ ।

जारी एकाउन्ट पेयी चेकों का, कुछ कृषकों द्वारा बैंक में खाता न खुलवाने के कारण भुगतान नहीं हो पाया है । निर्धारित अवधि में कृषकों द्वारा बैंक में खाता खोले जाने पर भुगतान सम्भव है ।

जनपद अम्बेडकर नगर की तहसील अकबरपुर के ग्राम पतौना में किये गये पट्टे

13-श्री प्रदीप जैन 'आदित्य'-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम-पतौना परगना व तहसील अकबरपुर जनपद-अम्बेडकर नगर में वर्ष 2000, 2001, 2002, 2003 में कुल कितने पट्टे किये गये ? इन पट्टों के विरुद्ध 31-10-05 तक कितने किसान दीवानी न्यायालय गये और स्थगन ले आये ? क्या मा0 मंत्री जी प्रश्नगत पट्टों की समीक्षा हेतु अधिकारियों की एक टीम बनाकर ग्रामीण में व्याप्त असन्तोष व क्षोभ समाप्त करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

ग्राम पतौना, परगना व तहसील अकबरपुर, अम्बेडकर नगर में वर्ष 2000, 2001 व 2003 में कोई आवंटन नहीं हुआ । वर्ष 2002 में कृषि के 45 तथा आवास के 50 पट्टे कुल 95 पट्टे किये गये हैं।

दीवानी न्यायालय में 09 व्यक्तियों द्वारा तीन वाद संस्थित किये गये । उक्त तीनों वादों में स्थगन आदेश पारित हुआ था । वाद संख्या-838/03 श्याम लाल बनाम मिम्मल में स्थगन आदेश प्रभावी नहीं है । शेष दो वादों में स्थगन अब भी प्रभावी है ।

उक्त आवंटन की समीक्षा हेतु नायब तहसीलदार कटेहरी के नामित करते हुए उनके नेतृत्व में एक टीम गठित की गयी, जिनकी जांच आख्यानुसार ग्राम पतौना, परगना व तहसील अकबरपुर, जनपद अम्बेडकर नगर के पट्टों के विषय में जनसामान्य में कोई असन्तोष व्याप्त नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी से कतिपय सम्पर्क मार्गो के नवीनीकरण की जानकारी

14-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ में पट्टी से रेडीगारापुर तथा मार्ग पट्टी, बंधवा, सलाहपुर का क्या नवीनीकरण कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्गो का नवीनीकरण नीति में निर्धारित चक्रानुसार वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के पुलों के निर्माण हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की मांग

15-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2005 के तीसरे गुरुवार के उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या-19 के उत्तर के संदर्भ में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र ख-3/322303 दिनांक 7-10-04 जो प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 को प्राप्त हुआ था जिसमें जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी से संबंधित शेष 4 पुलों के निर्माण हेतु वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराकर स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में था, पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हाँ ।

पत्र में उल्लिखित 06 सेतुओं में से क्रमांक-1 पर अंकित ढुई नाला सेतु निकट कठार राजा बाजार का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा क्रमांक-2 पर अंकित ढिढूई भाट पट्टी के मध्य पीली नदी पर निर्मित होने वाला लघु सेतु अरेला-भाट पट्टी महरूपुर मार्ग के अन्तर्गत है । मार्ग सहित सेतु की स्वीकृति शासनादेश दिनांक 27 जनवरी, 2003 द्वारा पूर्वांचल विकास निधि से प्रदान की जा चुकी है । पत्र में उल्लिखित शेष 04 सेतुओं के निर्माण की स्वीकृति सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत सम्भव नहीं हो पायी है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में धुई नाले पर पुल के स्थान पर वैकल्पिक प्रस्ताव

16-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2005 के तीसरे गुरुवार के उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या-20 के उत्तर के संदर्भ में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में स्वीकृत धुई नाले पर पुल के स्थान पर वैकल्पिक प्रस्ताव के रूप में सालहीपुर कंजास से डेलहा मार्ग की स्वीकृति कब तक निर्गत कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़ से कतिपय सूचनायें चाही गई हैं, जो अपेक्षित हैं ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद जालौन के वि0खं0 महेवा के ग्राम सरसई के स्व0 श्री रणजीत सिंह के आश्रितों की किसान दुर्घटना बीमा योजना का लाभ दिलाये जाने की मांग

17-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या राजस्व मंत्री अवगत हैं कि ग्राम सरसई, वि0 खं0 महेवा, जनपद-जालौन निवासी श्री रणजीत सिंह की मृत्यु कृषि कार्य करते समय दिनांक 6-11-04 को ट्रैक्टर पलटने से हो गई थी ? क्या मृतक के परिवार को किसान दुर्घटना बीमा योजना के अनुसार एक लाख रूपये की बीमित धनराशि दे दी गई है ? क्या इस संबंध में उप जिलाधिकारी,कालपी द्वारा पत्रांक 1171 दिनांक 13-1-05 जो जिलाधिकारी, जालौन को भेजा गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हाँ ।

जी नहीं ।

जी हाँ ।

प्रकरण को जिलाधिकारी, जालौन के पत्रांक-20/सात-भूलेख, दिनांक 01-02-05 द्वारा एरिया

हेड, आई0सी0आई0सी0आई0 लोमवार्ड जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी हजरतगंज, लखनऊ का भेजा गया था । चूंकि मृतक का नाम मृत्यु तिथि पर खतौनी में दर्ज नहीं था दावा मात्र वैनामे के आध पर बीमा कम्पनी को सम्प्रेषित किया गया था । इसलिए शासनादेश संख्या-1751/1-9-2004-962 एलसी/2004, दिनांक 20-08-2004 के प्राविधानों तथा शासन एंव बीमा कम्पनी के मध्य हुये अनुबन्ध की शर्तो के अनुकूल न होने के कारण बीमा कम्पनी द्वारा निरस्त कर दिया गया ।

हमीरपुर कालपी मार्ग स्टेट हाइवे के सुन्दरीकरण एवं चौड़ीकरण हेतु कार्यदायी संस्था को भुगतान की गयी धनराशि की जानकारी

18-डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हमीरपुर-कालपी मार्ग स्टेट हाइवे-91 के सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण के लिये कार्यदायी संस्था को दिनांक 1-11-05 तक कितनी धनराशि का भुगतान लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा चुका है और उसके सापेक्ष कुल कार्य का कितना प्रतिशत कार्य सम्पन्न करा दिया गया है ? क्या सरकार किये गये कार्य की गुणवत्ता की जांच सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रश्नगत कार्य की कार्यदायी संस्था लो0 नि0 वि0 ही है, जिसे दिनांक 01-11-2005 तक रू0 870.28 लाख की धनराशि उपलब्ध करा दी गई है । 40 प्रतिशत कार्य सम्पन्न हो चुका है ।

जी हाँ ।

जांच प्रचलित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखीमपुर खीरी के ग्राम मोतीपुर के सिंगाही-बेलरायां क्षतिग्रस्त मार्ग के मरम्मत की मांग

19-श्री आर0एस0कुशवाहा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी में सिंगाही-बेलरायां मार्ग पर ग्राम मोतीपुर के निकट लगभग 2 कि0मी0 मुख्य मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत कब तक करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मोतीपुर ग्राम के पास मार्ग आंशिक लम्बाई में क्षतिग्रस्त है ।

प्रश्नगत मार्ग की मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील-निघासन के कतिपय मार्ग पर सुहैली नदी पर निर्मित पुल का कार्य पूर्ण कराने की मांग

20-श्री आर0एस0 कुशवाहा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी की तहसील-निघासन के

सिंगाही-खेरीगढ़ मार्ग पर सुहैली नदी पर निर्मित पुल अधूरा है, जिससे आवागमन बाधित है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस अधूरे पुल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

सुहेली नदी पर कोई सेतु निर्मित अथवा अधूरा नहीं है बल्कि उसके समानान्तर गोला नदी पर सेतु निर्मित है । सुहेली नदी पर आवागमन नाव द्वारा चलाया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के कतिपय पुलों के अवशेष कार्य हेतु धनराशि अवमुक्त कराने की मांग

21-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2004 के प्रथम गुरुवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या-94 के उत्तर के संदर्भ में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अरैला भाट पट्टी महरूपुर व पीली नदी पर पुल हेतु तथा भीखमपुर तेलयानी लखनूडीह के अवशेष कार्य हेतु धनराशि कब तक अवमुक्त कर दी जायेगी और कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रश्न में उल्लिखित परियोजनाओं को पूर्ण कराये जाने हेतु अवशेष धनराशि को अवमुक्त किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के अनेकों मार्गो को गढ्ढा मुक्त कराये जाने की मांग

22-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के मार्ग सराय मघई दाउदपुर मार्ग, पट्टी बन्धवा, सल्लाहपुर, कलवा-इब्राहिमपुर, सारडीह रामगंज, सैफाबाद धनसार नचरौला, पट्टी राजा बाजार मार्ग, कोहडौर, कन्हई मार्ग, मंगरौरा कन्हई गगेहरी नरायनपुर मार्ग, कान्धरपुर-सराय शंकर मार्ग, सदहा गंधियावा-महादेव नगर, मौलनापुरा सहित अन्य सभी मार्गो को गड्ढा मुक्त कराने एवं पटरी को मानक के अनुरूप बनाये जाने हेतु आदेश देगें ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

पट्टी-बन्धवा मार्ग तथा पट्टी राजा बाजार मार्ग की पाट होल्स/पैच मरम्मत का कार्य प्रगति पर है । शेष मार्गो की मरम्मत/नवीनीकरण का कार्य निर्धारित चक्रानुसार वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के अनेकों मार्गों की पटरियों, लेपित सतह पैच फ्री कराये जाने की मांग

23-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

विधान सभा के तृतीय सत्र 2004 के पहले गुरुवार को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या-23 के उत्तर के संदर्भ में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पण्डित दीनदयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र पट्टी के बनाये गये मार्ग अस्थरा, नेवादा,कजा सराय-गुलामी, पर्वतपुर, सुलेमान, पूरेवंशीधर, कन्हई मधुपुर तथा आर0 आई0 डी0 एफ0 4, 5, 6 के बने सभी मार्गों की पटरियों, लेपित सतह पैच फ्री कराई जायेंगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रश्नगत सभी मार्ग ग्रामीण श्रेणी के मार्ग हैं । मार्गों की पटरियाँ, लेपित सतह पैच फ्री कराया जाना सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण सम्प्रति संभव नहीं है ।

समय सीमा का निर्धारण किया जाना संभव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव की सड़कों के निर्माण में भ्रष्टाचार की शिकायत विषयक-पत्र पर कृत कार्यवाही

24-श्री मुंशी लाल गौतम-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में सड़क निर्माण में की जा रही अनियमितताओं को रोकने के लिये क्या सरकार विशेष जांच प्रकोष्ठ गठित करने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि उन्नाव जिले की कुछ सड़कों के निर्माण में भ्रष्टाचार, मानक से कम सामग्री का प्रयोग और सड़कों के बनते ही ध्वस्त हो जाने विषयक क्षेत्र पंचायत के सदस्यों/ग्रामीणों के हस्ताक्षरों से युक्त एक शिकायती-पत्र मा0 नेता प्रतिपक्ष श्री लालजी टण्डन के कवरिंग पत्र सहित माह अक्टूबर, 2005 के अन्तिम सप्ताह में प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव -

जी नहीं ।

विभाग में तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ (टी0ए0सी0) पहले से ही गठित है ।

जी हाँ ।

प्रकरण की जांच मुख्य अभि0 (म0क्षे0), लखनऊ से कराई गयी । जांच आख्या प्राप्त हो गयी है, जिसका परीक्षण किया जा रहा है । परीक्षणोपरान्त यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में सहकारी गन्ना विकास समितियों द्वारा गन्ना आपूर्ति की पर्ची हिन्दी में जारी करने की मांग

25-श्री आर0पी0एन0 सिंह-

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश में सहकारी गन्ना विकास समितियों द्वारा अंग्रेजी भाषा में गन्ना आपूर्ति से संबंधित पर्ची जारी करने से गन्ना किसानों के सामने अनेक प्रकार की कठिनाइयों को देखते हुए क्या सरकार वर्तमान पेराई सत्र से हिन्दी भाषा में गन्ना आपूर्ति पर्ची जारी करने का निर्देश जारी करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)-

गन्ना किसानों की कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए गन्ना आयुक्त कार्यालय के परिपत्र पत्र दिनांक 28 जून, 2000 द्वारा समस्त क्षेत्रीय संयुक्त/उप गन्ना आयुक्तों को निर्देश जारी किये गये हैं, कि गन्ना किसानों को जो पर्चियां गन्ना तौल हेतु कम्प्यूटर से जारी की जाती है, वह हिन्दी भाषा में जारी की जाय, जिससे कृषकों को गन्ना आपूर्ति करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी न होने पाये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में चीनी का औसतन प्रति कुन्टल उत्पादन मूल्य

26-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में चीनी का औसतन प्रति कुन्टल उत्पादन मूल्य क्या है? क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि प्रदेश की किन पांच चीनी मिलों का औसत उत्पादन मूल्य सर्वाधिक है और किन पांच मिलों के उत्पादन मूल्य न्यूनतम हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

प्रदेश की चीनी मिलों पेराई सत्र 2004-2005 में उत्पादित चीनी का औसत उत्पादन मूल्य रूपये 2201.90 प्रति कुन्टल रहा है ।

प्रदेश की निम्न पांच चीनी मिलों का प्रति कुन्टल औसत उत्पादन मूल्य सर्वाधिक :-

1-धुरियापार (सहकारी क्षेत्र)	रु0 16650.56
2-औराई (सहकारी क्षेत्र)	रु0 14468.56
3-सठियॉव (सहकारी क्षेत्र)	रु0 8138.45
4-बुढ़वल (निगम क्षेत्र)	रु0 6260.68
5-भटनी (निगम क्षेत्र)	रु0 4509.96

प्रदेश की निम्न पांच चीनी मिलों का प्रति कुन्टल औसत उत्पादन सबसे न्यूनतम है:-

1-स्नेह रोड (सहकारी क्षेत्र)	रु0 1197.40
2-बिजनौर (निगम क्षेत्र)	रु0 1255.04
3-चॉदपुर (निगम क्षेत्र)	रु0 1290.63
4-रमाला (सहकारी क्षेत्र)	रु0 1314.80
5-रोजागॉव (निजी क्षेत्र)	रु0 1321.33

जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र हस्तिनापुर एवं चांदपुर में गंगा नदी पर पुल निर्माण की मांग

27-श्री प्रभु दयाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मेरठ में हस्तिनापुर विधान सभा क्षेत्र तथा चांदपुर विधान सभा क्षेत्र के बीच गंगा नदी पर पुल बनाने की योजना क्या सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त पुल कब तक बनवा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रस्तावित स्थल से अपस्ट्रीम में 35 कि0मी0 की दूरी पर मध्य गंगा बैराज सेतु एवं डाउन स्ट्रीम में 35 कि0मी0 की दूरी पर बृजघाट गढ़ मुक्तेश्वर सेतु उपलब्ध है । प्रस्तावति सेतु की पहुंच मार्ग सहित लागत लगभग रू0 39.00 करोड़ है । प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत स्वीकृति संभव नहीं है।

जनपद प्रतापगढ़ के सरसतपुर-नेवादा, अस्थरा, कन्हई मधुपुर आर0आई0डी0एफ0-4 तथा पर्वतपुर सुलेमान-पूरे बंशीधर, आर0आई0डी0एफ0-5 एवं लाखीपुर लिंक मार्ग आर0आई0डी0एफ0-6 के अन्तर्गत स्वीकृत मार्गों का लेपन कार्य का सत्यापन

28-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2005 के चौथे गुरुवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-16 के उत्तर के संदर्भ में क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरसतपुर-नेवादा, अस्थरा, कन्हई मधुपुर आर0आई0डी0एफ0-4 तथा पर्वतपुर सुलेमान-पूरे बंशीधर, आर0आई0डी0एफ0-5 एवं लाखीपुर लिंक मार्ग आर0आई0डी0एफ0-6 के अन्तर्गत स्वीकृत तथा लेपन स्तर तक निर्मित सड़कों का सत्यापन क्या सरकार प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण की अध्यक्षता में गठित समिति से करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं ।

प्रश्नगत मार्गो का सत्यापन अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता द्वारा किया गया है । निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग के मानक विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित किया हुआ पाया गया है ।

जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के अमरगढ़-चिलावां मार्ग को लेपन स्तर तक पूर्ण कराने की मांग

29-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के स्वीकृत मार्ग अमरगढ़-चिलावां जो जिला योजनान्तर्गत वर्ष 2000-2001 में स्वीकृत है, को लेपन स्तर तक पूर्ण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

स्वीकृत लम्बाई 3.00 कि0मी0 के सापेक्ष 2.50 किमी0 लम्बाई में लेपन स्तर तक पूर्ण किया गया है । शेष कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद प्रतापगढ़ में जिला योजनान्तर्गत कतिपय मार्गो के निर्माण की स्थिति की जानकारी

30-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला योजनान्तर्गत वर्ष 2000-2001 में स्वीकृत मार्ग रामगंज जबहा एवं आर0आई0डी0एफ0-7 में स्वीकृत दाउदपुर-लबेदा-सैफाबाद मार्ग का शेष भाग, नचरौला लिंक मार्ग का छूटा भाग लघुसेतु 1x6 मीटर मानापुर-रामगंज का छूटा भाग, बेहदा लिंक मार्ग का छूटा भाग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो विलम्ब के दोषी कौन हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हाँ । प्रश्नगत मार्गो के निर्माण की स्थिति निम्नवत् है :-

1-दाऊदपुर-लबेदा-सैफाबाद मार्ग, का शेष भाग-निर्माण कार्य पूर्ण है ।

2-नचरौला लिंक मार्ग का छूटा भाग-निर्माण कार्य पूर्ण है ।

(लघु सेतु 1x6 मीटर का निर्माण कार्य किसी योजना में प्रस्तावित नहीं है)

3-मानापुर रामगंज का छूटा भाग-निर्माण कार्य पूर्ण है ।

4-बेहटा लिंक मार्ग के निर्माण हेतु आवश्यक भूमि का विवाद समाप्त कराने के बाद निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

प्रश्नगत मार्ग के निर्माण में विलम्ब के लिये कोई अधिकारी उत्तरदायी नहीं पाया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ की तहसील फूलपुर के ग्राम कोहरौली में पोखरी को पाट कर अतिक्रमण करने की जांच

31-श्री नरेन्द्र शिशौदिया-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद आजमगढ़ की तहसील फूलपुर के मार्टिनगंज ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम कोहरौली में पोखरी संख्या 815 को पाट कर उसके चारों तरफ अतिक्रमण कर लिया गया है ? क्या सरकार उक्त कब्जे को खाली करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ की तहसील फूलपुर के ग्राम कोहरौली में चकरोड की भूमि पर अवैध कब्जे का काबिज प्रकरण

32-श्री नरेन्द्र शिशौदिया-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि आजमगढ़ जनपद, फूलपुर तहसील,ब्लाक मार्टिनगंज के अंतर्गत ग्राम कोहरौली में चकरोड/चकमार्ग संख्या 822, 457, 596 की भूमि को लोगों द्वारा अपने-अपने चकों में शामिल कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त चक मार्गो से अवैध कब्जा हटवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ की तहसील फूलपुर के ग्राम कोहरौली में पोखरी पर अवैध निर्माण का काबिज प्रकरण

33-श्री नरेन्द्र शिशौदिया-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद फूलपुर तहसील, मार्टीनगंज ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम-कोहरौली में पोखरी संख्या-815 का वर्तमान क्षेत्रफल एवं वर्ष 1959/1977 के आधार पर आधार वर्ष की खतौनी/खसरा, मानचित्र के अनुसार क्षेत्रफल /रकबा क्या है एवं उसके चारों तरफ किस-किस के खेत व मकान आदि अवैध निर्माण/कब्जे हैं ?

श्री अम्बिका चौधरी-

ग्राम कोहरौली के पोखरी गाटा संख्या 815 का वर्तमान क्षेत्रफल 0.419 हे0 है । वर्ष 1959/1977 में इसकी पुरानी गाटा संख्या 1405 का क्षेत्रफल 0.583 हें0 अंकित है । मानचित्र के अनुसार वर्तमान क्षेत्रफल 0.340 हे0 पोखरी खाते में अंकित है । पोखरी खाते की भूमि पर किसी का कोई कब्जा नहीं है । इस पोखरी में न तो किसी का मकान बना है और न ही किसी के द्वारा पोखरी खाते की भूमि को अपने खेत में मिलाया गया है ।

जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड सूरतगंज के ग्राम अकौना में भूमिहीनों को पट्टे का आवंटन

34-श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम अकौना विकास खण्ड सूरतगंज जनपद बाराबंकी में दिनांक 16-4-05 को भूमिहीन लोगों को भू-आवंटन के तहत ग्राम विघौली मजरे अकौना में 158 पट्टे तथा ग्राम खुज्झी में 102 पट्टे दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या पट्टेदारों को कब्जा दिला दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब्जा कब तक दिला दिया जायेगा ?

श्री अम्बिका चौधरी-

दिनांक 16-04-2005 के ग्राम विधौली में 158 के स्थान पर 150 तथा खुज्झी में 102 के स्थान पर 88 भूमिहीनों को कृषि हेतु पट्टे दिये गये थे ।

जी हाँ ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड सूरतगंज के ग्राम खुज्झी मजरे अकौना में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को पट्टे का आवंटन

35-श्रीमती राजलक्ष्मी वर्मा-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करें कि ग्राम खुज्झी मजरे अकौना विकास खण्ड सूरतगंज जनपद बाराबंकी में दिनांक 12-12-92 को 14 पट्टे अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या उक्त व्यक्तियों को कब्जा दिला दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब्जा कब तक दिला दिया जायेगा ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हाँ ।

जी हाँ ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जहांगीराबाद-दौलतपुर मार्ग से मदनगढ़ ग्राम सम्पर्क मार्ग का लेपन कराने हेतु धनराशि की मांग

36-श्री सुन्दर सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जहांगीराबाद-दौलतपुर मार्ग से मदनगढ़ ग्राम सम्पर्क मार्ग विधान सभा क्षेत्र स्याना-जनपद-बुलन्दशहर की दूरी 2.50 किमी0 है जो वर्तमान में क्षतिग्रस्त है, जिससे आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या उक्त मार्ग का लेपन कराने हेतु सरकार धनराशि उपलब्ध कराकर मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है । खंडजा स्तर के इस मार्ग का निर्माण क्षेत्र पंचायत द्वारा कराया गया है । मार्ग पर आवागमन हो रहा है ।

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में अनेकों मार्ग लेपन स्तर तक पूर्ण कराने की मांग

37-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के

लिए पूर्वांचल विकास निधि के राज्यांश से स्वीकृत मार्ग सरसतपुर-रमईपुर नेवादा लालगंज बघना तक अरैला-माट पट्टी महरूपुर मार्ग, भीखमपुर तेलियानी लखनुडी तथा रूर से लालगंज मार्ग का निर्माण कार्य लेपन स्तर तक पूर्ण करा दिये गये है ? यदि नहीं, तो उक्त मार्गो को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रश्न में उल्लिखित 05 मार्गो में से 04 मार्ग स्वीकृत लम्बाई के सापेक्ष अभी अपूर्ण है, किन्तु एक मार्ग रामकोला लालगंज सरायमघई दाउदपुर बंघवा मार्ग लेपन स्तर तक पूर्ण हैं ।

परियोजनाओं को पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में अशोकपुर असुढ़ी नाले पर निर्मित पुल पर आवागमन चालू कराने की जानकारी

38-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के अन्तर्गत अशोकपुर असुढ़ी नाले पर निर्माणाधीन पुल को पूर्ण कराकर आवागमन हेतु कब से खोल दिया जायेगा?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

दिनांक 01-01-2006 से यातायात हेतु आवागमन चालू हो गया है ।

जनपद बागपत के ग्राम मडोला से जर्जर फिरोजपुर लिंक मार्ग की मरम्मत कराने की मांग

39-श्री मदन भैया-

क्या लोक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि जनपद बागपत में ग्राम मडोला से फिरोजपुर लिंक मार्ग जर्जर है जिससे आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त लिंक मार्ग की मरम्मत करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है एवं मार्ग पर आवागमन हो रहा है ।

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बागपत के धोली प्याऊ से ग्राम फुलैरा जर्जर मार्ग की मरम्मत कराने की मांग

40-श्री मदन भैया-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद बागपत के धोली प्याऊ से ग्राम फुलैरा जाने वाला मार्ग जर्जर हो चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है ।

संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

41-डा0 सुशील चौधरी-

[उसरे सोमवार के अता0प्र0सं0-54 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड स्याना में शेखपुर गढ़वा से ग्राम ढक्का तक मार्ग लेपन स्तर तक पूर्ण कराने की मांग

42-श्री सुन्दर सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र स्याना के विकास खण्ड स्याना मे शेखपुर गढ़वा से ग्राम ढक्का तक सम्पर्क मार्ग 3 किमी0 तक लेपन कार्य अधूरा है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग का लेपन कार्य कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

वर्तमान में उक्त मार्ग खडंजा स्तर का है । मार्ग का निर्माण क्षेत्र पंचायत द्वारा किया गया है । मार्ग का लेपन कार्य किसी योजना में स्वीकृत नहीं है ।

मार्ग पर खडंजा से लेपन तक का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

गोरखपुर क्षेत्र में निर्मित जिला जेल बाई पास मार्ग का निर्माण पूर्ण कराने की मांग

43-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) से गोरखपुर क्षेत्र में निर्मित हो रहे जिला जेल बाईपास का निर्माण अधूरा है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हाँ ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र स्याना के अन्तर्गत अनूपशहर खण्ड गंगानहर की उत्तरी पटरी पर कच्ची सड़क का निर्माण कराने की मांग

44-श्री सुन्दर सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र स्याना

के अन्तर्गत अनूपशहर खण्ड गंगानहर की उत्तरी पटरी पर लोक निर्माण विभाग द्वारा तारकोल रोड बनायी गयी है ? क्या यह सही है कि उक्त मार्ग गाजियाबाद बुलन्दशहर की सीमा पर लगभग 4 कि0मी0 कच्ची है ? यदि हां, तो उक्त कच्ची सड़क का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हाँ ।

जी नहीं । उक्त मार्ग का यह भाग 2.6 कि0मी0 लम्बा है तथा खडन्जा स्तर का क्षतिग्रस्त मार्ग है । इस भाग का स्वामित्व सिंचाई विभाग का है ।

क्षतिग्रस्त भाग का स्वामित्व सिंचाई विभाग का होने के कारण लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्य संभव नहीं है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद खीरी में शारदा नदी पर पुल निर्माण का कार्य प्रारम्भ कराने की मांग

45-श्री आर0 एस0 कुशवाहा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद खीरी में भीटा-पलिया मार्ग पर शारदा नदी पर नये पुल का निर्माण प्रस्तावित है ? यदि हां, तो उक्त पुल का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हाँ ।

कार्य जून, 2005 से प्रारम्भ हो चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद खीरी की तहसील निघासन में निघासन बेलहा मार्ग पर पुल निर्माण की मांग

46-श्री आर0 एस0 कुशवाहा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद खीरी की तहसील निघासन में निघासन-बेलहा मार्ग पर पुल न होने के कारण वर्षा काल में आवागमन बन्द हो जाता है ? यदि हां, तो क्या इस मार्ग पर पुल निर्माण कराये जाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हाँ ।

जी नहीं ।

गन्ना विकास परिषद्, बेलरांया (खीरी) के पास वित्तीय वर्ष 2005-2006 में पूल निर्माण हेतु कोई धन उपलब्ध नहीं है ।

जनपद खीरी में पलियां सम्पूर्णानगर से खजुरिया तक क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराने की मांग

47-श्री आर0 एस0 कुशवाहा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद खीरी में पलियां सम्पूर्णानगर से खजुरिया तक मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है जिससे आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग आंशिक भाग में क्षतिग्रस्त है एवं आवागमन बाधित नहीं है ।

प्रश्नगत मार्ग के आबादी भाग को छोड़कर शेष मार्ग की मरम्मत का कार्य प्रगति पर है जिसे माह 03/06 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है । आबादी भाग की मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

लोक निर्माण विभाग एवं सिंचाई विभाग ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग में रेखाकार के वेतन विसंगति को दूर करने की मांग

48-श्री अनिल कुमार वर्मा-

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लोक निर्माण विभाग में रेखाकार (ट्रेसर) का वेतनमान रु0 2750-70-3800-75-4400 है जबकि सिंचाई विभाग ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग में वेतनमान रु0 3050-75-3950-80-4590 दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस वेतन विसंगति को दूर करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हाँ । ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग में तथा सिंचाई विभाग में भी लोक निर्माण विभाग की भांति रेखाकारों को रु0 2750-70-3000-75-4400 वेतनमान दिया जा रहा है । केवल सिंचाई विभाग में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र (ITI) से प्रशिक्षण व प्रमाण पत्र प्राप्त रेखाकारों को अलग से वेतनमान रु0 3050-75-3950-60-4590 भी दिया जा रहा है ।

लोक निर्माण विभाग में रेखाकारों के लिये प्रचलित नियमावली के अनुसार देय नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विभागीय नियमावली के अनुसार देय नहीं है ।

जनपद बागपत से फिरोजपुर मंडोला लिंक मार्ग की क्षतिग्रस्त पुलिया का निर्माण

49-श्री मदन भैया-

क्या लोक निर्माण मंत्री का ज्ञात है कि जनपद बागपत के फिरोजपुर मंडोला लिंक मार्ग पर पड़ने वाली पुलिया क्षतिग्रस्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसका पुर्ननिर्माण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रश्नगत मार्ग पर एक बड़ी पुलिया जो किमी0-3 में स्थित है क्षतिग्रस्त नहीं है, अपितु ग्रामीणों द्वारा उक्त पुलिया के बगल से एक सम्पर्क मार्ग का निर्माण करा दिये जाने के कारण पुलिया बन्द हो गयी है ।

पुलिया खुलवाने की कार्यवाही की जा रही है 1
पुलिया 15/01/2006 तक खुलवाया जाना प्रस्तावित है ।
प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के मार्ग तक पुल निर्माण की स्वीकृत संबंधी जानकारी

50-श्री राजेन्द्र प्रताप सिह उर्फ मोती सिंह-

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2004 के दूसरे गुरुवार को उत्तरित अता0 प्रश्न संख्या-56 के उत्तर के संदर्भ में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के मार्ग एवं पुल निर्माण की स्वीकृति हेतु मांगे गये पुनरीक्षित आगणन क्या शासन को प्राप्त हो गये हैं ? यदि हां, तो उक्त आगणन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं ।
प्रश्न नहीं उठता ।
उपरोक्तानुसार ।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के कतिपय मार्गो का नवीनीकरण का कार्य

51-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के अन्तर्गत सरसतपुर नेवादा मार्ग एवं पूरेबंशीधर, कन्धईमधुपर, अस्थरा, लाखीपुर पर्वतपुर, सुलेमान मार्गो को पं0 दीनदयाल उपाध्याय योजनान्तर्गत शामिल कर लेपन स्तर तक बनाया गया है ? यदि हां, तो उक्त कार्यों का स्थलीय सत्यापन कराते हुए नवीनीकरण तथा अन्य अपेक्षित कार्य कब तक करा दिये जायेगें ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हाँ ।

प्रश्नगत सभी मार्ग ग्रामीण श्रेणी के मार्ग हैं जिस पर नवीनीकरण के चक्रानुसार आने वाले वर्ष में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार नवीनीकरण का कार्य किया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ के नाबार्ड योजना अंतर्गत वेहटा लिंक मार्ग के साथ अनेक मार्गो का शेष छूटा कार्य पूर्ण कराने की मांग

52-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नाबार्ड 2007 के अंतर्गत वर्ष 2000-2001 में स्वीकृत बेहटा लिंक मार्ग, मानापुर रामगंज एवं दाऊदपुर-लबेदा-सैफाबाद मार्ग का शेष तथा नचरौला लिंक मार्ग का शेष छूटा हुआ भाग तथा लघु सेतु 1x6 मी0 का कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मानापुर-रामगंज, दाऊदपुर-लबेदा-सैफाबाद मार्ग व नचरौला लिंक मार्ग के छूटे भाग का निर्माण कार्य पूर्ण है तथा बेहटा लिंक मार्ग का कार्य माह 3/06 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है । लघु सेतु 1x6 मी0 किसी योजना में प्रस्तावित नहीं है, अत: निर्माण कार्य पूर्ण कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद प्रतापगढ़ में इब्राहिमपुर घाट का पुल एवं पहुंच मार्ग का कार्य पूर्ण कराने की मांग

53-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ में इब्राहिमपुर घाट का पुल एवं पहुंच मार्ग का अवशेष कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

लखनऊ में मावइय्या ऐशबाग रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी पुल पर यातायात व्यवस्था सम्बन्धी जानकारी

54-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि क्या मध्य विधान सभा क्षेत्र, लखनऊ में मावइय्या ऐशबाग रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी पुल बनकर तैयार हो गया है ? यदि हां, तो यह पुल जनता के उपयोग हेतु कब तक खोल दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हाँ । मुख्यतया पूर्ण हो गया है ।

खोल दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ में वेलईसा सम्पार-रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी पुल के निर्माण की मांग

55-श्री राम नरेश यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में बेलईसा सम्पार-रेलवे क्रासिंग 29 ए पर उपरिगामी पुल रेलवे विभाग की स्वीकृति के बाद सहभागिता का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो प्रदेश सरकार कितनी धनराशि अपने हिस्से की अवमुक्त करके निर्माण कार्य पूरा करायेगी ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हाँ ।

वित्तीय सहभागिता एवं रेलवे वर्क्स कार्यक्रम वर्ष 2005-2006 में सम्मिलित करने के लिये रेल मंत्रालय भारत सरकार को लिखा गया है । भारत सरकार की सहमति प्राप्त होने पर ही अग्रिम कार्यवाही सम्भव हो सकेगी ।

जनपद अम्बेडकर नगर में कतिपय घाटों पर पुल निर्माण की कार्यवाही

56-श्री राम नरेश यादव-

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि टोंस नदी पर कल्होरा घाट तथा मघुई नदी पर निजामपुर घाट व रैदा घाट तथा कुवंरि नदी पर शेरजहांपुर पुल का निर्माण किए जाने के संबंध में आगणन तैयार कराया गया है ? यदि हां, तो उन पर पुल निर्माण का कार्य कब तक आरम्भ कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद अम्बेडकर नगर में रैदाघाट जलालपुर मार्ग के नाम से मझुई नदी पर नाबार्ड योजना के अन्तर्गत रु0 189.74 लाख की लागत से सेतु निर्माण स्वीकृत है । शेष अन्य 3 पुलों के संबंध में आगणन गठन की कार्यवाही सेतु निगम के स्तर पर प्रक्रियाधीन है ।

पुलों का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में कतिपय मार्गो के निर्माण संबंधी जानकारी

57-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासनादेश संख्या-1010/35/2000/5-29 दिनांक 23-8-2000 द्वारा पूर्वांचल निधि के राज्यांश से जनपद-प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र पट्टी के लिए स्वीकृत कसाँ पट्टी से महदहा-बेला-बांदा पट्टी मार्ग का शेष भाग रेड़ी-गारापुर-उसरौसी मार्ग को स्वीकृत दूरी तक लेपन स्तर तक बना दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या उसे पूर्ण कराने हेतु समय सीमा निर्धारित की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं ।

जी नहीं, प्रश्न में उल्लिखित मार्गो को पूर्ण कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में स्वीकृत सभी मार्गो को पूर्ण कराने का लक्ष्य

58-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में राज्य सेक्टर से स्वीकृत सभी मार्गो को लेपन स्तर तक पूर्ण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त मार्गो को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं । जनपद प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र पट्टी में राज्य योजनान्तर्गत कुल 7 मार्ग स्वीकृत है, जिसके सापेक्ष एक कार्य पूर्ण है । अवशेष 6 कार्य प्रगति में है ।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण ।

अवशेष कार्यो को 3/2006 तक पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य है ।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी से संबंधित मार्ग निर्माण का प्रस्ताव

59-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता, इलाहाबाद क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग द्वारा जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी से संबंधित मार्ग निर्माण हेतु मरियमपुर-इटहरा एवं ढखवा-बनवीरपुर-ऐलाही-लखूनडीह-शैलखा-धरौली का आगणन प्रस्ताव स्वीकृति हेतु पत्र सं0-1036/58 यात्रा (प्र0प0)ई0के0/04, दिनांक 26-2-04 प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग को भेजा गया, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हाँ ।

प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत वित्तीय स्वीकृति निर्गत किया जाना संभव नहीं हो पाया है ।

उपरोक्तानुसार ।

60-श्री राम करन आर्य-

[उसरे सोमवार के अता0प्र0सं0-56 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में कतिपय मार्गो के निर्माण के संबंध में जानकारी

61-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी का

बिरौती-सराघई-दाऊदपुर-बन्धवा मार्ग के मध्य का कितना भाग शून्य से लेपन तक निर्माण हेतु शेष है? शेष मार्ग को कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सदहा-रेडीगारापुर-मोखानापुर-महादेवनगर मार्ग तथा नाले पर पुल सहित एवं मार्ग उसरौली-ढेगुहा-धुई-रेडीगारापुर जो राज्य योजना में स्वीकृत है, को भी शून्य से लेपन स्तर तक को क्या पूर्ण करा दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

830 मीटर लं0 में लेपन हेतु शेष है ।

मार्च, 2006 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है ।

शेष भाग निर्माणाधीन है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सीमित संसाधनों के कारण ।

जनपद प्रतापगढ़ में पूर्वांचल निधि से स्वीकृत मार्गो के संबंध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

62-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के पूर्वांचल निधि के राज्यांश से शासनादेश सं0-3413/35-5-98-9(4) 78 दिनांक 4-1-99 द्वारा ढिढुयी-अन्देश्वरी एवं अन्तपुर मार्ग तथा गहवरा मार्ग स्वीकृत किया गया है ? क्या उन मार्गो को लेपन स्तर तक बना दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अवशेष कार्य हेतु अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, प्रतापगढ़ का पत्र 157 दिनांक 18-6-2004 परियोजना निदेशक को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

ढिढुई-अन्देश्वरी मार्ग तथा अन्तपुर सम्पर्क मार्ग तकनीकी स्वीकृति के अनुसार लेपन स्तर तक पूर्ण है,शेष एक मार्ग अभी अपूर्ण है ।

स्थानीय भूमि विवाद के कारण ।

जी हाँ ।

पुनरीक्षित आगणन गठित करने की कार्यवाही प्रगति में है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में स्वीकृत मार्गो के निर्माण की मांग

63-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वांचल निधि के राज्यांश से जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के लिये शासनादेश सं0-946/353/2000, दिनांक 31-3-2000 द्वारा तरदहा लोनियापुर-बेलसण्डी-असुढी-गडौरी का अवशेष मार्ग नोही-ढिढुयी का अवशेष मार्ग, चिन्तामणिपुर-अन्देवरी-भुजाही मार्ग का शेष भाग तथा अन्य एक सड़क को लेपन स्तर तक बना दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त मार्गो का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रश्न में उल्लिखित शासनादेश द्वारा 05 मार्ग पूर्वांचल विकास निधि राज्यांश से स्वीकृत हुए हैं, जिसमें सुरूवारपुर लिंक मार्ग पूर्ण है, शेष अभी अधूरे हैं ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अपूर्ण मार्गो को पूर्ण कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में निर्मित पुल के दोनों ओर पहुंच मार्ग की मरम्मत की मांग

64-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम-उसरका, ब्लाक मंगरौरा, विधान सभा क्षेत्र पट्टी, जनपद-प्रतापगढ़ में निर्मित पुल के दोनों ओर पहुंच मार्ग को मानकों के अनुसार नहीं बनाये जाने के कारण क्षतिग्रस्त हो गये हैं, जिससे वाहनों का आवागमन बाधित है ? यदि हां, तो उक्त पहुंच मार्ग की मरम्मत कब तक करा दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

पहुंच मार्ग वर्षा के कारण आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है ।

मार्ग की मरम्मत करा दी गयी है तथा यातायात चालू है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में कतिपय मार्गो का लेपन स्तर तक कार्य पूर्ण कराने की जानकारी

65-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वांचल निधि के राज्यांश से जनपद-प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के लिये शासनादेश संख्या-722/35-5-2001/9 (36)-2000/276 दिनांक 30-3-2001 द्वारा स्वीकृत मार्ग अमरगढ़-बैजालपुर मार्ग से धरहिया-गोविन्दपुर का शेष भाग एवं मदाफरपुर-धरौली-बकुलाही मार्ग का शेष कार्य लेपन स्तर तक पूर्ण करा दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं ।

प्रश्न में उल्लिखित मार्गो को पूर्ण कराया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र कर्वी के ग्राम गढचमा की श्रीमती मैकी को पट्टे की भूमि का कब्जा दिलाये जाने की मांग

66-डा0 सुशील चौधरी-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि श्रीमती मैकी पत्नी श्री राजाराम (दलित) निवासी ग्राम-

गढचमा, कर्बी, जिला-चित्रकूट थाना मानिकपुर को वर्ष 1997 में साढ़े 3 बीघा जमीन का पट्टा दिया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त भूमि पर कब्जा दिलाया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां ।

जी हां । पूर्व में ही पट्टे की भूमि पर कब्जा दिया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र फूलपुर में डा0 राम मनोहर लोहिया ग्राम विकास योजनान्तर्गत ग्रामों को चयनित किये जाने विषयक पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

67-श्री राम नरेश यादव-

क्या कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 4-10-05 जो फूलपुर विधान सभा क्षेत्र जनपद आजमगढ़ में डा0 राम मनोहर लोहिया ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत ग्राम चयनित किए जाने के संबंध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हां, लेकिन यह पत्र मा0 मुख्यमंत्री जी को नहीं बल्कि मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश को संबोधित है, जिसमें जनपद-आजमगढ़ के ग्राम-लग्गूपुर, ब्लाक-पवई व ग्राम-ओरिल,ब्लाक-अहरौला को डा0 राम मनोहर लोहिया ग्राम में चयनित किये जाने की संस्तुति की गयी है ।

जनपद आजमगढ़ की मण्डी समिति आजमगढ़ को वित्तीय स्थिति सुदृढ न होने के कारण मा0 सदस्य द्वारा संस्तुत लोहिया ग्रामों के चयन के बारे में विचार नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

68-श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"-

[कई विभागों से संबंधित होने के कारण निरस्त]

जेट्रोफा की खेती को बढ़ावा देने हेतु कार्य योजना

69-डा0 अजय कुमार-

क्या उद्यान मंत्री को जानकारी हे कि जेट्रोफा के पौधो से पेट्रोलियम पदार्थ प्राप्त होता है ? यदि हां, तो डीजल एवं पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को दृष्टिगत रखते हुये क्या सरकार प्रदेश में जेट्रोफा की खेती हो बढ़ावा देने हेतु कोई कार्ययोजना बनायेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजकिशोर सिंह-

जी हाँ ।

जी हाँ ।

उद्यान विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदों में किसानों की कृषि योग्य बेकार पड़ी हुयी भूमि एवं ग्राम सभा की ऊसर व परती भूमि पर लगभग 1,25,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में जेट्रोफा रोपण, उत्पादन, विधायन एवं विपणन हेतु वर्ष 2005-06 से 2008-09 तक की रू0-36499.00 लाख की कार्ययोजना भारत सरकार को भेजी गयी है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद इलाहाबाद की तहसील-सोरांव के ग्राम बरदनी के चकरोडो पर अवैध कब्जा हटवाने की कार्यवाही

70-श्री आर0 एस0 कुशवाहा-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद की तहसील-सोरांव के वि0 खं0-होलागढ़ के अन्तर्गत ग्राम बरदनी के चकरोड सं0-29,70,102,147,160,128,127,572,498 तथा नाली सं0-123, 150 पर ग्राम के दबंग व्यक्तियों द्वारा कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध कब्जे को हटवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

गाटा संख्या-70,160,498,123 मौके पर खाली है, शेष गाटो पर अवैध कब्जे हैं ।

जी हां । प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

71-श्री आर0एस0 कुशवाहा-

[3सरे सोमवार के अता0प्र0सं0-148 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

जनपद इलाहाबाद की तहसील-सोरांव के वि0 खण्ड होलागढ़ के ग्राम बरदनी में बंजर भूमि पर अवैध कब्जा हटवाने की कार्यवाही

72-श्री आर0एस0 कुशवाहा-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जनपद इलाहाबाद की तहसील-सोरांव के वि0खं0-होलागढ़ के अन्तर्गत ग्राम बरदनी के तालाब सं0-76 व बंजर भूमि सं0-403 एवं नवीन परती सं0-395 पर दबंग व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो उक्त अवैध कब्जे को हटाने एवं दबंग व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हां ।

जी हां । प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 31-12-2005 को दर्ज करा दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गन्ना विकास विभाग में गन्ना विकास निरीक्षकों की स्थानान्तरण नीति

73-कुवंर भारतेन्द्र सिंह-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि गन्ना विकास विभाग में गन्ना विकास निरीक्षकों हेतु कोई स्थानान्तरण नीति बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या ? क्या सरकार द्वारा विगत 10 वर्षो से एक ही स्थान पर कार्यरत निरीक्षकों को स्थानान्तरित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह-

जी हाँ ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गन्ना विकास निरीक्षक समूह "ग" के कर्मचारी है । गन्ना विकास विभाग में कार्मिक विभाग द्वारा जारी स्थानान्तरण नीति प्रभावी है जिसमें 10 वर्षो से एक ही स्थान पर कार्यरत समूह "ग" के कर्मचारियों को स्थानान्तरित किये जाने का प्राविधान नहीं है ।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में नाबार्ड-4 में स्वीकृत अशोकपुर-असुढ़ी पुल के दोनों ओर मार्ग निर्माण की कार्यवाही की जानकारी

74-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2005 के दूसरे गुरुवार को उत्तरित अता0 प्र0 सं0 52 के उत्तर के क्रम में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में नाबार्ड-4 में स्वीकृत अशोकपुर-असुढ़ी पुल के दोनों ओर पहुंच मार्ग निर्धारित मानकों के अनुसार बनाये जाने का कार्य कब से बन्द है ? क्या उसे मार्च, 2006 तक पूर्ण किये जाने हेतु वर्तमान में कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं,तो मार्च, 2006 तक प्रश्नगत कार्य किस प्रकार पूर्ण किये जा सकेंगे ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

प्रश्नगत कार्य को निर्धारित मानको के अनुसार बनाये जाने का कार्य प्रगति पर है । कार्य टाप कोट स्तर तक पूर्ण करा दिया गया है । लेपन का कार्य मौसम अनुकूल होने पर यथा शीघ्र पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है ।

जी हाँ ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतागढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में आर0आई0डी0एफ0-2 से 7 तक के मार्गो के नवीनीकरण करने संबंधी जानकारी

75-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में आर0आई0डी0एफ0-2 से आर0आई0डी0एफ0-7 तक कौन-कौन से मार्ग लेपन स्तर तक बनाये गये हैं ? उन मार्गो का नवीनीकरण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में आर0आई0डी0एफ0-2 से 7 तक निर्मित मार्गो का **विवरण †संलग्न सूची** में दिया गया है ।

प्रश्नगत सभी मार्ग ग्रामीण श्रेणी के मार्ग हैं, जिन पर नवीनीकरण के चक्रानुसार आने वाले वर्ष में वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार नवीनीकरण का कार्य किया जाता है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के कतिपय नालों पर पुल तथा मार्ग निर्माण की मांग

76-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

विधान सभा के द्वितीय सत्र 2005 के पहले गुरुवार को उत्तरित अता0 प्रश्न सं0 168 के उत्तर के संबंध में क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में रामगढ़वा-नरहरपुर-औरंगाबाद-सलेश्वरनाथ के मध्य चमरौरा नाले पर पुल तथा मार्ग निर्माण हेतु क्या आगणन गठन की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी ? यदि हां, तो प्रस्ताव आगणन किस तिथि को शासन को प्राप्त हुआ है और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हाँ ।

प्रस्ताव/आगणन शासन में प्राप्त नहीं हुआ है । रु0 213.07 लाख का आगणन (पहुंच मार्ग अतिरिक्त पहुंच मार्ग सहित) गठित करते हुए सेतु निगम द्वारा प्रमुख अभियन्ता कार्यालय को दिनांक 27 जनवरी, 2006 को भेज दिया गया है, जो प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग के स्तर पर परीक्षणाधीन है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में पूर्वांचल विकास निधि राज्यांश से स्वीकृत मार्गो हेतु अवमुक्त धनराशि का विवरण

77-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के लिये पूर्वांचल निधि के राज्यांश से वर्ष 1996 से 2003 तक कौन-कौन से मार्ग स्वीकृत किये गये हैं और कार्यो हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि का विवरण क्या है ? क्या अपूर्ण कार्यो को पूर्ण किये जाने हेतु सरकार समयबद्ध निर्देश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जनपद-प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र पट्टी हेतु पूर्वांचल विकास निधि राज्यांश से वर्ष 1996 से 2003 तक स्वीकृत परियोजनाओं एवं उन पर अवमुक्त की गयी धनराशि का **विवरण ††संलग्न सूची** में अंकित है ।

अपूर्ण कार्यो को पूर्ण कराया जाना विभिन्न चालू योजना की प्राथमिकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

---

†(देखिए नत्थी क आगे पृष्ठ 119 पर ।)

††(देखिए नत्थी ख आगे पृष्ठ 121 पर ।)

जनपद कानपुर नगर की तहसील घाटमपुर के ग्राम तरगांव में लेखपाल भूमि प्रकरण में की गयी कथित अनियमितता की शिकायत

78-श्री राम चन्द्र यादव-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 23-12-04 व दिनांक 1-8-05 जो चकबन्दी लेखपाल (बरनांव) श्री राम पाल द्वारा ग्राम-तरगांव, तहसील घाटमपुर, जनपद-कानपुर नगर की सर्वे की जमीन बढ़ाये जाने खतौनियों में जालसाजी करके चकों का रकबा बढ़ाये जाने, फर्जी दाखिल खारिज करके अमल दरामद किये जाने के संबंध में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इलाहाबाद के विकास खण्ड माण्डा में कतिपय नदी व घाट पर बने पुल पर टोल टैक्स समाप्त करने की मांग

79-डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि इलाहाबाद जनपद में विकास खण्ड माण्डा, तहसील मेजा में कर्णावती नदी पर 1980 में बने पुल पर 10 रूपये प्रति वाहन टोल टैक्स वसूला जा रहा है ? क्या सरकार को यह जानकारी है कि कोरांव विकास खण्ड, तहसील कोरांव में बेलन नदी पर 1966 में बने देवघाट पुल तथा करछना विकास खण्ड, तहसील करछना में टोन्स नदी पर 1981 में इलाहाबाद-मिर्जापुर रोड पर बने पुलों पर टोल टैक्स वसूला जा रहा है ? यदि हां, तो सरकार उपरोक्त तीनों पुलों पर से टोल टैक्स लेना बंद करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 3-1-2004 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार विभिन्न वाहनों से टोल टैक्स की वसूली निम्नानुसार की जा रही है :-

1-प्राईवेट कार, टैक्सी, जीप, पिकप, स्टेशन वैगन, लैण्ड रोवर, तिपहिया वाहन से रु0 10.00 प्रति वाहन ।

2-ट्रक (सिंगल ऐक्सल) एवं बस से रु0 40.00 प्रति वाहन ।

3-मल्टी एक्सेल ट्रक एवं ट्रेलर तथा अर्थ मूविंग मशीन से रु0 60.00 प्रति वाहन ।

4-मिनी बस से रु0 20.00 प्रति वाहन ।

जी हाँ ।

कर्णवती नदी पर निर्मित कर्मा सेतु एवं देवघाट सेतु की वसूली पुल की लागत, रखरखाव व ब्याज सहित पूर्ण वसूली अथवा 50 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर, जो भी पहले हो उस तिथि से पथकर वसूली नियमानुसार समाप्त की जा सकती है तथा टोन्स सेतु की पथकर वसूली सेतु की मूल लागत, रखरखाव व ब्याज सहित पूर्ण होने पर ही की जा सकती है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील कुण्डा के ग्राम नरई के अपात्र व्यक्ति को आवासीय पट्टे आवंटित किये जाने संबंधी प्रकरण की जांच

80-श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की तहसील-कुण्डा, परगना-रामपुर के ग्राम नरई के ग्राम प्रधान श्रीमती केवला देवी पत्नी शिव मोहन सिंह द्वारा ग्राम सभा की भूमि गाटा सं0-1200, 1202, 1206, 1208, 1240, 1286 व 1320 का आवासीय पट्टा अपात्र लोगों के नाम कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त प्रकरण की जांच कराकर उक्त अपात्र पट्टे को निरस्त कर ग्राम प्रधान के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

मण्डी परिषद्, उत्तर प्रदेश निर्मित सड़कों के पुर्ननिर्माण हेतु धनराशि व्यवस्था की मांग

81-श्री राम प्रताप सिंह-

क्या कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार मंत्री कृपया बतायेंगे कि मण्डी परिषद् उ0प्र0 द्वारा निर्मित सड़कों के पुर्ननिर्माण कराने विषयक पत्र-सी एम0/वि0को0/एम/133483/2005, दिनांक 24-10-05 प्रमुख सचिव कृषि को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या संबंधित मार्गो के पुर्ननिर्माण हेतु धन अवमुक्त कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो धनराशि की व्यवस्था कब तक करा दी जायेगी ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हाँ ।

जी नहीं ।

मा0 सदस्य के पत्र में वर्णित सड़कों की मरम्मत हेतु परिषद् पत्र संख्या 3742 दिनांक 05-12-05 के माध्यम से मण्डी समिति, उतरौला का प्रस्ताव उपलब्ध कराने हेतु मा0 सदस्य का पत्र जिलाधिकारी, बलरामपुर को विचारार्थ भेजा गया है । इस क्रम में जिलाधिकारी, बलरामपुर से मण्डी समिति का प्रस्ताव अप्राप्त है । इसके अतिरिक्त मण्डी समिति, उतरौला की वित्तीय स्थिति भी ऋणात्मक है ऐसी स्थिति में इन मार्गो के मरम्मत हेतु स्वीकृति दी जानी सम्भव नहीं है ।

जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड रेहरां में कतिपय सम्पर्क मार्ग के अवशेष धनराशि मुक्त करने की मांग

82-श्री राम प्रताप सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड रेहरा में रामपुर ग्रेन्ट चोरघटा रानीपुर फिरोजपुर चौराहा सम्पर्क मार्ग के अवशेष धनराशि को अवमुक्त करने विषयक

पत्र सं0-सी0एम0/वि0को0/एम-/133288 दिनांक 19-10-2005 प्रमुख सचिव, लोक निर्माण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम-/133280/05 दिनांक 19-10-2005 प्राप्त हुआ है ।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005-06 में पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) में अत्यन्त न्यून धनराशि शेष होने के कारण अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अवसर नहीं है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद गोण्डा के विसुही नदी पर सिंगार घाट तक पुल के अवशेष कार्य हेतु धनराशि अवमुक्त करने की मांग

83-श्री राम प्रताप सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा के विसुही नदी पर स्वीकृत सिंगार घाट तक पुल के अवशेष कार्य हेतु धनराशि को अवमुक्त कराकर निर्माण कार्य कराये जाने विषयक पत्र सं0-सी0एम0/वि0को0/एम-/133272/2005 प्रमुख सचिव लोक निर्माण उ0 प्र0 शासन को दिनांक 19-10-2005 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हाँ ।

सेतु निर्माण हेतु एरिया ऐलीवेशन दरें तथा पहुंच मार्ग के लिए पुनरीक्षित की गई निर्माण दरों के आधार पर पुनरीक्षित आगणन उपलब्ध कराया गया है, किन्तु पूर्वांचल विकास निधि (राज्यांश) में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005-2006 में अत्यन्त न्यून धनराशि अवशेष रह जाने के कारण इस वित्तीय वर्ष में स्वीकृत करने का अवसर नहीं है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद बलरामपुर में आई0आर0डी0एफ0-4 अन्तर्गत केशव नगर ग्रिन्ट सम्पर्क मार्ग हेतु धनराशि अवमुक्त करने की मांग

84-श्री राम प्रताप सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि आई0 आर0 डी0 एफ0-4 के अंतर्गत जनपद बलरामपुर के केशवनगर ग्रिन्ट सम्पर्क मार्ग के अवशेष भाग के निर्माण हेतु धन अवमुक्त कराकर निर्माण कराये जाने विषयक पत्र सं0-सी0एम0/वि0को0/एम-/13327/2005, दिनांक 19-10-2005 प्रमुख सचिव, लोक निर्माण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं,तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

पत्र संख्या-133271 दिनांक 19-10-2005 प्राप्त हुआ है तथा प्रश्नगत मार्ग जनपद बलरामपुर का न होकर जनपद गोण्डा से संबंधित है ।

अवशेष भाग के निर्माण हेतु पुनरीक्षित आगणन गठित किया जाना प्रक्रियाधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र स्याना के ग्राम खन्दोही से ब्लाक ऊंचागांव तक अधूरे कार्य को पूर्ण कराने की मांग

85-श्री सुन्दर सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा क्षेत्र स्याना के ब्लाक ऊंचागांव के गांव खन्दोही से ब्लाक ऊंचागांव मार्ग का निर्माण कार्य अधूरा है ? यदि हाँ, तो उक्त अधूरे मार्ग का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

ऊंचागांव ब्लाक से गांव खन्दोही तक वास्तविक लम्बाई 2 कि0मी0 है जो वर्तमान में ईंट खड़ंजा स्तर का है । मार्ग पर खड़ंजा का कार्य ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग, बुलन्दशहर द्वारा कराया गया है ।

मार्ग का स्वामित्व लोक निर्माण विभाग का नहीं है । इसलिए लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य कराया जाना उचित नहीं है ।

महाराजगंज-गोरखपुर क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराने की मांग

86-श्री चन्द्र किशोर-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महाराजगंज-गोरखपुर क्षतिग्रस्त मार्ग को ठीक कराने के लिये क्या केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित धनराशि प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं ।

राज्य सड़क निधि से वित्तीय वर्ष 2005-2006 में रु0 38.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है, जिससे क्षतिग्रस्त मार्ग को ठीक कराया जा रहा है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद मेरठ में गंगा पुल के निर्माण की मांग

87-श्री प्रभु दयाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हस्तिनापुर विधान सभा क्षेत्र जनपद मेरठ में हस्तिनापुर से चांदपुर विधान सभा क्षेत्र के बीच गंगा के पुल का निर्माण कार्य प्रारम्भ न होने के कारण आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुल का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं । आवागमन हेतु पाण्टून पुल उपलब्ध है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रस्तावित स्थल से अपस्ट्रीम में 35 कि0मी0 की दूरी पर मध्य गंगा बैराज सेतु एवं डाउनस्ट्रीम में 35 मि0मी0 की दूरी पर बृजघाट गढ़मुक्तेश्वर सेतु उपलब्ध है । प्रस्तावित सेतु की पहुंचमार्ग सहित अनुमानित लागत रु0 39.00 करोड़ है । प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत स्वीकृति संभव नहीं है ।

जनपद अलीगढ़ की तहसील कोल के ग्राम छेरत सुढियाल में ग्राम पंचायत की भूमि निजी भूमि में विनिमय कराने के प्रकरण की जांच

88-श्री देवकी नन्दन कोरी-

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि श्री रामसजीवन वर्मा, तहसीलदार तहसील कोल, जिला अलीगढ़ द्वारा ग्राम छेरत सुढ़ियाल में ग्राम पंचायत की भूमि गाटा संख्या 813 क्षेत्रफल 0.38 हेक्टेयर को जुलाई/अगस्त, 2005 में बेशकीमती करोड़ों की भूमि निजी भूमि से विनिमय करा दिया गया है ? क्या यह सत्य है कि इस संबंध में जिलाधिकारी, अलीगढ़ ने अपने पत्र सं0 3759/एस0टी0, दिनांक 04-9-05 के द्वारा संबंधित तहसीलदार से आख्या मांगी थी ? क्या उक्त आख्या प्राप्त हो गयी ? यदि हां, तो उसके आधार पर इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या यह सत्य है कि जांच में इस प्रकरण में रु0 एक लाख छः हजार की स्टाम्प चोरी का भी खुलासा हुआ था ? यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हाँ ।

ग्राम सभा छेरत सुढ़ियाल के गाटा सं0-813 क्षेत्रफल 0.384 है0 भूमि का विनिमय श्री नितिन यादव की निजी भूमि गाटा सं0-36 रकबई 0.461 है0 से करा दिया गया है, जिसकी शिकायत प्राप्त होने पर अपर जिलाधिकारी, (वि0रा0) से जांच करायी गयी । जांच आख्या के आधार पर तत्कालीन लेखपाल श्री प्रेमपाल शर्मा को निलम्बित कर दिया तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान के विरुद्ध थाना जवां में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराई गयी है । लेखपाल की रिपोर्ट को तहसीलदार कोल श्री रामजीवन वर्मा द्वारा उप जिलाधिकारी को अग्रसारित किया गया है, अतः प्रकरण में केवल तहसीलदार ही दोषी नहीं है, वरन विनिमय स्वीकृत करने वाले अधिकारी भी दोषी हैं । प्रकरण में जांच के आधार पर कार्यवाही विचाराधीन है ।

इस प्रकरण में स्टाम्प चोरी का कोई मामला नहीं बनता है ।

लखनऊ की तहसील बख्शी का तालाब के ग्राम कमलाबाद में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध कब्जा कर बेचने के प्रकरण की जांच

89-श्री शमीमुल हक-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम कमलाबाद बढ़ौली, तहसील-बख्शी का तालाब,

जिला लखनऊ की वर्तमान चकबन्दी से पूर्व गाटा संख्या 220 व 229 ग्राम समाज की भूमि तथा गाटा संख्या 228 काश्तकार की भूमि दर्ज थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि यहां के दबंग लोगों द्वारा तहसील अभिलेखों में हेराफेरी कराकर उक्त भूमि पर कब्जा करके बिक्री की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जमीन से अवैध कब्जा को हटायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हाँ ।

प्रकरण में शासन स्तर से जिलाधिकारी लखनऊ को जांच के आदेश दे दिये गये हैं । जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद सन्त कबीर नगर के मुख्यालय खलीलाबाद के क्षतिग्रस्त मुखसिलपुर मार्ग लेपन स्तर तक निर्मित कराने की मांग

90-श्री अलगू प्रसाद चौहान-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद सन्त कबीर नगर के मुख्यालय खलीलाबाद का मुखलिसपुर मार्ग खराब है जिसके कारण नागरिकों को आवागमन में काफी असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग को लेपन स्तर तब कब तक निर्मित करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग पर सुदृढ़ीकरण का कार्य प्रगति पर है, जिसके कारण आवागमन में स्वाभाविक रूप से कुछ असुविधा हो रही है ।

प्रश्नगत मार्ग को जून, 2006 तक लेपन स्तर तक निर्मित किया जाना लक्षित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

91-श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद सन्त कबीर नगर के राम जानकी मार्ग को लेपन स्तर तक बनाये जाने की मांग

92-श्री अलगू प्रसाद चौहान-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद सन्तकबीर नगर के अन्तर्गत सिकरीगंज पौली (रामजानकी मार्ग) विभाग द्वारा नवनिर्माण कराये जाने हेतु पूरी तरह से खड़न्जा उखाड़ दिया गया है ? यदि हां, तो सरकार उक्त मार्ग को लेपन स्तर तक कब तक पूर्ण कर देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं, सुदृढ़ीकरण हेतु लेपित सतह (ऊपरी सतह) को उखाड़ा गया है । खड़न्जा उखाड़ने का कार्य नहीं किया गया है ।

जून 2006 तक मार्ग लेपन स्तर तक बनाये जाने का लक्ष्य है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सन्तकबीर नगर के कुआनों नदी पर केकरहा मार्ग पर सेतु निर्माण की मांग

93-श्री अलगू प्रसाद चौहान-

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद सन्तकबीर नगर के अन्तर्गत कुआनों नदी पर सिसवनिया से केकरहा जाने के लिये सेतु निगम द्वारा पुल का निर्माण कार्य वर्ष 2004 में शुरू कराया गया था ? उक्त पुल का निर्माण कार्य पूर्ण कराने के लिये सरकार द्वारा क्या कोई समय-सीमा निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो कितनी ? क्या पुल का निर्माण कार्य समय-सीमा के अन्दर पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रस्तावित सेतु स्थल से 04 किमी0 की दूरी पर महेश्वर घाट पर पुल स्वीकृत किये जाने के कारण ।

सहकारी चीनी मिलों के दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को न्यूनतम वेतन के अनुसार वेतन भुगतान की मांग

94-श्री कौशल किशोर -

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी चीनी मिलों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी/ कैजुअल श्रमिको को किस दर से वेतन का भुगतान किया जा रहा है ? क्या सरकार उक्त श्रमिकों को शुगर वेज बोर्ड निर्धारित न्यूनतम वेतन के अनुसार वेतन का भुगतान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

सहकारी चीनी मिलों में श्रमिकों द्वारा संचालित ट्रेड यूनियनों एवं प्रबन्धतंत्र के बीच आपसी सहमति तथा संबंधित मिल के प्रशासक/संचालक मण्डल की स्वीकृति के अनुसार दैनिक वेतनभोगी/ कैजुअल श्रमिको को सहकारी चीनी मिलों में अलग-अलग दरों से दैनिक वेतन का भुगतान किया जा रहा है ।

सहकारी चीनी मिलों में दैनिक वेतनभोगी/कैजुअल श्रमिको को वेज बोर्ड द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन के अनुसार वेतन नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि सहकारी चीनी मिलों में आकस्मिक कार्य तथा समय-समय पर आवश्यकता पड़ने पर संबंधित विभागाध्यक्षों की मांग पर मिल स्तर पर आफ सीजन तथा सीजन में कुछ दैनिक वेतनभोगी/कैजुअल श्रमिकों को अस्थायी रूप से सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति पर कार्य विशेष हेतु काम में रखा जाता है तथा उक्त चीनी मिलों में संचालित ट्रेड यूनियनों एवं प्रबंधतंत्र के बीच समझौता एवं आपसी सहमति के आधार पर इन दैनिक वेतनभोगी/कैजुअल श्रमिकों को वेतन का भुगतान किया जाता है ।

प्रदेश में सूखा राहत के अन्तर्गत जनपद आजमगढ़ को तहसील फूलपुर के ग्राम कोहरौली में किसानों को चेकों का भुगतान कराने की मांग

95-श्री नरेन्द्र शिशौदिया-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2002-2003 में प्रदेश में सूखा राहत के अन्तर्गत किसानों को कुल कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की गयी ? क्या मा0 मुख्य मंत्री जी यह बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद फूलपुर तहसील में ग्राम-कोहरौली के किसानों को यूनियन बैंक आफ इण्डिया फूलपुर का चेक संख्या 0118729/दि0 3-4-03 रु0 1500.00 चेक संख्या 0118726/दि0 3-4-03 रु0 1500.00 तहसीलदार फूलपुर, आजमगढ़ द्वारा निर्गत किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त चेकों का भुगतान हो चुका है ? क्या इस संबंध में भारतीय मजदूर संघ उ0प्र0 के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री अजय सिंह का पत्रांक 821/दि0 7-8-04, पत्रांक 718/दि0 6-7-04, पत्रांक 1254/दि0 18-12-03, पत्रांक 818/दि0 6-8-04 मा0 मुख्य मंत्री जी, जिलाधिकारी/आयुक्त आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़, तहसीलदार फूलपुर-आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी तथा कास्तकारों को उनके चेकों का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री अम्बिका चौधरी-

वर्ष 2002-2003 में रु0 237.51 करोड़ की धनराशि प्रभावित कृषकों को कृषि निवेश अनुदान हेतु स्वीकृत की गई थी ।

जी हां ।

लाभार्थी द्वारा भुगतान प्राप्त नहीं किया गया है, जबकि चैक जारी करने से अब तक उक्त मद से पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है ।

जी हां ।

शिकायत कर्ता को अवगत कराया जा चुका है कि रु0 500/- से अधिक की राहत धनराशि का भुगतान एकाउण्ट पेयी चेक तथा उससे कम धनराशि का भुगतान बियरर चेक द्वारा किया जाता है । चेक धारकों से मूल चेक तहसील में जमा करने हेतु सूचित किया गया है, जिसके प्राप्त होने पर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद शाहजहांपुर में शहीद देवेन्द्र सिंह यादव के परिवार को भूमि देने विषयक पत्र पर कार्यवाही

96-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दि0 13 मई, 2005 को शहीद देवेन्द्र सिंह यादव के परिवार को सहायता तथा पट्टे पर शाहजहांपुर में जमीन देने के संबंध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी -

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के उपजिलाधिकारी द्वारा अनेकों ग्राम समाज की भुमि का नियम विरुद्ध आवंटन संबंधी-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

97-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ की तहसील पट्टी के उप जिलाधिकारी द्वारा ग्राम सरौली, पूरेबंशीधर, इटवा नोही, बिझला विनयका, अनदेवरी, भिटार, लबेदा, सैलखा, बीबीपुर, सुजान पट्टी, सोनपुरा, हर्रई पट्टी, उदई शाहपुर धनईपुर सहित अन्य ग्रामों की ग्राम समाज की भूमि के आवंटन के संबंध में नियम विरुद्ध उनके द्वारा किये गये निर्णय के संबंध में उन्हें तथा प्रमुख सचिव, राजस्व को मुख्य मंत्री का आदेश सं0 सी0एम0/वि0को0/एम/127904/05, दिनांक 5-7-05 तथा प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ख-3/069854, दिनांक 12-7-05 तथा पत्र सं0 ख-3/271418, दिनांक 21-6-05 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या उसकी जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच में क्या तथ्य प्रकाश में आये और दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी हाँ ।

मा0 सदस्य के पत्र सं0-क-1/233618 पर मा0 मुख्यमंत्री के आदेश संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम0/127904/05 दिनांक 5-7-05 के क्रम में परीक्षणोपरान्त यह ज्ञात हुआ कि इस पत्र में 182 वाद पत्रावलियों का उल्लेख किया गया है । जिसमें 25 वाद पत्रावलियों की स्वीकृति दिनांक शिकायती पत्र में सही न अंकित होने के कारण जांच सम्भव नहीं हो सकी है । 26 पत्रावलियों रजिस्ट्रार कार्यालय में दर्ज नहीं पायी गयी तथा 119 पत्रावलियों की जांच अपर जिलाधिकारी द्वारा पूर्व में की जा चुकी है । जिसमें जेड-ए की धारा-132 के अन्तर्गत सुरक्षित भूमि का आवंटन एवं विनियमितीकरण नहीं किया गया तथा शासन की मशा के अनुरूप सुरक्षित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमियों का आवंटन एवं विनियमितीकरण किया गया है ।

पत्र संख्या-ख-3/069854 दिनांक 12-7-05 के संबंध में भी जांच की, जा चुकी है । वाद संख्या-311 द्वारा धारा-198(4) के अन्तर्गत सरकार बनाम कमला देवी आदि स्वीकृति दिनांक 10-12-93, 31-12-93 व 14-4-95 को निरस्त किया जा चुका है तथा जेड0ए0 की धारा-161 के अन्तर्गत विनियमितीकरण भी अपर आयुक्त के न्यायालय में निरस्त किया गया है । परन्तु दोनों निरस्तीकरण के आदेश अपर आयुक्त एवं राजस्व परिषद् के न्यायालय से स्थगित किये गये हैं तथा वर्तमान में विचाराधीन हैं । दोनों कार्यवाहियाँ नियमानुसार भूमि प्रबंधक समिति के प्रस्ताव से किये गये थे । इसलिये प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया जाना उचित नहीं है ।

पत्र सं0-ख-3/271418 दिनांक 21-6-05 के संबंध में जांच करायी जा चुकी है । मा0 विधायक जी के पत्र में उल्लिखित शिकायत के संबंध में कुछ अनियमिततायें परिलक्षित हुई हैं । जिसके संबंध में जेड0ए0 की धारा-194(4) व 122 (6ग) के अंतर्गत निरस्तीकरण का वाद योजित कराया गया है तथा प्रथम दृष्टया दोषी लेखपालों के विरुद्ध निलम्बन एवं विभागीय कार्यवाही करायी जा चुकी है ।

जी हां ।

पत्र संख्या-क-1/233618 के संबंध में अनियमितता परिलक्षित नहीं हुई है । पत्र संख्या ख-3/069854 व ख-3/271418 में जांचोपरान्त तथ्य प्रकाश में आया कि जा0वि0आ0 की धारा-132 के

अंतर्गत सुरक्षित भूमि की नवैयत बदलकर कुछ भूमियों का आवंटन किया गया है तथा तत्कालीन ग्राम प्रधान के परिवार के कुछ व्यक्तियों का आवास आवंटन किया गया था जिसके संबंध में निरस्तीकरण का वाद योजित करा दिया गया है तथा दोषी लेखपाल के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद चित्रकूट के ग्राम सुरवल के किशोर के पुरवा में सिंचाई नलकूप लगाये जाने हेतु स्वीकृत धनराशि की जानकारी

98-श्री आर0के0सिंह पटेल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड विकास निधि (जिलांश) से जनपद-चित्रकूट के ग्राम सुरवल के किशोर के पुरवा में सिंचाई नलकूल लगाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी? यदि हां, तो किस वित्तीय वर्ष में किस कार्यदायी संस्था को कितना धन दिया गया था ? क्या उक्त सिंचाई नलकूप का कार्य पूर्ण करके चालू कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हाँ ।

बुन्देलखण्ड विकास निधि (जिलांश) वर्ष 2001-2002 के बजट के सापेक्ष कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कारपोरेशन, बांदा को वर्ष 2002-2003 में रु0 5.60 लाख, वर्ष 2003-2004 में रु0 2.40 लाख की धनराशि आवंटित की गई थी ।

जी हाँ ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में गत वर्ष चयनित समग्र विकास ग्रामों के सम्पर्क मार्गों के निर्माण की मांग

99-श्री राम इकबाल सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2004-2005 के चयनित समग्र विकास ग्रामों के सम्पर्क मार्गो को लेपन स्तर तक पूर्ण कराने हेतु क्या कोई कार्ययोजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हाँ ।

योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था प्रशासकीय विभाग जैसे लोक निर्माण विभाग, गन्ना विकास, ग्राम्य विकास विभाग, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, मण्डी परिषद्,समाज कल्याण, यू0पी0 डास्प, भूमि सुधार निगम एवं पंचायत आदि विभागों के पास उपलब्ध संसाधनों को एकस्थ करके किया जाना तथा उन्हें अपने सभी स्रोतों से चयनित ग्रामों के मार्गो का निर्माण कर संतृप्त करने की कार्यवाही किया जाना है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र कोल के अन्तर्गत जिला योजना में स्वीकृत मार्गो को पूर्ण कराने की मांग

100-चौधरी महेन्द्र सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र कोल के अंतर्गत वर्ष 2002-2003 से वर्ष 2004-2005 तक जिला योजना के अंतर्गत कितने मार्गो के निर्माण की स्वीकृति दी गई तथा उनमें से कितने मार्गो पर कार्य पूर्ण करा दिया गया है ? अपूर्ण मार्गो का कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं । प्रश्न में इंगित वर्ष 2002-03 से वर्ष 2004-05 तक जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र कोल के अंतर्गत जिला योजना से किसी भी मार्ग के निर्माण की स्वीकृति नहीं दी गयी है । अत: मार्गो के पूर्ण होने का प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में विकास कार्यो हेतु भेजे गये आगणन प्रस्ताव के विवरण की जानकारी

101-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र पट्टी से संबंधित मार्ग निर्माण, पुल निर्माण हेतु शासनादेश संख्या-एम0-244/35-5-01-05/75/01/116 दिनांक 20-4-01 के अनुपालन में मुख्य विकास अधिकारी एवं आयुक्त इलाहाबाद मण्डल द्वारा किन-किन कार्यो के आगणन प्रस्ताव तैयार करने में कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार थे तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं,तो क्यो ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

नियोजन अनुभाग-5 के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-एम-244/35-5-2001-5(73)2001-116 दिनांक 20-04-01 के द्वारा निम्नवत् सेतुओं तथा पहुंच मार्ग सहित आगणन निधि नियमावली के अनुसार मान्य कार्यदायी संस्था से तैयार कराकर उपलब्ध कराने हेतु आयुक्त, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद व मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़ को निर्देश दिये गये हैं :-

1-पट्टी राजा बाजार मार्ग कठार नाले पर सेतु निर्माण पहुंच मार्ग सहित ।

2-ढिढुई भाट पट्टी के मध्य नाले पर लघु सेतु एवं पहुंच मार्ग ।

3-गोडे सतेवर के मध्य मोछहा नाले पर पहुंच मार्ग व सेतु ।

4-अशोकपुर असुढ़ी के मध्य नाले पर पुल, मार्ग का निर्माण ।

5-मानापुर ग्राम के पास पीली नाला पर सेतु का निर्माण ।

6-गडौरी सुभातपुर के बीच तथा रूर अतरौरा के मध्य नाले पर पुल, मार्ग निर्माण।

7-उसका परैया नाला पर पुल,मार्ग निर्माण।

उपरोक्त में क्रमांक-01 पर अंकित परियोजना पट्टी राजा बाजार मार्ग कठार नाले पर सेतु के लिए स्वीकृति शासनादेश संख्या-4934ई/23-लो0नि0-11 दिनांक 25-05-1999 द्वारा प्रदान की जा चुकी है व क्रमांक-07 पर अंकित परियोजना उसका परैया नाला की स्वीकृति शासनादेश संख्या-3072/35-5-99 दिनांक 29-03-2000 द्वारा प्रदान करने के फलस्वरूप इन परियोजनाओं के आगणन भेजे जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

शेष क्रमांक-02,03,05 व 06 पर अंकित परियोजनायें क्रमश: ढिढुई भाट पट्टी के मध्य नाले पर लघु सेतु एवं पहुंच मार्ग, गोडे सतेवर के मध्य मोछहा नाले पर पहुंच मार्ग और सेतु मानापुर ग्राम के पास पीली नाला पर सेतु व गडौरी सुभातपुर के बीच तथा रूर अतरौरा के मध्य नाले पर पुल,मार्ग निर्माण हेतु पूर्वांचल विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्त के अनुसार नि:शुल्क भूमि उपलब्ध न हो पाने के कारण अब तक आगणन उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, इसलिए प्रस्ताव भेजने के लिए कोई भी अधिकारी जिम्मेदार न होने के कारण उनके विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक आसपुर देबसरा के ग्रामों के विद्युतीकरण कराये जाने विषयक प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही

102-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के ब्लाक आसपुर देवसरा के 15 से अधिक ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री का पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम0/98102/04, दिनांक 8-3-04 प्रमुख सचिव, नियोजन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

ग्यारह ग्रामों का विद्युतीकरण कराये जाने हेतु उक्त पत्र दिनांक 08-03-2004 प्राप्त हुआ है ।

शासन द्वारा मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़ तथा मण्डलायुक्त, इलाहाबाद से आगणन चाहें गये हैं ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद मिर्जापुर की तहसील लालगंज के छाहुर मझिगंवा ग्राम को शिव मूर्ति नगर किये जाने पर विचार

103-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना"-

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि मिर्जापुर जिले की तहसील लालगंज के छाहुर मझिगंवा ग्राम की स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय श्री शिवमूर्ति दूबे के नाम से शिवमूर्ति नगर किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्बिका चौधरी-

इस संबंध में नाम परिवर्तित किये जाने के प्रकरण शासन के विचाराधीन नहीं है ।

जनपद चित्रकूट में कर्वी शहर में बारात घर एवं ग्राम रगोली में तालाब को पक्का कराने हेतु दी गयी धनराशि का विवरण

104-श्री आर0 के0 सिंह पटेल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट में बुन्देलखण्ड विकास निधि (जिलांश) से कर्वी शहर के पुरानी बाजार मस्जिद के पीछे बारात घर के निर्माण एवं ग्राम रंगोली में तालाब को पक्का कराने हेतु धन स्वीकृत है ? यदि हां, तो किस कार्यदायी संस्था को कब और कितना धन किस कार्य हेतु दिया गया है ? क्या उक्त कार्य करा दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हाँ ।

विवरण निम्नवत् है :-

कार्यदायी संस्था का नाम	कार्य का नाम	दिनांक	दी गयी धनराशि
1-उ0प्र0 सहकारी निर्माण एवं विकास लि0, इलाहाबाद	पुरानी बाजार कर्वी में जामा मस्जिद के पीछे बारात घर का निर्माण ।	17-8-04	3.24 लाख
2-उ0प्र0 सहकारी निर्माण एवं विकास लि0, इलाहाबाद	छत्रपति शाहू जी महराज इण्टर कालेज के पीछे ग्राम रंगौली में तालाब का पक्का करण एवं घाट निर्माण ।	23-2-05	5.62 लाख

जी नहीं ।

कार्य प्रगति पर है, जिसे पूर्ण किया जाना जून, 2006 तक लक्षित है ।

जनपद वाराणसी में पाण्डेयपुर से कैण्ट लहरतारा नगर तक क्षतिग्रस्त मार्ग के मरम्मत की मांग

105-डा0 सुशील चौधरी-

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि वाराणसी नगर के अंतर्गत पाण्डेयपुर से कैण्ट लहरतारा तक का मार्ग क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो इस मार्ग पर मरम्मत का कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

मार्ग आंशिक लम्बाई में क्षतिगस्त है ।

मरम्मत कार्य प्रगति में है । जिसे माह 2/2006 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के अनेकों मार्गो की मरम्मत कराने की मांग

106-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 3-1-04 जो जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के 21 कार्यो को पूर्ण कराने तथा शेष कार्यो की मरम्मत कराये जाने के संबंध में था, मुख्य विकास अधिकारी, प्रतापगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी हाँ ।

पत्र में अंकित कुल 22 कार्यो में से उक्त पत्र के क्रमांक-4 तथा 10 पर अंकित मार्ग एक ही हैं, इस प्रकार कुल 21 कार्यो में से 09 कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं तथा एक मार्ग स्वीकृत नहीं हुआ है शेष 11 मार्गो को पूर्ण किया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र हस्तिनापुर के ग्राम मकदूमपुर में गंगा नदी पर पुल निर्माण की मांग

107-श्री प्रभु दयाल-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हस्तिनापुर विधान सभा क्षेत्र, जनपद मेरठ के अंतर्गत ग्राम मकदूमपुर में गंगा नदी का पुल बनाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त पुल का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रस्तावित स्थल से अपस्ट्रीम में 35 किमी0 की दूरी पर मध्य गंगा बैराज सेतु एवं डाउन स्ट्रीम में 35 किमी0 की दूरी पर बृजघाट गढ़ मुक्तेश्वर सेतु उपलब्ध है । प्रस्तावित सेतु की पहुंच मार्ग सहित लागत लगभग रु0 39.00 करोड़ है । प्रदेश के सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत स्वीकृति संभव नहीं है।

विधान सभा के पूर्व सदस्य सर्व श्री अनीसुर्रहमान, लालसा, सूरजपाल सिंह, रामेश्वर लाल, जगन्नाथ राव, ब्रजमोहन लाल गुप्ता, हरि प्रसाद उर्फ घमंडी, हरदेव सिंह तथा चौधरी नरेन्द्र सिंह के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री अनीसुर्रहमान का 2 अक्टूबर, 2004 को निधन हो गया । वे लगभग 79 वर्ष के थे । श्री अनीसुर्रहमान का जन्म जनवरी, 1925 में ग्राम माधोपुर में हुआ था । उन्होंने मिडिल तक शिक्षा ग्रहण की थी । श्री अनीसुर्रहमान वर्ष 1962 में निर्वाचन क्षेत्र

टनकपुर, तत्कालीन जिला नैनीताल से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री अनीसुर्रहमान मंडल कांग्रेस कमेटी, अमटिया के उप सभापति एवं कोषाध्यक्ष रहे थे । उहोंने मुस्लिम शिक्षा संस्थाओं के विकास में उल्लेखनीय कार्य किया । वे बालीबाल खेलने में काफी रुचि रखते थे । श्री अनीसुर्रहमान के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री लालसा का 17 नवम्बर, 2005 को निधन हो गया। वे लगभग 76 वर्ष के थे । श्री लालसा का जन्म 15 अक्टूबर, 1929 को हुआ था । उन्होंने हाई स्कूल तक शिक्षा ग्रहण की थी । श्री लालसा वर्ष 1969 में निर्वाचन क्षेत्र नत्थूपुर, जिला आजमगढ़ से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे । तत्पश्चात् वे वर्ष 1980 में निर्वाचन क्षेत्र सरायमीर, जिला आजमगढ़ से पुन: विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे । श्री लालसा ने वर्ष 1942 के स्वतंत्रता आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था । उन्होंने वर्ष 1978 के किसान गन्ना आन्दोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया था तथा जिला कारागार, आजमगढ़ में बन्दी रहे थे । वे कांग्रेस पार्टी के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष तथा कांग्रेस पार्टी के जनपद आजमगढ़ के अध्यक्ष भी रहे । वे श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा मंत्रिमंडल में उपमंत्री के पद पर आसीन रहे थे । समाजसेवी एवं पिछड़े तथा कमजोर वर्गो के उत्थान विषयक कार्यो में उनकी विशेष रुचि थी । श्री लालसा के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री सूरजपाल सिंह का 14 दिसम्बर, 2005 को निधन हो गया । वे लगभग 79 वर्ष के थे । श्री सूरजपाल सिंह का जन्म वर्ष 1926 में ग्राम पतरिया, जिला बदायूं में हुआ था । श्री सूरजपाल सिंह वर्ष 1962 में निर्वाचन क्षेत्र इस्लामनगर, जिला बदायूं से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे । श्री सूरज पाल सिंह अनेक वर्षो तक सरपंच रहे थे । वे प्रजा समाजवादी दल में भी रह चुके थे । उन्हें नये-नये वैज्ञानिक तरीकों से खेती करवाने का बहुत शौक था । इसके अलावा उनको धार्मिक आयोजनों में भाग लेने व धार्मिक साहित्य के अध्ययन में भी काफी रुचि थी । श्री सूरज पाल सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री रामेश्वर लाल का 16 दिसम्बर, 2005 को निधन हो गया । वे लगभग 91 वर्ष के थे । श्री रामेश्वर लाल का जन्म देवरिया के सदर तहसील के अंतर्गत ग्राम मुजहना लाल में हुआ था । श्री रामेश्वर लाल वर्ष 1953 के उप निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र देवरिया (दक्षिण), जिला देवरिया से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे । श्री रामेश्वर लाल ने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था । उन्होंने आजीवन समाजवादी पार्टी के संघर्षो एवं आंदोलनों में योगदान दिया । वे सहकारिता आंदोलन में जनान्दोलन बनाने एवं महिलाओं को सशक्तिकरण हेतु सदैव प्रयासरत रहे । उन्होंने अपने गांव मुजहना लाल में महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति का गठन किया था । प्रसिद्ध समाजवादी श्री रामेश्वर लाल के निधन से प्रदेश ने एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री जगन्नाथ राव का 27 दिसम्बर, 2005 को निधन हो गया वे लगभग 80 वर्ष के थे । श्री जगन्नाथ राव का जन्म वर्ष 1925 में ग्राम आदिपुर, जिला जौनपुर में हुआ था । श्री जगन्नाथ राव ने बी0ए0 तथा एल0एल0बी0 की उपाधि प्राप्त की थी । श्री जगन्नाथ राव वर्ष 1962 एवं वर्ष 1969 में निर्वाचन क्षेत्र मड़ियाहूं, जिला जौनपुर से जनसंघ पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे । श्री जगन्नाथ राव अनेक वर्षो तक जिला जनसंघ के उपाध्यक्ष व राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रचारक भी रह चुके थे । वे वर्ष 1942 में स्वतंत्रता संग्राम में जेल गये थे । उन्होंने

गांधी जी के नमक सत्याग्रह आन्दोलन में भी भाग लिया था । उन्हें देशाटन व बागवानी में विशेष रुचि थी । श्री जगन्नाथ राव के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी खो दिया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री ब्रजमोहन लाल गुप्त का 30 दिसम्बर, 2005 को निधन हो गया । वे लगभग 90 वर्ष के थे । श्री ब्रजमोहन लाल गुप्त का जन्म 1915 में हुआ था । उन्होंने काशी विद्यापीठ, वाराणसी से शिक्षा ग्रहण की थी । श्री ब्रजमोहन लाल गुप्त वर्ष 1962 में निर्वाचन क्षेत्र बांदा, जिला बांदा से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे । श्री ब्रजमोहन लाल गुप्त ने स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था । वे जिला भारत सेवक समाज के संयोजक तथा नगर पालिका के सदस्य थे वे एक प्रसिद्ध आर्य समाजी थे और कई अनाथालयों से संबद्ध थे । भ्रमण तथा तैराकी में उनकी विशेष रुचि थी । श्री ब्रजमोहन लाल गुप्त के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी का 2 जनवरी, 2006 को निधन हो गया । श्री हरि प्रसाद वर्ष 1996 के मध्यावधि चुनाव में निर्वाचन क्षेत्र राबर्टसगंज (अ0जा0), जिला सोनभद्र से निर्दलीय सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे । श्री हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी राजनीतिक और सामाजिक जीवन में काफी सक्रिय थे । वे समाज के पिछड़े वर्ग के उन्नयन हेतु सदैव प्रयत्नशील रहे थे। श्री हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री हरदेव सिंह का 7 जनवरी 2006 को निधन हो गया । वे लगभग 50 वर्ष के थे । श्री हरदेव सिंह का जन्म वर्ष 1956 में तहसील फतेहपुर, जनपद बाराबंकी के ग्राम सरसवाँ में हुआ था । उन्होंने स्नातक तक की शिक्षा ग्रहण की थी । श्री हरदेव सिंह वर्ष 1989 में निर्वाचन क्षेत्र फतेहपुर, जिला बाराबंकी से जनता दल, 1991 में जनता पार्टी तथा 1993 एवं 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे । उनके सार्वजनिक जीवन की शुरूआत एक अध्यापक के रूप में हुई । सामाजिक विषमता को दूर करने के उद्देश्य से वर्ष 1984 में श्री हरदेव सक्रिय राजनीति में आये । श्री हरदेव सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य चौधरी नरेन्द्र सिह का 1 फरवरी, 2006 को निधन हो गया। वे लगभग 68 वर्ष के थे । चौधरी नरेन्द्र सिंह का जन्म 3 अगस्त 1938 को ग्राम धरमगदपुर, जिला कानपुर में हुआ था । उन्होंने स्नातक व एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी । चौधरी नरेन्द्र सिंह वर्ष 1985 तथा 1993 में निर्वाचन क्षेत्र राजपुर, जिला कानपुर देहात से कांग्रेस के टिकट पर एवं वर्ष 1996 में निर्वाचन क्षेत्र राजपुर, जिला कानपुर देहात से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे । वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् एवं राज्य सभा के सदस्य भी रह चुके थे। चौधरी नरेन्द्र सिंह ने लोकनायक जय प्रकाश नारायण के आन्दोलनों में सक्रिय रूप में भाग लिया था तथा आपातकाल के दौरान वे जिला जेल, कानुपर और केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में बन्दी रहे । चौधरी नरेन्द्र सिंह श्री नारायण दत्त तिवारी मंत्रिमंडल, श्री वीर बहादुर सिंह मंत्रिमंडल, श्री कल्याण सिंह मंत्रिमंडल, श्री राम प्रकाश मंत्रिमंडल एवं श्री राजनाथ सिंह मंत्रिमंडल में कैबिनेट स्तर के मंत्री रहे थे वे अखिल भारतीय किसान सम्मेलन, अखिल भारतीय लोक दल के महासचिव तथा लोकदल संसदीय बोर्ड के सचिव भी रहे थे । वे समाज सेवक संघ, कानपुर के संस्थापक, आल इण्डिया रेल सफाई कर्मचारी संघ व अन्य संघों के अध्यक्ष भी रहे । सर्वोदय, स्काउटिंग, जनसेवा, शिक्षा के विकास एवं शोषण के विरुद्ध संघर्ष करने में उनकी विशेष रुचि थी । चौधरी नरेन्द्र सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया ।

अब मैं आग्रह करूंगा कि आप सब खड़े होकर 2 मिनट का मौन धारण करें । (दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए सदन में दो मिनट का मौन रखा गया)

(इस समय 11 बजकर 38 मिनट पर अधिष्ठाता श्री वसीम अहमद पीठासीन हुए) ।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएँ

श्री अधिष्ठाता-

आज दिनांक 02 फरवरी, 2006 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 09 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । प्राप्त सभी सूचनाएं स्वीकार की गई ।

पहली सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह की-लखनऊ स्थित सरकारी कालोनियों/ आवासीय परिसरों के अनुरक्षण खण्डों में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में । (सूचना पढ़ी हुई मानी गई) ।

दूसरी सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की- लखनऊ में पेयजल संकट के समाधान हेतु शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि जल निगम को उपलब्ध कराने के संबंध में ।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

अधिष्ठाता जी, मैं पढ़ना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है ।

लखनऊ में पेयजल संकट के समाधान हेतु शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि जल निगम को उपलब्ध कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके संज्ञान में निम्न अविलम्बनीय लोक महत्व के तथ्यों को लाकर शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शासन के उपेक्षा पूर्ण रवैये के कारण पेयजल का गम्भीर संकट व्याप्त हो गया है । लखनऊ के शहरी विधायकों से शासनादेश दि0 29-4-2005 द्वारा वर्ष 2005-2006 के लिए तथा शासनादेश दिनांक 24-5-2005 द्वारा वर्ष 2004-2005 के लिए 100-100 अर्थात 200 नग इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पम्प लगाने हेतु चयनित स्थानों की सूची मांगी गयी थी । मैंने मध्य विधान सभा लखनऊ में अधिष्ठापित करने हेतु जल निगम के मुख्य अभियन्ता को सूची उपलब्ध करा दिया था किन्तु लगभग 6 माह व्यतीत हो जाने के उपरान्त अभी हैण्ड पम्प अधिष्ठापित नहीं किए गए । मा0 नगर विकास मंत्री के पत्र संख्या-3262/नौ-5-2005-48 नियम/2005 दिनांक 31 अक्टूबर, 2005 के द्वारा सूचित किया गया कि मा0 विधायकों द्वारा चयनित स्थलों पर इण्डिया मार्का-2 हैण्ड पम्पों के अधिष्ठापन एवं रिबोर हेतु कुल रु0 35,08,17,000/- की धनराशि जल निगम को उपलब्ध करा दी गयी है । जबकि वास्तविकता यह है कि यह धन केवल स्वीकृत किया गया है, जन निगम को धन अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है, इस कारण शहरी क्षेत्रों की विधान सभाओं में 200 नग हैण्ड पम्प नहीं लग पा रहे हैं । जिससे पेयजल का संकट बना हुआ है ।

अत: लोक महत्व के अविलम्बनीय जनहित के विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए अविलम्ब धन उपलब्ध कराये जाने की मांग करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता-

तीसरी सूचना श्री श्री पूर्णमासी देहाती की जनपद कुशीनगर के नौरंगिया क्षेत्रान्तर्गत चीनी मिल द्वारा गन्ना किसानों को भुगतान कोआपरेटिव बैंक शाखा खड्डा के माध्यम से कराये जाने के संबंध में है (यह सूचना पढ़ी हुई मानी जाती है ।), चौथी सूचना श्रीमती कृष्णा पासवान की जनपद फतेहपुर के खागा किशनपुर मार्ग पर ससुर खदेरी नदी पर बने जर्जर लोहे के पुल का पुन:निर्माण कराये जाने के संबंध में है (यह सूचना पढ़ी हुई मानी जाती है ।), पांचवी सूचना श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह) की जनपद देवरिया की ग्राम सभा कुण्डौली की सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के आबंटी द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराकर कार्यवाही किये जाने के संबंध में है (यह सूचना पढ़ी हुई मानी जाती है।), छठी सूचना डा0 रमेश चन्द्र बिंद की है, वह उपस्थित नहीं है, सातवीं सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की मेरठ महानगर की मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु फेमवायर डालने की योजना को स्वीकृत कर धन अवमुक्त करने के संबंध में है (यह सूचना पढ़ी हुई मानी जाती है ।), आठवीं सूचना श्री जगदीश नारायण राय की जनपद जौनपुर स्थित सई एवं गोमती नदियों के पानी का शुद्धीकरण कराने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने के संबंध में है (यह सूचना पढ़ी हुई मानी जाती है ।), नवीं सूचना चौधरी महेंद्र सिंह की जनपद अलीगढ़ के कोल क्षेत्रान्तर्गत ग्राम ईकरी नाले पर पुल बनवाये जाने के संबंध में है (यह सूचना पढ़ी हुई मानी जाती है ।)

लखनऊ स्थित सरकारी कालोनियों/आवासीय परिसरों के अनुरक्षण खण्डों में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[मैं मा0 सदन का ध्यान लखनऊ स्थित सरकारी कालोनियों/आवासीय परिसरों के अनुरक्षण खण्डों में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । इन खण्डों में विशेष मरम्मत मद में जो धनराशि राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा स्वीकृत की जाती है, इसका संबंधित खण्ड के अभियन्ताओं द्वारा या तो व्यावर्तन कर अन्य मदों में खर्च कर दिया जाता है या उसका आहरण कर व्ययहरण कर लिया जाता है । संबंधित आवासों में स्वीकृत कार्य या तो कराया ही नहीं जाता है तो अधोमानक । इसी क्रम से संबंधित अध्यासी से सन्तोषजनक रूप से कार्य हो जाने का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर विभाग को प्रस्तुत करने की औपचारिकता भी नहीं की जाती । अनुरक्षण खण्डों के अभियन्तागण निरंकुश हो गये हैं । दृष्टान्त स्वरूप राजकीय कालोनी बादशाह नगर स्थित आवास सं0-यू0-21/1 के अनुरक्षण हेतु विशेष मरम्मत मद में माह जनवरी 2006 में रू0 9065/- की धनराशि स्वीकृत की गयी थी परन्तु 01 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के बाद भी अभी तक उक्त आवास में कोई कार्य नहीं कराया गया है तथा धनराशि का आहरण कर उसका व्यावर्तन/व्ययहरण कर लिया गया है । इस प्रकार की जा रही शासकीय धनराशि की क्षति को रोका जाना आवश्यक है ।

अत: लोकमहत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रकरण की जांच कराकर दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं ।]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद कुशीनगर के नौरंगिया क्षेत्रान्तर्गत चीनी मिल द्वारा गन्ना किसानों को भुगतान कोआपरेटिव बैंक शाखा खड्डा के माध्यम से कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूर्णमासी देहाती-

[आपको अवगत है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र नौरंगिया, जनपद कुशीनगर के अन्तर्गत उ0प्र0 राज्य चीनी निगम लि0 चीनी मिल खड्डा के गन्ना किसानों का गन्ना का मूल्य भुगतान दी सहकारी कसया देवरिया सहकारी बैंक शाखा खड्डा द्वारा किया जाता था जिसमें लगभग 8 हजार किसानों का खाता संख्या है । शाखा के नियमित भुगतान न करने से एडवाइज शाखा बैंक को नहीं भेजा जा रहा है । जिससे किसानों के सामने भुखमरी का संकट पैदा हो गया है । यह समस्या किसानों से जुड़ा हुआ है।

अत: इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चीनी मिल द्वारा क्वापरेटिव बैंक शाखा खड्डा में एडवाइज इस प्रतिबन्ध के साथ भेजवाया जाय कि वह भुगतान संबंधित किसान को ही करेंगे, अथवा खड्डा चीनी मिल गेट पर भुगतान कराये जाने के निर्देश देने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की मांग करता हूं ।]

जनपद फतेहपुर के खागा किशनपुर मार्ग पर ससुर खदेरी नदी पर बने जर्जर लोहे के पुल का पुर्ननिर्माण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती कृष्णा पासवान-

[सादर अवगत कराना चाहती हूं कि खागा-किशनपुर मार्ग पर ससुर खदेरी नदी में ब्रिटिश सरकार द्वारा लोहे का पुल निर्मित है जोकि प्राचीन होने के कारण अत्यन्त जर्जर हो चुका है । तथा कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है ।

उक्त के क्रम में पुल के दक्षिणी ओर यमुना नदी प्रवाहित है जिसके कई घाटों में बालू मोरंग खनन के वृहद क्षेत्र व मत्स्य आखेटक घाट हैं जिससे जनपद को सर्वाधिक करोड़ों रूपये की राजस्व की प्राप्ति होती है तथा इसी पुल के माध्यम से अन्य जनपद एवं प्रदेशों के आवागमन का एक प्रमुख मार्ग है ।

इस महत्वपूर्ण पुल के निर्माण हेतु माह जुलाई, 2005 में शासन को पत्र दिया जा चुका है जिसका प्राक्कलन भी निर्मित होकर विभाग में लम्बित है परन्तु अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

अत: इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए अविलम्ब उक्त पुल का निर्माण कराये जाने की मांग करती हूं ।]

जनपद देवरिया की ग्राम सभा कुण्डौली की सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के आवंटी द्वारा की जा रही अनियमितताओं की जांच कराकर कार्यवाही किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ओम प्रकाश (ओ0पी0 सिंह)-

[जनपद-देवरिया की तह0 सलेमपुर की ग्राम सभा कुण्डौली की सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के आवंटी द्वारा ग्रामीणों को गल्ले का वितरण सुचारू रूप से नहीं किया जा रहा है जिस संबंध में ग्रामीण एवं निर्वाचित तत्कालीन उप प्रधान द्वारा कई बार शिकायती पत्र दिया गया जिसमें [illegible] मय

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

पर जिलाधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी द्वारा जांच के आदेश दिये गये हैं परन्तु अभी तक जांच नहीं की गयी है उप प्रधान के प्रार्थना-पत्र के प्रार्थना-पत्र पर दि0 28/12/2004 को तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा तथा 17/11/2004 को तत्कालीन अपर जिलाधिकारी द्वारा जिला पूर्ति अधिकारी को जांच के आदेश दिये गये हैं । परन्तु अभी तक कोई जांच नहीं की गयी है, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान का आवंटी तत्कालीन ग्राम प्रधान का सगा भतीजा है जो नियमत: नहीं हो सकता है । इस संबंध में तत्कालीन महिला प्रधान द्वारा भी शिकायती प्रार्थना-पत्र दिया गया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई । ग्रामीणों को मिट्टी का तेल एवं बी0पी0एल0 खाद्यान्न का वितरण न कराये जाने से ग्रामीण जनता में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है ।

अत: इस अविलम्बनीय लोक महत्व के सुनिश्चित विषय पर जांच न कराये जाने के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ ही साथ सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं ।]

मेरठ महानगर की मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु फेमवायर डालने की योजना की स्वीकृति कर धन अवमुक्त करने के संबंध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

[मान्यवर, मेरठ महानगर की मार्ग प्रकाश व्यवस्था हेतु फेमवायर डालने की योजना त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत शासन के विचाराधीन है । 1 करोड़ 78 लाख की यह योजना है । इसके स्वीकृत होकर धनराशि अवमुक्त होने से कार्य हो जाने से दिन में स्ट्रीट लाइट जलनी बन्द हो जायेगी, 72 लाख रूपया प्रतिवर्ष विद्युत खपत की बचत होगी ।

मार्ग प्रकाश के उपकरण बल्ब, राड, चोक की आयु में वृद्धि होगी तथा अनुरक्षण व्यय में कमी आयेगी , मार्ग प्रकाश व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण होगा सुधार आयेगा । इस योजना की स्वीकृति होकर तत्काल कार्य होना जनहित में आवश्यक है ।

मैं अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर शासन से योजना को स्वीकृत कर धनराशि अवमुक्त कर कार्यवाही करने की मांग करता हूं ।]

जनपद जौनपुर स्थित सई एवं गोमती नदियों के पानी का शुद्धीकरण कराने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगदीश नारायण राय-

[जनपद जौनपुर में स्थित गोमती नदी व सई नदी का पानी विषाक्त हो रहा है । उसमें अनेक प्रकार की गन्दगी आ गयी है, जिससे उसमें बहने वाला पानी प्रदूषित होकर विषाक्त हो गया है । उसको पीने से पशु तथा व्यक्तियों में कई प्रकार की बीमारी हो रही है । इस पानी को शुद्ध करने की आवश्यकता है ।

अत: इस लोक महत्व के प्रश्न पर मा0 पर्यावरण मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए सई एवं गोमती नदियों के पानी को शुद्धीकरण हेतु प्रभावी कार्यवाही करने की मांग करता हूं ।]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अलीगढ़ के कोल क्षेत्रान्तर्गत ग्राम ईकरी नाले पर पुल बनवाये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

चौ0 महेन्द्र सिंह-

[मेरे विधान सभा क्षेत्र-कोल-अलीगढ़ के विकास खण्ड-धनीपुर के ग्राम-ईकरी नाले पर ग्राम-पिखलोनी से होते हुए शहर जाने के लिए नाले पर पुल न होने के कारण आम जनता एवं राहगीरों को उक्त गन्दे नाले से बरसात के दिन अथवा ठंड के दिनों में उसी नाले में होकर गुजरना पड़ता है । जिससे क्षेत्रीय जनता को आने जाने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है । जिससे क्षेत्रीय जनता में काफी आक्रोश एवं रोष व्याप्त है ।

अत: इस अविलम्बनीय लोकहित के महत्व के विषय पर मैं सदन के माध्यम से मा0 लोक निर्माण मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए ग्राम ईकरी नाले पर पुल बनवाये जाने की मांग करता हूं ।]

जनपद-जौनपुर के ग्राम जलालपुर में हुए नरसंहार के विषय में दि0 24 नवम्बर, 2005 को नियम 51 में ध्यानाकर्षण सूचना पर शासन द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अधिष्ठाता-

आज दिनांक 02 फरवरी, 2006 को नियम-300 के अंतर्गत केवल एक सूचना श्री जगदीश नारायण राय जी की जनपद जौनपुर के ग्राम जलालपुर में हुए नरसंहार के विषय में दिनांक 24-11-05 को नियम-51 के अंतर्गत अभिसूचित सूचना पर जिस पर शासन का ध्यानाकर्षण किया गया था, पर शासन द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने के संबंध में है, प्राप्त हुई है ।

श्री जगदीश नारायण राय-

मान्यवर, इसी विधान सभा के सत्र दिनांक 24-11-05 को मैंने नियम 51 के अंतर्गत एक सूचना दी थी लेकिन आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है । इससे इस सदन की गरिमा पर भी ठेस पहुंचती है और सदन की नियम-प्रक्रिया भी बाधित होती है । इसलिए मैं इस औचित्य के प्रश्न पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

लघु सिंचाई मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री शाकिर अली)-

मान्यवर, इसको दिखवा लिया जायगा और जो आपका निर्देश होगा उस पर कार्यवाही करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता-

इस सदन के आदेशों का कड़ाई से पालन करें ।

नियम 311 की सदन को दी गई सूचना

श्री अधिष्ठाता-

आज दिनांक 02 फरवरी, 2006 को नियम -311 के अंतर्गत माननीय श्री राम इकबाल सिंह एक सूचना प्राप्त हुई जिसे अग्राह्य कर दिया गया है ।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (अट्ठारहवां संशोधन) नियमावली, 2005††

लघु सिंचाई मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री शाकिर अली)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (अट्ठारहवां संशोधन) नियमावली] 2005 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23 (क) की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम, लखनऊ की स्थिति पत्रक एवं लाभ-हानि का लेखा 2003-2004†

सहकारिता राज्य मंत्री (स्व0प्र0) (श्री शारदानंद अंचल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम, लखनऊ की स्थिति पत्रक एवं लाभ-हानि का लेखा 2003-2004 को भण्डारागार अधिनियम, 1962 की धारा 31 की उपधारा (11) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम, लखनऊ के 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखे पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन†

सहकारिता राज्य मंत्री (स्व0प्र0) (श्री शारदानंद अंचल)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य भण्डारण निगम, लखनऊ के 31 मार्च, 2004 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखे पर भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को दि बेयरहाउसिंग एक्ट, 1962 की धारा 31(11) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं ।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-2667/ग्यारह-9-(85)/2003-उत्तर प्रदेश अधि-15-48 नियम-आदेश-(43)-2005, दिनांक 7 सितम्बर, 2005††

लघु सिंचाई मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री शाकिर अली)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-2667/ग्यारह-9-(85)/2003-उत्तर प्रदेश अधि-15-48 नियम-आदेश-(43)-2005, दिनांक 7 सितम्बर, 2005 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश व्यापार कर एक्ट, 1948 की धारा 24 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं ।

कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-23239/ग्यारह-9-(74) 2004-उ0प्र0 अधि-15-48-आदेश-(47)] दिनांक 28 अक्टूबर, 2005††

लघु सिंचाई मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री शाकिर अली)-

मैं आपकी अनुमति से कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-23239/ग्यारह

---

† छापे नहीं गये ।
†† छापी नहीं गयी।

9-(74)2004-उ0प्र0अधि0-15-48-आदेश-(47), दिनांक 28 अक्टूबर, 2005 को उत्तर प्रदेश व्यापार कर एक्ट, 1948 की धारा 3-क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

स्थानीय निधि लेखा परीक्षक विभाग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद का वार्षिक लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1998-1999 एवं 2000†

लघु सिंचाई मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री शाकिर अली)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से स्थानीय निधि लेखा परीक्षक विभाग, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद का वार्षिक लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 1998-1999 एवं 1999-2000 प्रशासनिक खण्ड को उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा-परीक्षा अधिनियम, 1984 की धारा 8 (3) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं ।

श्री अधिष्ठाता-

मद संख्या-9 में कुछ नहीं है इसलिए मद संख्या-10 ले रहे हैं ।

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2005-2006) का प्रथम प्रतिवेदन (खण्ड-1)†

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2005-2006) का प्रथम प्रतिवेदन (खण्ड-1), जो भारत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2001 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) में उल्लिखित परिवहन विभाग से संबंधित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं ।

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2005-2006) का द्वितीय प्रतिवेदन (खण्ड-2)†

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2005-2006) का द्वितीय प्रतिवेदन (खण्ड-2), जो भारत नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2001 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) में उल्लिखित राजस्व विभाग से संबंधित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं ।

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2005-2006) का तृतीय प्रतिवेदन (खण्ड-3)†

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की लोक लेखा समिति (2005-

† छापे नहीं गये ।

2006) का तृतीय प्रतिवेदन (खण्ड-3), जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2000 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (सिविल) में उल्लिखित वन विभाग चीनी उद्योग तथा गन्ना विकास विभाग से संबंधित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं ।

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन संबंधी समिति का 103वां (एक सौ तीनवां) प्रतिवेदन†

श्री जगदीश नारायण राय-

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं, सभापति, सरकारी आश्वासन संबंधी समिति, उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधानसभा की सरकारी आश्वासन संबंधी समिति का 103वां (एक सौ तीनवां) प्रतिवेदन, जो राजस्व नगर विकास, प्राविधिक शिक्षा, सचिवालय प्रशासन, लघु सिंचाई, ग्रामीण अभियंत्रण, भूमि विकास एवं जल संसाधन, आई0टी0 इलेक्ट्रानिक्स, सामान्य प्रशासन,ग्राम्य विकास, गृह तथा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभागों के वर्ष 1981-2004 तक के आश्वासनों से संबंधित है, प्रस्तुत करता हूं ।

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन संबंधी समिति का 104वां (एक सौ चारवां) प्रतिवेदन†

श्री जगदीश नारायण राय-

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं, सभापति, सरकारी आश्वासन संबंधी समिति, उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन संबंधी समिति का 104वां (एक सौ चारवां) प्रतिवेदन, जो महिला कल्याण एवं बाल विकास पुष्टाहार, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ऊर्जा, खाद्य एवं रसद, संसदीय कार्य तथा श्रम विभागों के वर्ष 1984 से 2004 तक के आश्वासनों से संबंधित है, प्रस्तुत करता हूं ।

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन संबंधी समिति का 105वां (एक सौ पांचवां) प्रतिवेदन†

श्री जगदीश नारायण राय-

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं सभापति, सरकारी आश्वासन संबंधी समिति, उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन संबंधी समिति का 105वां (एक सौ पांचवां) प्रतिवेदन, जो कृषि, लोक निर्माण, बेसिक शिक्षा, गृह, बन, पर्यावरण तथा सिंचाई विभागों के वर्ष 1983 से वर्ष 2004 के आश्वासनों से संबंधित है, प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता-

मद संख्या-16 में कुछ नहीं है ।

---

† छापे नहीं गये ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 13 जनवरी, 2006 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 16 जनवरी, 2006 से 03 फरवरी, 2006 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखें जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 16, 17, 18, 19, 20, 23, व 24 जनवरी, 2006 को सदन के उपवेशन न हों ।

2-दिनांक 02 तथा 03 फरवरी, 2006 को सदन के उपवेशन हों ।

3-दिनांक 16 जनवरी, 2006 से 03 फरवरी, 2006 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाय :-

जनवरी, 2006

16 सोमवार	
17 मंगलवार	
18 बुधवार	
19 गुरूवार	
20 शुक्रवार	बैठक नहीं होगी ।
21 शनिवार	
22 रविवार	
23 सोमवार	
24 मंगलवार	
25 बुधवार	
26 गुरूवार	
27 शुक्रवार	
28 शनिवार	बैठक नहीं होगी ।
29 रविवार	
30 सोमवार	
31 मंगलवार	

फरवरी, 2006

01 बुधवार

02 गुरूवार 1-बैठक होगी (निधन के निदेश) ।

2-(क) डॉ लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा-एक घण्टा ।

"इस सदन का निश्चित मत है कि उत्तर प्रदेश राज्य में कन्या भ्रूण हत्या पर अविलम्ब प्रभावी रोक लगाई जाय ।"

(ख) श्री प्रमोद कुमार, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा-एक घण्टा ।

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में पुलिस कर्मियों एवं वैतनिक होमगार्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भांति अवैतनिक होमगार्ड के अधिकारियों

उत्तर प्रदेश विधान सभा

एवं कर्मचारियों की भी सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष कर दी जाय ।"

(ग) "उत्तर प्रदेश के नगर निगमों द्वारा जन सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु मार्ग-दर्शक सिद्धान्त बनाये जाने के संबंध में" डॉ लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर एक घण्टे की चर्चा।

03 शुक्रवार बैठक होगी ।

कृषि मंत्री (डा0 अशोक बाजपेयी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अधिष्ठाता द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है ।"

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो माननीय कृषि मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

प्रदेश के किसानों को डी0ए0पी0 उर्वरक खाद की आपूर्ति न किये जाने से उत्पन्न स्थित के संबंध में श्री प्रमोद कुमार आदि द्वारा दिनांक 24 नवम्बर, 2003 को नियम-56 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर कृषि मंत्री का वक्तव्य

कृषि मंत्री (डा0 अशोक बाजपेयी)-

रबी की बुवाई को ध्यान में रखकर प्रदेश में फास्फेटिक उर्वरकों की कमी न हो....

लघु सिंचाई मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री शाकिर अली)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये ।

श्री जगदीश नारायण राय-

इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है ।

(सदन की सहमति से संलग्न वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

डा0 अशोक बाजपेयी-

[इसलिए रबी सीजन हेतु डी0ए0पी0 की 10,50,000 मी0टन तथा एन0पी0के0 के 5,00,000 मी0टन मात्रा पूरे प्रेदश में उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है जबकि गत वर्ष 2004-2005 सीजन हेतु डी0ए0पी0 की 9,50,000 तथा एन0पी0के0 का 4,50,000 मी0टन वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था । इस वर्ष कुल 46 लाख मी0टन0 उर्वरक वितरण का लक्ष्य रखा गया है जो गत वर्ष की तुलना में 4.55 लाख मी0 टन अर्थात 11 प्रतिशत अधिक है । इस वर्ष के लक्ष्य के सापेक्ष नवम्बर,

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

2005 तक पूरे प्रदेश में डी0ए0पी0 की 7,50,000 मी0टन तथा एन0पी0के0 की 4,82.000 मी0 टन तथा सिंगल सुपर फास्फेट की 92,000 मी0टन मात्रा उपलब्ध करायी जा चुकी है जो निर्धारित लक्ष्य का 58 प्रतिशत है तथा गत वर्ष इसी अवधि में उपलब्धता के सापेक्ष 6.151 लाख मी0टन अधिक है । 15 जनवरी, 2006 तक डी0ए0पी0 की 10,27,769 मी0टन एन0पी0के0 की 8,43,374 मी0टन तथा सिंगिल सुपर फास्फेट की 1,22,638 मी0टन मात्रा उपलब्ध करायी जा चुकी है जो निर्धारित लक्ष्य का 117.18 प्रतिशत है और गत वर्ष की इसी अवधि की उपलब्धता के सापेक्ष 3.59 लाख मी0टन अधिक है ।

रबी फसलों की बुवाई के समय आवश्यक फास्फेटिक एवं पोटाशयुक्त उर्वरकों की कुल उपलब्धता 14.41 लाख मी0टन नवम्बर के अन्त तक सुनिश्चत कर ली गई थी जबकि गत वर्ष की इसी अवधि में मात्र 9.33 लाख मी0टन की खपत हुई थी । यह उपलब्धता 15 जनवरी, 2006 तक 21.80 लाख मी0टन तक की हो गयी है जबकि गत वर्ष इसी अवधि में 13.28 लाख मी0टन की खपत हुई थी । स्पष्ट है कि गत वर्ष की खपत के सापेक्ष इस वर्ष फास्फेटिक एवं पोटाशयुक्त उर्वरकों की उपलब्धता 8.52 लाख मी0टन अधिक है । रबी फसलों में टाप-ड्रेसिंग के रूप में यूरिया का उपयोग होता है । इस वर्ष यूरिया की उपलब्धता 23.54 लाख मी0टन है जबकि गत वर्ष इसी अवधि में यूरिया की उपलब्धता 20.74 लाख मी0टन तथा खपत 15.77 लाख मी0टन थी । इस प्रकार गत वर्ष की अपेक्षा यूरिया उर्वरक की उपलब्धता भी 2.80 लाख मी0टन अधिक है ।

जहां तक जनपद रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, बस्ती, कानपुर, इलाहाबाद, अलीगढ़, सहारनपुर एवं झांसी में डी0ए0पी0 की भारी कमी का प्रश्न है, डी0ए0पी0 एवं एन0पी0के0 के रबी सीजन के लिए निर्धारित लक्ष्य के विपरीत नवम्बर, 2005 तक और 15 जनवरी, 2006 तक उपलब्धता निम्नवत् है :-

मात्रा (मी0टन में)

क्रमांक	जनपद का नाम	निर्धारित लक्ष्य	उपलब्धता नवम्बर, 2005	प्रतिशत	उपलब्धता जनवरी, 2006	प्रतिशत
1.	रायबरेली	24683	17367	70	44326	180
2.	सुल्तानपुर	22215	14908	67	23398	105
3.	प्रतापगढ़	19333	16225	84	20958	108
4.	बस्ती	13692	16330	119	24887	182
5.	कानपुर (नगर)	26477	34967	132	34698	131
6.	कानपुर (देहात)	14465	10123	70	17219	119
7.	इलाहाबाद	36475	26164	72	38378	105
8.	अलीगढ़	29344	33119	113	43352	148
9.	सहारनपुर	30578	19501	64	26107	85
10.	झांसी	17842	26167	147	27124	152

उपर्युक्त जनपदों सहित पूरे प्रदेश में किसानों को रबी फसल की बुवाई में किसी प्रकार के रासायनिक उर्वरक संबंधी संकट का सामना न करना पड़े, इस हेतु विभिन्न जनपदों में उर्वरक की रैक भेजने हेतु उर्वरक कम्पनियों के शीर्ष अधिकारियों से सम्पर्क बनाये रखा जा रहा है । कम्पनी के प्रतिनिधियों

के साथ नियमित समीक्षा की जा रही है । इसके अतिरिक्त जनपद/मण्डल स्तर एवं शासन स्तर पर आपूर्ति की समीक्षा बराबर की जा रही है ।

उपरोक्त के अतिरिक्त शासन द्वारा बीज व्यवस्था तथा फसल आच्छादन की नियमित समीक्षा की जा रही है ताकि कहीं भी बीज एवं उर्वरक की कमी न होने पावे । प्रदेश सरकार द्वारा रबी फसलों की समय से बुवाई हेतु इस वर्ष कुल 20.75 लाख कुंतल प्रमाणित/गुणात्मक बीज उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है जिसके सापेक्ष दिनांक 25 नवम्बर, 2005 तक 20.11 लाख तथा 15 जनवरी, 2006 तक 22.02 लाख कुंतल रबी प्रमाणित बीज प्रदेश में उपलब्ध हो चुका है जबकि गत वर्ष इन्हीं अवधि में क्रमश: 18.22 लाख तथा 19.12 लाख कुन्तल बीज उपलब्ध कराया जा सका था । बीजों की व्यवस्था में इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि क्षेत्र विशेष की कृषि जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप संस्तुत प्रजातियां यथासम्भव उपलब्ध करायी जायें ।

उपर्युक्त प्रयासों से रबी 2005-2006 में कुल 124.00 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर रबी की विभिन्न फसलों के आच्छादन का लक्ष्य प्राप्त किए जाने की कार्यवाही की जा रही है । यह लक्ष्य गत वर्ष की तुलना में 1.00 लाख हेक्टेयर अधिक है । निवेशों की सामयिक उपलब्धता एवं प्रदेश सरकार द्वारा रबी अभियान की सघन समीक्षा के फलस्वरूप नवम्बर, 2005 के अन्त तक 78.18 लाख तथा 15 जनवरी, 2006 तक 124.63 लाख हेक्टेयर क्षेत्राच्छादन हो चुका है जबकि गत वर्ष इसी अवधि में क्रमश: 76 लाख हेक्टेयर तथा 122.30 लाख हेक्टेयर आच्छादित हुआ था ।

मा0 सदस्य विधान सभा श्री राम इकबाल सिंह द्वारा संदर्भित तथ्यों के संदर्भ में प्रेस एवं विभिन्न माध्यमों से जानकारी मिलने पर जिलाधिकारी, बलिया द्वारा विस्तृत जांच कराई गई । जांच के आधार पर पी0सी0एफ0, बलिया के भण्डारनायक, श्री हरेन्द्र यादव के विरुद्ध थाना कोतवाली, बलिया में धारा-467, 468, 469, 419, 420 आई0पी0सी0 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा-3/7 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 21 नवम्बर, 2005 को दर्ज करा दी गई है एवं जनपद बलिया के पी0सी0एफ0 के जिला प्रबंधक, श्री राधे श्याम, गणक, श्री भरत यादव को निलंबित किया जा चुका है ।

वर्तमान में जनपद बलिया में उर्वरकों का कोई संकट उत्पन्न न हो तथा वितरण व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो, इसलिये मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जो सामयिक आपूर्ति का अनुमोदन एवं अनुश्रवण लगातार कर रही है साथ ही खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा उर्वरक प्राप्तकर्ताओं को नामित कर्मचारियों द्वारा वितरण सम्पन्न कराया जा रहा है । नवम्बर, 2005 तक डी0ए0पी0 एवं एन0पी0के0 काम्प्लेक्स के 11581 मी0टन के कुल लक्ष्य के सापेक्ष 13,349 मी0टन (115 प्रतिशत) उपलब्धता सुनिश्चित की जा चुकी थी जो 15 जनवरी 2006 तक 16341 मी0टन (141 प्रतिशत) पहुंच गयी है । जनपद बलिया में लक्ष्य के सापेक्ष पोटाश 2591 मी0टन तथा यूरिया 28779 मी0टन उपलब्ध है जो लक्ष्य के सापेक्ष क्रमश: 87 प्रतिशत एवं 76 प्रतिशत है । इस प्रकार जनपद बलिया में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है ।]

उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) (संशोधन) विधेयक, 2006†

लघु सिंचाई मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री शाकिर अली)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

---

† दिनांक 2-2-2006 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री शाकिर अली-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय कर) (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006†

लघु सिंचाई मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री शाकिर अली)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

लघु सिंचाई मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री शाकिर अली)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश किंग जार्ज दन्त विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2006†

लघु सिंचाई मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री शाकिर अली)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री शाकिर अली-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करता हूं।

---

†दिनांक 2-2-2006 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2006†

लघु सिंचाई मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री शाकिर अली)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री शाकिर अली-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2006†

लघु सिंचाई मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री शाकिर अली)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री शाकिर अली-

[illegible] आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुर:स्थ[illegible]रता हूं ।

उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2006†

लघु सिंचाई मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री शाकिर अली)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

---

† दिनांक 2-2-2006 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री शाकिर अली-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुर:स्थापित करता हूं ।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 2 फरवरी, 2006 को नियम 56 के अन्तर्गत कुल 8 सूचनाएं प्राप्त हुयी । पहली सूचना श्री जगदम्बिका पाल जी की है ।

***श्री जगदम्बिका पाल-**

मान्यवर, सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में बोर्ड की परीक्षाएं 4 मार्च से शुरू हो रही हैं । लगभग 25 लाख छात्र-छात्राएं बोर्ड की परीक्षाओं में सम्मिलित होने जा रहे हैं, एक माह भी समय नहीं रह गया है । जिस तरह से पूरे प्रदेश में बिजली कटौती हो रही है यहां तक कि राजधानी लखनऊ में जिस तरह से अघोषित कटौती हो रही है उससे पूरे प्रदेश में ऐसी विषम परिस्थितियां पैदा हो गयी हैं । अधिष्ठाता महोदय, आप इसे कृपया कार्यस्थगन में प्राथमिकता के आधार पर इसकी ग्राह्यता को सुनने का अवसर दें ।

(इस समय 12 बजकर 2 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुन: पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय, मैने नियम 56 में एक महत्वपूर्ण विषय दिया है । यह पूरे प्रदेश के लाखों छात्र-छात्राओं के भविष्य से जुड़ा हुआ है । पूरे प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं से महत्वपूर्ण और कोई विषय नहीं है । और कदाचित एशिया में ही नहीं पूरी दुनिया में किसी भी देश में इक्जामिनिंग बाडी में उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सबसे बड़ी इक्जामिनिंग बाडी है । जिसमें एक साथ 20-30 लाख छात्र-छात्राएं परीक्षा में सम्मिलित होते हों इतना बड़ा बोर्ड और पूरे प्रदेश में लाखों छात्र-छात्राओं का एक साथ इक्जामिनेशन लेता हो उसकी एक अच्छी क्रेडिबिलिटी है उसने 4 मार्च की एक तिथि घोषित कर दी है । पूरे प्रदेश में परीक्षाओं की तैयारियों के लिए अभिभावक चिन्तित हैं, छात्र-छात्राएं चिन्तित हैं। आज पूरे प्रदेश में बिजली की आपूर्ति 14 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में देने की बात कही गयी है, जो केवल दिवास्वप्न साबित हो रहा है । आज पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालय हैं, शहरी क्षेत्र हैं शाम होते ही बिजली चली जाती है और देर रात दो बजे आती है बस्ती सिद्धार्थनगर सभी स्थानों पर यही स्थिति है। आप स्वयं इस बात से सहमत हैं कि जब छात्र-छात्राएं सो जाती हैं तब बिजली आती है और सुबह 5 बजे फिर बिजली कट जाती है । सुबह 5.00 बजे से छात्र छात्राएं पढ़े या शाम को पढ़े यही समय पढ़ने का समय है, उस समय ही बिजली कटौती होती है । तो इससे पूरे प्रदेश के लाखों छात्र-छात्राओं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

का भविष्य अंधकार में है । इससे ज्यादा लोकमहत्व का और कोई विषय नहीं हो सकता है । सुनिश्चित इसलिए है कि बोर्ड की परीक्षाओं की तिथि निर्धारित हो चुकी है और अविलम्बनीय इसलिए है कि 4 मार्च से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो जायेगी । बोर्ड ने अभी 4 मार्च को परीक्षा की तिथि घोषित की है और उसके बाद यह सदन का पहला दिन है इसलिए यह अविलम्बनीय लोकमहत्व का और तात्कालिक है । आज गांवों में बिजली नहीं मिल रही है, शहरों में बिजली नहीं मिल रही है । मिट्टी का तेल ही उपलब्ध हो जाता तो लोग लालटेन और ढिबरी से पढ़ सकते हैं लेकिन मिट्टी के तेल की मिलावट डीजल और पेट्रोल में हो रही है और मिट्टी का तेल ब्लैक में 30 रूपये में बिक रहा है । आज छात्र-छात्राओं को मिट्टी का तेल भी नहीं उपलब्ध हो रहा है और बिजली नहीं आती है । अभी आपने देखा है कि नियम 301 में लखनऊ के सम्मानित विधायक ने जलापूर्ति के संकट की तरफ, लखनऊ की राजधानी के जल संस्थान की तरफ ध्यान आकर्षित किया। बिजली की आपूर्ति से वाटर सप्लाई की भी व्यवस्था सुनिश्चित होती है और जब शहरों मे बिजली की कटौती हो रही है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी 3 दिन पहले बिजली विभाग की समीक्षा की थी और सभी जगह यह प्रकाशित हुआ, उन्होंने इस बात की चिन्ता व्यक्त की कि राज्य सरकार द्वारा जो 14 घन्टे बिजली देने का वायदा है, वह पूरा नहीं हो पा रहा है, इसके लिये उन्होंने चेतावनी भी दी, लेकिन उनकी चेतावनी के बावजूद भी बिजली आपूर्ति में कोई सुधार नहीं हुआ है। जब मुख्य मंत्री जी भी इस बात को स्वीकार करें कि 14 घन्टे बिजली नहीं मिल रही है और बिजली अधिकारियों को चेतावनी के बावजूद भी सुधार न हो, बिजली कटौतियाँ लगातार हो रही हैं । गांव में बिजली मिल नहीं रही है । ट्रांसफामर बदले नहीं जा रहे हैं, कुल मिलाकर स्थिति अत्यन्त विस्फोटक है, इसलिये इसकी ग्राह्यता है, आप इसे स्वीकार करें।

श्री अध्यक्ष-

प्रमोद जी, आप भी बोलेगें, हालाँकि आपका नाम इसमें नहीं है।

***श्री प्रमोद कुमार-**

मान्यवर, मैं सिर्फ इसलिये कहना चाहता हूँ कि अगर पावर सेक्टर, बिजली की अनुपलब्धता होगी तो उत्तर प्रदेश में न उद्योग पनप सकते हैं, न कृषि पनप सकती है और न शहरी जिन्दगी चल सकती है। यह अत्यन्त गंभीर विषय है, बोर्ड परीक्षायें घोषित हो गयी हैं, मार्च में यह होनी है, बीच में सिर्फ फरवरी का महीना है। बिजली की उपलब्धता की स्थिति कागज पर चाहे जो हो, मैं नहीं जानता लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं और मुझे बताया जाय कि पिछली बार जो सरकार ने आश्वासन दिया था कि आने वाले दिनों मे बिजली की उपलब्धता बढ़ेगी। उस पिछले डेढ़-दो साल में विद्युत उत्पादन कितना बढ़ा? अगर उत्पादन नहीं बढ़ा, उपलब्धता नहीं हुयी तो यह बात कहना ही बेकार है कि 14 घन्टे बिजली मिल रही है, 16 घन्टे बिजली मिल रही है। मैं समझता हूं कि अभी आपने एक मेगावाट भी अतिरिक्त उत्पादन प्रारम्भ नही किया है। मैं जानना चाहता हूं कि गैस आधारित बिजली परियोजना, दादरी की स्थिति क्या है। इसके अलावा जो अन्य योजनायें हैं, उनकी स्थिति क्या है। हम यह जानने को उत्सुक हैं कि पिछले वर्ष और इस साल बिजली उत्पादन में कितनी वृद्धि हुयी है। जब तक उत्पादन में वृद्धि नहीं होगी, तब तक उसका वितरण नहीं हो सकता। बिजली ने मिलने से सिर्फ यही संकट नहीं आयेगा, जो दिसम्बर में मानसून आता था जिससे सिंचाई हो जाती थी, इस बार वह भी बुरी तरह फेल्योर हो गया तो अभी रबी में सिंचाई की जरूरत पड़ेगी और इसके तुरन्त बाद मड़ाई शुरू हो जायेगी। इस प्रकार आने वाले 3-4 महीने चुनौती के होंगें। जब माननीय मुख्य मंत्री जी को यह स्वीकार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करना पड़ा है कि 14 घन्टे बिजली नहीं मिल रही है तो यह अत्यन्त गंभीर प्रकरण है। हमे किसी अधिकारी से कोई शिकायत नहीं है, किसी व्यक्ति से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन विद्युत उत्पादन की स्थिति क्या है, मैं इस पर सरकार का आश्वासन चाहता हूं। विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होनी चाहिये।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

कुछ क्षेत्रों में तो परेशानी है, लेकिन जैसा माननीय नेता सदन ने घोषणा की थी, उस हिसाब से स्थिति बेहतर हुयी है। अगर पूरे उत्तर प्रदेश में हम देखेंगे तो स्थिति पहले से बेहतर है और जहाँ भी कमी है, उस पर और गौर कर लिया जायेगा। माननीय सदस्यों ने जिस तरह इंगित किया है, उसको दिखवा लेगें।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैं बोर्ड परीक्षाओं के सन्दर्भ में जानना चाहता हूं।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

नेता कांग्रेस अच्छी तरह जानते हैं, उनका विशेष ख्याल रखा जाता है, हमारे सहयोगी हैं, समर्थक हैं, उनके लिये अलग से ध्यान रखा जायेगा।

श्री प्रमोद कुमार-

मैं सिर्फ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, बोर्ड की परीक्षायें होने वाली हैं और शाम को 6 बजे से रात 10 बजे तक विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होनी चाहिये।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

इसका परीक्षण करा लेगें। जाहिर है बोर्ड की परीक्षायें बच्चों की हैं, उनको बिजली मिले, उसका परीक्षण करा लेगें।

श्री अध्यक्ष-

इस सूचना पर श्री जगदम्बिका पाल, श्री प्रमोद कुमार और माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अस्वीकार करता हूँ।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, प्रदेश में बिजली मिल नहीं रही है और विद्युत आपूर्ति में कोई सुधार नहीं हो रहा है, इसलिये मैं और मेरा दल इसके विरोध में सदन का बहिष्कार करते हैं।

(शासन के उत्तर से असन्तुष्ट होकर श्री प्रमोद कुमार ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन का बहिष्कार किया)

(इस बीच श्री राम प्रकाश त्रिपाठी द्वारा खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करने पर-व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

चुनाव आने दीजिये, तब इसको उठाइयेगा।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी-

मान्यवर, सत्तारूढ़ दल का कोई ब्लाक प्रमुख है नहीं।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये, माननीय टण्डन जी को बोल लेने दीजिये।

***नेता विरोधी दल (श्री लाल जी टण्डन)-**

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में एक बड़ी अराजकता की स्थिति पैदा हो गई है। शत्रु सम्पत्ति विभाग, नवाब अमीर अली खाँ की जो सम्पत्ति थी, वह यहाँ पर है और वह पाकिस्तान के नागरिक हो गये थे। तत्कालीन कानून के आधार पर उसे शत्रु सम्पत्ति घोषित किया गया था, लेकिन अब न्यायालय के आदेश के अनुसार वह उन्हें वापस करने के आदेश हुए हैं, न्यायालय के आदेश पर तो दो-मत नहीं हो सकते, वह उनका अधिकार है, उन्होंने जो भी किया, जैसे भी किया, लेकिन जो इसके अन्दर और बातें छिपी हुई हैं कि तीन जिलों के कलेक्टर के आफिस, एस0एस0पी0 के आफिस, मुंसिफ का दफ्तर, अस्तपाल, पॉलिटेक्निक जैसी कितनी चीजों को मैं गिनाऊं, चीनी मिल, कताई मिल, अस्पताल, तहसील, मुंसिफ कार्यालय, जवाहर लाल नेहरू पॉलिटेक्निक, फखरूद्दीन अली अहमद पी0जी0 कालेज, डान-बास्को स्कूल, गिरजाघर, मिशन अस्पताल, सरकारी अस्पताल, बस-स्टैण्ड, मत्स्य पालन केन्द्र, जो वर्ल्ड बैंक की योजना के अन्तर्गत बनाया गया था, फल उद्यान केन्द्र और अनेकों सरकारी कार्यालय और रिहायशी मकान, जो अभी तक पाकिस्तानी शरणार्थियों के कब्जे में होने के कारण शत्रु सम्पत्ति विभाग में थे, एकदम से इनको अनियमित तरीके से खाली कराया जा रहा है।

मान्यवर, सम्पत्ति ट्रांसफर होना एक बात है और उस पर कब्जा देना दूसरी बात। कब्जा देने में अनेकों कानून लगेंगे, डेढ़ हजार एकड़ जमीन है, महमूदाबाद से लेकर सीतापुर तक। क्या अरबन सीलिंग इसमें लागू होगी या नहीं। इसी तरह से बहुत सी बिल्डिगें हैं, जिसमें अनेकों किरायेदार वर्षों से रह रहे हैं, आजादी के वक्त से रह रहे हैं। आज उन्हें आप निकाल देंगे, रेंट कंट्रोल कानून उनके लिए लागू होगा या नहीं होगा। उस जमीन के ऊपर जो सरकार ने बिल्डिंगें बनायी हैं, वर्ल्ड बैंक ने बनायी हैं उनका क्या होगा? उन बिल्डिंगों को आप तोड़ देंगे या बिल्डिंग भी दान में दे देंगे। इसलिए कि पाकिस्तान बनवाने के लिए स्वर्गीय नवाब साहब, जो पाकिस्तान बाद में गये, इसमें शुरू में यह हुआ कि मुस्लिम लीग ने, जिस समय उनके पास पैसा नहीं था, तो लीग ने नवाब साहब को अपना ट्रेजर बना दिया। जो यहाँ से पैसा उनको भेजते रहे और उससे मुस्लिम लीग का काम चलता रहा, आन्दोलन चलता रहा। जब पार्टीशन हुआ तो उस समय वह कुछ दिन वहां नहीं गये, क्योंकि यदि उस समय वहां चले जाते तो यह सम्पत्ति अपने आप अवैतनिक सम्पत्ति घोषित हो जाती और सरकार में मिल जाती। इसे बचाने के लिए वह यहां पर रूके रहे, उसके बाद वह पाकिस्तान चले गये और वहां की नागरिकता ले ली। सन् 1965 में जब युद्ध हुआ तो पाकिस्तान में जो भारतीयों की सम्पत्ति थी, उसे पाकिस्तान ने एव्वायर कर लिया या किसी कार्यालय आदि के लिए दे दिया। यहां भी शत्रु सम्पत्ति का वही कानून अप ाया गया और यहां भी वह सम्पत्ति इस तरह से आ गयी। अब इसमें कितने विभाग आते हैं। बटलर पैलेस है वह धरोहर प्रापर्टी है, वह इतिहास है, उसके अन्दर देश के सबसे बड़े फिलास्फी की लाइब्रेरी थी, दर्शन शास्त्र की दुर्लभ पुस्तकें थीं, उनको गट्ठर में बांध दिया गया और वह जाने कहां गयी। उस लाइब्रेरी को खाली करा लिया गया। एक फैसले के आधार पर सभी कुछ खाली कराकर दे दिया जायेगा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है कि अगर पार्टी की ओनरशिप चेंज होती है, ट्रांसफर होती है तो जो उसके ऊपर काबिज है, सुसंगत कानून के अनुसार ही उसके साथ व्यवहार किया जायेगा। जो किरायेदार हैं उनके ऊपर रेण्ट कण्ट्रोल लागू होगा, जो सीलिंग में है उस पर सीलिंग रूल लागू होगा, जो पुरातत्व विभाग का है, उस पर पुरातत्व विभाग का अधिकार होगा । जिस पर एक तरफ सरकार का कब्जा रहा वह कानून के अन्तर्गत रहा, अवैध कब्जा सरकार का नहीं रहा । उन्हें अगर उस रूप में दे दिया जायेगा तो क्या होगा ? उन किसानों का, उन किरायेदारों का क्या होगा जो रह रहे हैं, उन लोगों का क्या होगा? यह एक बड़ी गम्भीर स्थिति पैदा हो गयी हे । इसमें सरकार को स्पष्ट आश्वासन देना चाहिए कि वह सुसंगत कानून जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके अनुसार ही कोई प्रापर्टी ट्रांसफर होगी ।

***श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-**

माननीय अध्यक्ष जी, यह मेरी विधान सभा क्षेत्र महमूदाबाद सीतापुर से जुड़ा हुआ है और राजा महमूदाबाद की सम्पत्ति से संबंधित है, इसलिए मुझे भी दो मिनट सुन लें ।

मान्यवर, अभी टण्डन जी ने राजा महमूदाबाद की सम्पत्तियों के बारे में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिये गये निर्णय के उपरांत अपनी बात रखी । मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि सीतापुर, लखीमपुर, बाराबंकी और लखनऊ के अलावा जो सम्पत्तियां उत्तर प्रदेश के बाहर हैं, हमारा आपका बहुत ज्यादा संबंध उससे नहीं है । हमारा आपका संबंध केवल इन 4 जनपदों से है । उन पर कब्जे से किसानों और किरायेदारों में भय और आतंक व्याप्त है । सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद राज्य सरकार के अधिकारी/ कर्मचारी जा करके नोटिस दे रहे हैं और नोटिस देने के उपरांत कई लोगों के मकान खाली करा लिये गये हैं, किसानों की लगी फसल को जोत रहे हैं । महमूदाबाद विधान सभा क्षेत्र में मत्स्य विभाग की हैचरी खाली करा ली गयी है, मछलियों के छोटे-छोटे बच्चे तड़प-तड़प कर मर गये हैं । मैं आपके माध्यम से सरकार से केवल इतना निवेदन करना चाहूंगा कि कांग्रेस ने बहुत गन्दा खेल खेला है । शत्रु-सम्पत्ति जब अधिग्रहित की गयी तब कांग्रेस की सरकार थी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी के समय उस व्यक्ति के पक्ष में 25 फीसदी सम्पत्ति कैबिनेट के फैसले से रिलीज कर दी गयी । एक तरफ 1962 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने यह निर्णय लिया, वही यह फैसला भारत देश के विरुद्ध है । उसी कांग्रेस द्वारा 25 फीसदी सम्पत्ति वापस करने का निर्णय लिया गया केन्द्र में कांग्रेस की गवर्नमेंट है और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद कांग्रेस की सरकार के जो भी महाधिवक्ता रहे होंगे, जो भी इस केस को देख रहे होंगे, शायद उन्होंने यह नहीं बताया होगा कि उस जमीन पर चीनी मिल है, तहसील बनी है, मछली फार्म है, डिग्री कालेज है, गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक है, मुंसिफ कोर्ट है, रजिस्ट्री आफिस है, पुलिस चौकी है, और राज्य सरकार के कर्मचारियों के आवास बने हुये हैं । इसके साथ ही 956 एकड़ भूमि कृषि योग्य जमीन किसानों को शत्रु सम्पत्ति के रूप में अधिकारियों ने दे दिया था उस जमीन पर फसल लगी है । उन फसलों को जोता जा रहा है । डिग्री कालेज और पॉलीटेक्निक कालेज के छात्र आन्दोलित हैं ।

किसान परेशान हैं कि उनके गन्ने का क्या होगा । हजारों की तादाद में चीनी मिल के कर्मचारी परेशान हैं कि उनका क्या होगा । मैने व्यक्तिगत तौर पर मा0 मुख्य मंत्री जी से और आपसे भी रिक्वेस्ट की थी। यह बहुत ज्वलंत मामला है । सीतापुर के पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी और सी0एम0ओ0 के आवास भी उनकी संपत्ति के अंतर्गत आ गये हैं । 1947 में जो पाकिस्तान से रिफ्यूजी आये थे भारत सरकार ने उनको प्रेम नगर में बसाया था । 700 परिवारों को जमीन पट्टे पर दी थी और उनसे पैसा भी

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

प्राप्त किया था । उन परिवारों को निकाला जा रहा है । इसी तरह से लखीमपुर, बाराबंकी, लखनऊ में बटलर पैलेस जहां पर लाइब्रेरी है और हजरतगंज में तमाम लोग हैं जो पचासों वर्षो से प्रापर्टी का किराया दे रहे हैं, आज उनके सामने रोजी-रोटी की समस्या खड़ी हो गयी है । हमारा विनम्र आग्रह है कि राज्य सरकार को आप निर्देश दें कि जो लोग पचासों वर्षो से ऐसी प्रापर्टीज में किराये पर रह रहे हैं उनको न्याय दिया जाय । राजा अमीर मोहम्मद खां के पूर्वज, पिता, दादा ने जो संपत्तियां किराये पर दी थीं उनको खाली करने को कहा जा रहा है । मेरा आपसे आग्रह है कि ऐसी व्यवस्था करावें कि जो सरकारी प्रतिष्ठान हैं, जो जमीन के जोतदार हैं उनको न्याय मिल सके । सुप्रीम कोर्ट के सामने केन्द्र सरकार ने जानबूझकर अपना पक्ष नहीं रखा जिससे लाखों परिवारों के सामने रोजी रोटी का खतरा खड़ा हो गया है, सरकारी इंडस्ट्रीज उजड़ जायेंगी, शिक्षा केन्द्र उजड़ जायेंगे । हमारा अनुरोध है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस मामले को निस्तारित कराने की कृपा करें ।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, बहुत ही गम्भीर मामले को नेता प्रतिपक्ष ने आज सदन में उठाया है । लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है लगभग एक महीने पूर्व इसी मामले पर प्रेस से बात हो रही थी वहां आपने इस मामले में बात भी उठायी थी । माननीय सदस्य की कांस्टीटुयेंसी का मामला है इस एतबार से भी उनकी परेशानी वाजिब है । सीतापुर, लखनऊ में बहुत सी प्रापर्टीज हैं जिनका यह डिस्प्यूट है । चूंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट का है और जो फैसला है उसको लागू करने का आदेश है लकिन उसको लागू करने के लिये प्रदेश सरकार की तरफ से किसी तरह का दबाव हो ऐसी बात नहीं है, अभी तक । कुछ बातें यहां नहीं कही जा सकती हैं लेकिन इस बात की कोशिश जारी है कि किसी को बेघर न किया जाय और कोई कार्यालय न हटाया जाय । ऐसा कोई रास्ता निकल सके जिससे संपत्ति का अधिकार भी रहे और उन्हें अपनी संपत्ति का कोई बाजिब मुआवजा मिल सके अपने निजी तौर पर बातचीत करके । जाहिर है कि इतने लंबे अरसे से जो वहां रह रहे हैं उनको वहां से हटाया जाना और बेदखल किया जाना आसानी से संभव नहीं है । यह एक कड़ी कठिन समस्या भी है । इसके निदान की जो भी कोशिश हो सकती है वह अपने तौर पर हो रही है और इससे ज्यादा कुछ कहना संभव नहीं है क्योंकि यह सर्वोच्च न्यायालय का मामला है । लेकिन कोई ऐसे सबूत नहीं मिले हैं जिससे कोई कठिनाई अभी खड़ी हुयी हो,बातचीत अलबत्ता चल रही है ।

श्री लालजी टंडन-

बटलर पैलेस में जो लोग रह रहे थे उनको हटा दिया गया है ।

श्री मोहम्मद आजम खां-

वह कोई पक्की इमारत नहीं थी जैसे झुग्गी-झोपड़ी फुटपाथ पर होती हैं और जो इन्क्रोचमेंट टाइप होता है केवल वही हुआ है, यह मेरी इत्तला में है । यह मुकदमा बहुत लंबे अरसे से चला आ रहा है और ऐसी जो सरकारें रही हैं वह मजबूत पैरवी कर सकती थीं । अब इस समय यह नहीं कहा जा सकता है कि पिछले चालीस सालों तक इस मुकदमें की पैरवी ठीक तरह से हुई या नहीं ।

श्री लालजी टंडन-

आपको भी रिव्यू के लिये सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिये था ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

इसमें लीगैलिटी देखनी होगी ।

श्री लालजी टंडन-

कहीं पर कलेक्टर आफिस नहीं बने हैं वहां पर क्या होगा कितना पैसा इन भवनों को बनाने में सरकार का खर्च होगा । यह बहुत ही महत्वपूर्ण जनहित का मामला है । इसको रिब्यू के लिए सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं ले गये । वहां बताते कि सरकार के सामने यह कठिनाई है इसके ऊपर पुनर्विचार कर लीजिए ।

श्री मोहम्मद आजम खां-

नेता विरोधी दल अच्छी तरह वाकिफ हैं सुप्रीम कोर्ट में बहुत से मैटर ऐसे होते हैं जिनका रिव्यू नहीं होता है कुछ में सुप्रीम कोर्ट खुद रिव्यू के लिए कह देता है । इसकी कानूनी हैसियत देखनी पड़ेगी। यहां पर हम कोई ऐसी बात नहीं रख सकते हैं जो तथ्यों से परे हो जिससे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना होती हो ।

श्री अध्यक्ष-

इस मामले में नेता सदन, संसदीय कार्यमंत्री व नेता विरोधी दल की एक बैठक कर लेंगे और उसके बाद आगे की कार्यवाही हो जायेगी ।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मान्यवर, उस बैठक में मुझे भी दो मिनट के लिए बुला लें जिससे मैं वहां पर अपनी बात रख सकूं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है ।

अगली सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की है ।

***डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-**

अध्यक्ष महोदय एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय की ओर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इलाहाबाद में माघ मेला एक बहुत ही धार्मिक मेला है वहां पर गंगाजल की मात्रा इतनी अशुद्ध हो गयी जिससे वहां पर साधू सन्त आंदोलित हो गए यह मामला हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि नरौरा से 450 क्यूसेक अतिरिक्त जल माघ मेले के लिए छोड़ा जाय जिससे गंगाजल शुद्ध हो सके लेकिन सरकार द्वारा नरौरा से 450 क्यूसेक अतिरिक्त जल छोड़ने का निर्णय विलम्ब से लिया गया उच्च न्यायालय का निर्देश आने के बाद भी उस समय यह निर्णय लिया गया जब साधू सन्तों ने माघ मेले के बहिष्कार का निर्णय लिया और उन्होंने कहा कि हम मौनी अमावस्या को गंगा में स्नान नहीं करेंगे । उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद इस सरकार के एक मंत्री जी ने वक्तव्य दिया कि गंगाजल में अशुद्ध जल की आपूर्ति उत्तरांचल सरकार की नैनीताल में काशीपुर स्थित पेपर मिल के

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

कारण है । वहां से दूषित जल आ रहा है इसके लिए उत्तरांचल सरकार जिम्मेदार है । लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने आंगन में नहीं झांका है हम अपने स्तर पर क्या कार्यवाही कर सकते हैं यह नहीं बताया । 21 तारीख को उच्च न्यायालय का निर्णय आया कि नरौरा से 450 क्यूसेक अतिरिक्त गंगाजल 4-5 दिनों के अन्दर छोड़ दिया जाय लेकिन उस निर्णय के अनुसार जल नहीं छोड़ा गया और जब छोड़ा गया तो वह 29 तक मौनी अमावस्या के दिन तक इलाहाबाद नहीं पहुंचा । दूसरी बात उत्तर प्रदेश सरकार को अपनी टेनरियों व कागज मिलों का पानी गंगा में जाने से रोकना चाहिए । होना यह चाहिए कि टेनरियां पहले अपने जल को शोधक यंत्रों द्वारा शुद्ध करें उसके बाद उत्सर्जित जल को गंगा में छोडें लेकिन होता यह है कि इन टेनरियों में शोधक यंत्र ही नहीं लगे हैं और अगर लगे भी हैं तो यह काम नहीं करते हैं । जन स्वास्थ्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है एवं लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है । कानपुर तो इतना निर्दयी शहर है । पूरे उत्तर प्रदेश में 134 करोड़ लीटर घरेलू गन्दा पानी जो कि 80 प्रतिशत होता है और 20 प्रतिशत औद्योगिक कचरा गंगा में प्रवाहित हो रहा है । गंगा को शुद्ध करने के लिये 1985 में राजीव गांधी सरकार में निर्णय लेकर गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिये एक इकाई बनाई थी और उसका काम शुरू हुआ था, उस पर अरबों रूपये खर्च होने के बाद भी आज गंगा को प्रदूषण मुक्त नहीं किया जा सका और इसी के चलते आज साधुओं को स्नान का बहिष्कार करने का कठोर निर्णय लेना पड़ा । मेरा निवेदन है कि जो अरबों रूपया इस योजना पर खर्च करने के बाद, न्यायालय के निर्देश होने के बाद भी यह पहले उत्तरांचल को दोषी बता रहे थे और बाढ़ में अपने आंगन की चीज ठीक करने की बात कर रहे हैं । आज गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाकर उसमें आक्सीजन की मात्रा ठीक करेंगे क्योंकि पहले गंगा जल में हैजे के कीटाणु मारने की क्षमता होती थी लेकिन आज इसके जल से पीलिया आदि बीमारियां हो रही हैं और जनमानस की भावनाओं के विपरीत यह सिद्ध हो रहा है । अरबों रूपया खर्च करके प्रदूषण नियंत्रण यंत्र लगाये गये हैं लेकिन वे चल नहीं रहे हैं बन्द पड़े हुए हैं । कानपुर में 130 एम0एल0डी0 का केन्द्रीय सीवेज पम्पिंग स्टेशन लगाया गया लेकिन वह बन्द पड़ा हुआ है, चल नहीं रहा है । इसके साथ ही साथ गंगा में उत्सर्जित पानी लगातार जा रहा है । ऐतिहासिक तथ्य है कि इस धरती पर गंगा को भगीरथ लाये थे अगर सरकार भगीरथ का रूप लेकर गंगा को प्रदूषण से मुक्त करा सकती, समय रहते सरकार इसकी सारी व्यवस्था पूरी करा सकती तो आज जो साधू सन्तों को मेले में संगम तीर्थ पर स्नान करने का बहिष्कार करना पड़ा वह न करना पड़ता । कानपुर में जो इफलूऐंट ट्रीटमेंट प्लान्ट लगा है उसको चलाने की व्यवस्था करे और भी जो इस तरह से प्लान्ट लगे हैं वे चलवाये जायं जो नहीं चलाये उनके खिलाफ एक्शन लें । सिंचाई विभाग ने कुछ नहीं किया, प्रदूषण विभाग ने कुछ नहीं किया। मान्यवर, मैं इस प्रश्न पर सदन में चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं ।

सिंचाई मंत्री (श्री मुन्ना सिंह चौहान)-

मान्यवर, जैसा माननीय सदस्य ने कहा । पहले तो मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हाई कोर्ट ने 21 तारीख को फैसला किया था । ऐसा कोई निर्देश नहीं था । यह सारी कार्यवाही करके सरकार ने हाई कोर्ट को जवाब दिया । साढ़े चार सौ क्यूसेक पानी नरौरा से छोड़ा गया । यह जानकर माननीय सदस्यों को खुशी होगी कि सरकार ने कितना प्रयास किया । 1941 के बाद पहली बार गंगा में इतना कम पानी आया । टिहरी में भगीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बनती हैं । टिहरी में झील में एक तिहाई पानी भरा जा रहा है । 1941 के बाद पहली बार गंगा में इतना कम पानी आया । हमारी सरकार को पता था कि इस तरह का संकट आयेगा इसलिये हमारी सरकार ने इससे निपटने के लिये

6 महिने पहले कार्य योजना बना ली थी ताकि जनता की गंगा माता के प्रति जो श्रद्धा है उसमें कमी न आये और न किसानों के खेत में पानी की कमी आये । इन दोनों बातों की तैयारी सरकार ने कर ली थी। कार्तिक के महीने में बलिया में भी मांग हुई थी कि पानी कम है कैसे स्नान करेंगे ? उसके लिये कालागढ़ सें पानी छोड़ा गया ताकि गंगा माता के प्रति जनमानस की जो श्रद्धा है वह बरकरार रहे । इसी तरह से जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि साधु सन्तों ने आवाज उठाई । मान्यवर, सारे प्रदेश में परीक्षण कराया गया कि कहां-कहां से गंदगी नदी में आ रही है । काशीपुर, बाजपुर की 7 पेपर मिलों का गंदा पानी नदी में आता है । बरेली में रामगंगा के नाम से और फर्रूखाबाद में वह गंगा में आता है । प्रमुख सचिव को इसके बारे में फोन पर बताया और मुख्यमंत्री जी को भी बताया हमारे प्रदेश के अधिकारी और वहां के अधिकारियों के साथ एक सामूहिक निरीक्षण हुआ । यह काशीपुर और बाजपुर की 7 पेपर मिलों में से 6 पेपर मिलें आज भी बन्द हैं और वे हाई कोर्ट जा रही हैं । वे अपना प्रदूषित पानी ढेला नदी में बहा रहे थे । जिसके नाते गंगा का पानी गुलाबी हो रहा था । 15 मिलें जैसा कि बाजपेयी जी ने कहा, उसका निरीक्षण हुआ । 15 मिलें कानपुर में ऐसी थीं जो गंदा पानी छोड़ रही थीं बिना ट्रीटमेंट प्लान्ट के उनको बंद कराया । सात ट्रीटमेंट प्लान्ट लगे हैं । एक फर्रूखाबाद में पूरी क्षमता से चल रहा है तीन कानपुर में चल रहे हैं । तीन इलाहाबाद में चल रहे हैं । सरकार ने पूरा निरीक्षण कराया । निर्देश भी दिये गये हैं हर जिलाधिकारी को कि आप सुनिश्चित करें जहां बिना सफाई के गंगा में पानी आ रहा है उस पानी को मोड़ा जाए, रोका जाए । सरकार ने रामगंगा के पानी को रोकने के लिए जो 300 क्यूसेक पानी आ रहा था उसको रोकने की योजना बनाई, लेकिन दुर्भाग्य था कि रामगंगा से कोई नहर नहीं निकल रही थी, नहीं तो उस पानी को भी हम गंगा में नहीं आने देते । उसके बाद भी पिछले साल जो पानी था इलाहाबाद में, 7300 क्यूसेक पानी, पिछले साल से ज्यादा पानी गंगा में इस बार इलाहाबाद में था । जो लोग स्नान करके आए उन लोगों ने बताया गंगा का पानी गुलाबी था 29 तारीख को स्नान था । 3 तारीख को स्नान है । सरकार पूरी मुस्तैदी से पानी छोड़ रही है, लेकिन तीन तारीख के बाद हमें विचार करना पडेगा क्योंकि पानी की कमी गंगा में है । आगरा के पूरे क्षेत्र में इस बार पाला पड़ा । पाले से आलू झुलस गया वहां भी पानी की जरूरत है । आप जानते हैं हमारे मथुरा में आगरा में यमुना नदी है । वहां की यह दशा है कि 150 क्यूसेक पानी जा रहा है तब कहीं पीने का पानी मिल रहा है ।

मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है बहुत पहले का आदेश है अगर पहले की सरकारों ने कार्यवाही की होती तो शायद मथुरा आगरा में पीने के पानी को तड़पना न पड़ता । 350 क्यूसेक पानी जमुना में लगातार निरंतर शुद्ध बहेगा । उसमें 101 क्यूसेक पानी उत्तर को देना है 250 क्यूसेक हरियाणा को देना है दिल्ली को भी देना है । उत्तर प्रदेश की सरकार के अलावा कोई सरकार इसका पालन नहीं कर रही है । हमारे अधिकारियों ने इसको प्रधानमंत्री जी की बैठक में उठाया । प्रदूषण बोर्ड दिल्ली का है उसमें उठाया । वह बार-बार इन दोनों सरकारों को चेता रहा है कि आप भी यमुना में शुद्ध पानी छोड़ो जिससे उत्तर प्रदेश के लोगों को जो नुकसान हो रहा है वह न होने पावे । हमारी सरकार पूरी तरह से पैरवी कर कर रही है जिस पर भारत सरकार को ध्यान आया । आप चले जाएं पूरा का पूरा पानी यमुना का दिल्ली ले लेता है और आगे चलकर वह गन्दा पानी यमुना में छोड़ देते हैं । जिसका नतीजा है कि मथुरा आगरा में रहने वाले लोगों को पीने के पानी की समस्या है । इतनी कमी होने के बाद भी लोगों को पीने का पानी मिला । 150 क्यूसेक पानी गंगा का आगरा और मथुरा में जा रहा है तो वहां के लोगों का पानी की समस्या का थोड़ा समाधान हुआ है । सरकार ने सारी कार्यवाही करके हाई कोर्ट में बताया कि यह कार्यवाही की, उसके बाद एक निरीक्षण भी हुआ । निरीक्षण में लाल रंग के पानी के निरीक्षण की रिपोर्ट आई यह पानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है । इसको पिया जा सकता है

इसमें नहाया जा सकता है । हाई कोर्ट के निर्देश के पहले सरकार ने जो कार्य हो सकता था वह सरकार ने किया । उसके बाद हाई कोर्ट ने कहा और प्रभावी कार्यवाही करें । गंगा में किसी तरह का प्रदूषण न हो तो यह सरकार गंगा की जो पवित्रता है गंगा के बारे में जो देश और प्रदेश के लोगों की श्रद्धा है, जो पूज्य संतों की श्रद्धा है हम उसके प्रति पूरी तरह सचेत हैं । पानी सारी मिलों का बंद हुआ जो गंगा में आता था एक प्रश्न उठाया साधू संतों ने कि एक तेज रफ्तार हुई है थोड़ा पानी बढ़ा है इतना गंदा पानी आने से रोका जा रहा है 450 क्यू0 पानी छोड़ा जा रहा है तो उसका निश्चित उस पर प्रभाव पड़ा क्योंकि बहुत सा पानी गंगा में आने से रोका गया कि वह गंगा के पानी को उसकी पवित्रता को समाप्त न करें तो माननीय अध्यक्ष जी माननीय बाजपेयी जी ने कहा मैं समझता हूं कि कार्यस्थगन के प्रस्ताव का कोई औचित्य नहीं है । सरकार पूरी तरह से सचेत है गंगा के प्रति जो लोगों की श्रद्धा है, श्रद्धा तो बरकरार रहेगी लेकिन किसानों के खेत को पानी देने की भी सरकार की प्राथमिकता है उसको भी देखेंगे किसी तरह से किसानों में असंतोष नहीं फैलने देंगे ।

डॉ लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने बड़े विस्तार से बताया ।

(कई सदस्यों के बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

शान्त रहें ।

डॉ लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मेरा निवेदन केवल इतना है, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि हमने इतना पानी छोड़ दिया है, लेकिन अगर साधु-सतों ने मौनी अमावस्या के दिन उसमें स्नान करने से मना किया । जब इतना पानी आपने छोड़ा है तब उसके बाद 3 तारीख को वह प्रतिकूल परिस्थिति पैदा न हो और जो कार्यवाही आपने की है, क्या उससे साधु-संतों को अवगत कराया है ? माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमारी सिंचाई और पेयजल की भी प्राथमिकता है तो क्या कल 3 तारीख के बाद गंगा में फिर प्रदूषणयुक्त जल आ जायेगा और प्रदूषण मुक्त जल जो छोड़ा गया है, उसे रोक दिया जायेगा? मंत्री जी ने इस पर स्वयं प्रश्नचिन्ह लगा दिया है। जिलाधिकारी परीक्षण कर रहे हैं, यह भी मंत्री जी ने बताया। जो प्रदूषण युक्त जल रोका गया है क्या एक न्युनतम आवश्यकता के अनुरूप 3 तारीख के बाद भी वह रूका रहेगा, इस बारे में मंत्री जी बता दें।

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो कहा, पहले तो एक बात साफ कर दूँ कि सरकार के प्रयास से श्रद्धालुओं के लिए कभी भी गंगा में पानी कम नहीं था, आप ने स्वयं टी0वी0 पर देखा होगा, सैकड़ों श्रद्धालु उसमें स्नान कर रहे थे और जो लोग वहाँ गए होंगे, सभी ने कहा कि जो गुलाबी रंग था वह कम हो गया है। कमिश्नर, इलाहाबाद को अवगत करा दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के कई वकीलों ने भी जाकर देखा कि उसमें बदलाव आया है। उज्जवल रमण जी भी बैठे हैं, वे भी साधु-सन्तों से मिले और उन्होंने सरकार की तरफ से आश्वासन दिया है ताकि गंगा मां के प्रति श्रद्धा है, उसमें कमी न आए। सभी जिलाधिकारियों को, प्रदूषण नियन्त्रण विभाग के अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है कि वह

निरन्तर दौड़ा रखें और किसी भी कीमत पर बिना साफ किया हुआ पानी गंगा में न छोड़ा जाए। अगर इस प्रकार की कोई ढिलाई पाई जायेगी तो सरकार कार्यवाही करेगी, इसमें सरकार कोई ढिलाई नहीं कर रही है और हमारा प्रयास है कि गंगा की पवित्रता बरकरार रहे।

श्री लालजी टण्डन-

अध्यक्ष जी, गंगा की सफाई का काम गंगा प्रदूषण इकाई जो नगर विकास विभाग मं आती है, जल निगम में उसकी ब्रांच है, तो क्या यह नगर विकास का काम भी माननीय सिंचाई मंत्री जी ने किया है? पर्यावरण विभाग उसे रोक सकता है जो गंदगी आ रही है, वह भी मंत्री जी ने कर लिया तो क्या यह सब विभाग आपको ट्रान्सफर हो गए हैं?

श्री मुन्ना सिंह चौहान-

माननीय अध्यक्ष जी, टण्डन जी मंत्री रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, बहुत बड़े नेता हैं, सरकार के मंत्रियों का सामूहिक दायित्व होता है। जब यह समस्या उत्पन्न हुई तो सभी सम्बन्धित विभागों को बैठाकर उसकी समीक्षा की गई और एक तरीका निकाला गया।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मेले से पहले एक समीक्षा बैठक होती है और आप भी इस विभाग के मंत्री रहे हैं, नगर विकास विभाग का भी अपना एक रोल है, उसी को मद्देनजर रखकर मान्यवर, बैठक बुलाई गई लेकिन मैं उस मीटिंग में मुतमइन नहीं रहा। कानपुर का जो जिक्र किया है, टेनरीज जो निकली हैं और जो जानकारी चाही है। मान्यवर, इसमें कई बातें है। एक तो ऐसे कारखाने, ऐसी टेनरीज जो प्रदेश सरकार के अधीन होती है और हम उन्हें सजा दे सकते हैं अगर उनके प्लान्ट नहीं चलते हैं। दूसरे ऐसे जहां हमारा अधिकार नहीं है, या जो भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत, प्रदूषण बोर्ड के अन्तर्गत आते हैं। इसमे हम उनसे शिकायत कर सकते हैं। उनके अधिकारी आये थे उन्होंने कहा कि आप चाहें तो उनसे शिकायत करें। हमने कहा कि हम आपसे शिकायत नहीं करेंगे। शिकायत करेंगे तो वह दर्खास्त फैक्ट्री वालों के पास चली जाएगी। दर्खास्त से उन्हीं को फायदा होता है। उसी वक्त मैंने कानपुर और उन्नाव में चल रही टेनरीज को चेक करा लिया और जो अधिकारी साहेबान उठना चाहते थे उनसे हमने कहा कि आप यही बैठिये वरना आप मोबाइल से इत्तला कर देंगे। हमने 12-14 टेनरीज चेक कराई इनमें 50 प्रतिशत टेनरीज ऐसी थी जिनके प्लांट नहीं चल रहे थे। उतने में तो हमने सजा दे ली क्योंकि उतने का तो अधिकार हमें था लेकिन जिनको भारत सरकार के स्तर पर पनिश किया जाना चाहिए उसमें दो बातें हैं जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि लाल रंग का पानी रंग के एतबार से हानिकारक नहीं है। यह जानकारी होनी चाहिए। जहाँ जांचें होती है, जहाँ लेबोरेटरीज हैं वहाँ से मालूम हुआ है कि कोई ऐसा केमिकल नहीं है जो इस पानी के रंग को रंगरहित कर दे। लाल रंग समाप्त नहीं किया जा सकता। ऐसा मेरी जानकारी में आया है। लेकिन मैं मीटिंग से मुतमइन नहीं था। इसके बाद इलाहाबाद में जनप्रतिनिधियों की मीटिंग बुलाई और एक कमी रह गई जिसकी मैंने वहीं पर शिकायत की थी कि इसमें श्री नरेन्द्र कुमार सिंह गौर जी को भी बुलाया जाना चाहिए। हमें इसमें कोई विरोध नहीं होना चाहिए कि गंगा जल प्रदूषित हो रहा है। बल्कि यह बात अवश्य खुशी की है कि चाहे साधू-संत हों, चाहे मौलवी साहेबान हों, अगर इस तरह का काम करें तो उसका स्वागत होना चाहिए। हमारे साधू-संत चाहते हैं कि गंगा जल का प्रदूषण खत्म हो, यह बड़ी सही बात है। इसके लिए उनकी तरफ से अगर प्रदर्शन हो,

वह उसे पाक-साफ करना चाहें तो इसका स्वागत होना चाहिए और मैंने उनसे खुद वहाँ जाकर निवेदन किया, सारे लोगों से मिला। कुछ लोगों ने कहा कि आप मेले में न जायें आपका नाम भी कुछ ऐसा है कि वहाँ विरोध न हो जाये। लेकिन मेरे वहाँ पर जाने पर मेरा बड़ा स्वागत हुआ और मैं वहाँ पर कुछ घोषणाएं भी करके आया । मिसाल के तौर पर वहाँ हर साल पानी की व्यवस्था की जाती है। पाइपलाइन लगाई जाती है फिर वहीं पाइपलाइन उखाड़ी जाती है। मैंने कहा कि आप पाँच साल का खर्च निकाल लीजिए कि इसमें कितना खर्च आता है इतने में तो आप मुस्तकिल इंतजाम कर सकते थे। इस बात की भी कोशिश करेंगे क्योंकि अगले साल बड़े इंतजाम करने हैं। इसलिए इस बार वहाँ पानी का परमानेंट इंतजाम करेंगे इसकी घोषणा कर भी दी गयी है। उसी प्रकार वहाँ पर हाई मास की भी घोषणा की है कि वहाँ पर परमानेंट रोशनी की व्यवस्था हो। जहाँ-जहाँ पर इस तरह के धार्मिक जमावड़े होते हैं जैसे-नहान हो, कोई मेला हो या हज वगैरह के इंतजाम हों तो खास तरह के इंतजाम किये जाते हैं। यहाँ पर जो लोग हज वगैरह पर जाते हैं तो उनके लिए एक बुनियादी परेशानी होती है टट्टी-पेशाब की व्यवस्था करने की। अगर यह व्यवस्था नहीं होगी तो जाहिर है उससे गंदगी होगी। तो इसकी भी घोषणा मैंने की है कि हम माननीय मुख्य मंत्री जी से बात करके कम से कम 2000 पक्के शौचालय बनाएंगे। पानी की व्यवस्था, पक्के शौचालयों की व्यवस्था और तीसरी कोशिश यह कि चाहे हम एक ही बड़ा शेड बना सकें, इन श्रद्धालुओं के लिए कोई न कोई रहने का पक्का इंतजाम करेंगे। तो आस्था मे कोई कमी नहीं है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई-

मैं केवल आप ही की बात का समर्थन करना चाहता हूँ। यह सही है कि गंगा पर सम्पूर्ण समाज का हक है किसी व्यक्ति विशेष का नहीं। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो आप पक्का निर्माण करा रहे हैं इसमें एक महिला के लिए भी पक्के निर्माण के लिए विचार कर लें।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

अगर आपने एक महिला का ख्याल रख लिया होता तो आज आप लोग अलग-अलग नहीं बैठे होते।

'ए आबरू-ये गंगा, वह दिन है याद तुझको, उतरा तेरे कनारे जब कारवां हमारा' सबसे पहले हमने वजू किया है वहां से। यही मेरा गाजियाबाद में भी कहना था जब हज हाऊस की मुखालिफत हुई यह कहकर कि यह गंगा के बराबर बन रहा है। हमने कहा कि इसलिए इसका बनना औचित्यपूर्ण है कि यहां से ही हाजी वजू करेंगे, गुसल करेंगे, अहराम बाँधेंगे और यही से जहाज पर बैठकर मक्का उतरेंगे। हिन्दुस्तान की गंगा के पानी में वजू करने के बाद हज करेगा मुसलमान, यही हमारी धरोहर है, यही हमारा रिश्ता है, मगर 'मैंने जब अपनी गरिबां के किये थे टुकड़े, तुमको क्यों अपना कह दिया। भारत को मैं अपना कहूं तो टण्डन जी को बुरा नहीं लगा और लक्ष्मीकांत बाजपेयी जी, जो हमारे मित्र हैं, उनको बुरा लग गया। तो इस प्रदूषण को रोकने के लिए जितनी भी कोशिश हो सकती है वह अपने स्तर से भारत सरकार का जो काम है यह वह जाने, ऐहलेसियासत जाने। मेरा पैगाम-ए-मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। हमारी कोशिश पूरी है कि जितना बेहतर से बेहतर हम कर सकें वह हम करेंगे।

श्री लालजी टण्डन-

एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि गोमती नदी में एसटीपी बन गया है एक छोटा सा और वहां पर पानी जितना साफ हो गया था उसी में पोल्यूशन फिर से शुरू हो गया है । धोबियों ने कपड़े धो-धोकर

उसे गंदा करना शुरू कर दिया है । जितना साफ हो गया है उसे फिर से पॉटयूट कर रहे हैं । एक एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर कलेक्टर जारी कर दे छोटा सा कि इस पर प्रतिबंध लगाया जाता है कि यहां पर इसे गन्दा नहीं किया जा सकता है । नदियों के ऊपर सबका अधिकार है । डा0 राही मासूम रजा ने कहा है कि गंगा मेरी मॉ का नाम, बाप का नाम हिमाचल, अब तुम ही फैसला कर लो मैं किस देश का रहने वाला' । तो इस देश के मुसलमानों ने भी गंगा को पवित्र माना है और अपना माना है, हम इसके लिए शुक्रगुजार है । किसान को पानी मिलता है गंगा से । किसान मुसलमान भी होता है, हिन्दू भी होता है ।

श्री मोहम्मद आजम खॉं-

वह हर जररा देवता है , यह एक नज्म है, आपको याद होगी । पाक-ए वतन का हर जररा हमारा देवता है । इसमें हमारा धर्म भ्रष्ट नहीं हो रहा है, आपका भी नहीं हो रहा है ।

श्री लालजी टण्डन-

मैं कोई धर्म की बात नहीं कर रहा हूं । मॉं के दूध के बाद अगर बच्चे ने पानी पिया है तो वह गंगा का पानी पिया है । मुसलमान का बच्चा कहीं अलग से पानी नहीं पीता है ।

श्री अध्यक्ष-

इसमें काफी चर्चा हो चुकी है, इसे खत्म करें ।

श्री मोहम्मद आजम खॉं-

क्यों मुसलमान का अधिकार आप खत्म कर रहे हो। उसके अधिकारों को पूछने की आपको जरूरत नहीं है ।

श्री लालजी टण्डन-

मैं आपके अधिकारों के ऊपर कोई इन्क्रोचमेंट नहीं कर रहा हूँ ।

श्री मोहम्मद आजम खॉं-

उसका प्रमाण-पत्र बीजेपी को देने की जरूरत नहीं है ।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, गंगा में जल शुद्ध नहीं है यह सबकी चिन्ता है । मेरा एक छोटा सा सुझाव है । अगर गंगा को शुद्ध और स्वच्छ रखना है तो भारतीय जनता पार्टी वाले उसमें नहाना बन्द कर दें मान्यवर, गंगा अपने आप शुद्ध हो जायेगी ।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाई)

मान्यवर, गंगा मदया की भी एक सीमा है, पाप धोने की, अगर ओवर लोडिंग की जायेगी तो वह अशुद्ध ही होंगी । तो मैं आपके माध्यम से प्रस्ताव रखता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें नहाना तीन-चार साल बन्द कर दें तो गंगा मइया बिल्कुल शुद्ध हो जायेगी ।

श्री लालजी टण्डन-

यह कांग्रेसी खुद ही उसमें इतना प्रदूषण कर चुके हैं कि अब हमको खुद ही उसमें नहाते डर लगता है ।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इसमें माननीय बाजपेयी जी को, माननीय नेता विरोधी दल को, माननीय सिंचाई मंत्री जी को, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को, माननीय प्रमोद तिवारी जी को, सबको सुना, इस पर काफी चर्चा हो गयी है, सरकार की तरफ से भी बातें आ गयी है और विपक्ष की तरफ से भी बातें आ गयी है, सारी बातें सुनने के बाद इसमें सारा मामला स्पष्ट हो गया, अब इसमें कुछ बाकी नहीं हैं, इसलिए मैं इसको अग्राह्य करता हूं ।

माननीय राम इकबाल सिंह जी मैंने आपसे कहा था कि आपकी बात सुन लेंगे, आप पढ़े-लिखें हैं, आपको कम से कम इतना तो पता होगा कि यह घटना कब की है, जिसे आपने नियम-311 में दिया है। 25-26 दिसम्बर की घटना है, जनवरी में असम्बेली चली थी, उसमें आपने इस मामले को नहीं दिया, अब फरवरी में दे रहें हैं । अब इतनी पुरानी घटना कैसे इसमें सुनी जाय ?

***श्री राम इकबाल सिंह-**

मान्यवर, 01 जनवरी की घटना है, 02 जनवरी की घटना है, 10 जनवरी की घटना है, परसों रात की घटना है, इस तरह से 4-5 घटनायें हैं, जिन्हें मैं एक साथ दे रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय राम इकबाल जी, आपको इतना भी ज्ञान नहीं है कि 4-5 घटनायें एक साथ नहीं दी सकती हैं, एक सिंगल घटना ही दी जाती है, लेकिन चूंकि मैंने आपसे कह दिया था, इसलिए दो मिनट में आप अपनी बात संक्षेप में कह सकते हैं ।

श्री राम इकबाल सिंह-

सब घटनायें एक ही जिले से, एक ही अधिकारी से जुड़ी हुयी हैं, श्रीमन् मैं आपके माध्यम से....

श्री अध्यक्ष-

संक्षेप में कहियेगा, विस्तार से नहीं ।

श्री राम इकबाल सिंह-

श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं, कि आपने मुझे कार्य-स्थगन पर बोलने का अवसर दिया, श्रीमन् इतनी हृदय विदारक घटना है और आपने इतनी सहृदयता पूर्वक मुझको अवसर दिया है, श्रीमन् हम आपके आभारी हैं । श्रीमन् 01 तारीख को हमारे क्षेत्र के उससा गांव में थाना पकड़ी जनपद बलिया में...

श्री अध्यक्ष-

अब आप रूक जायें, मैं इसे नियम-51 में वक्तव्य के लिए स्वीकार कर लेता हूं । आपकी बात आ गयी और वक्तव्य में आप सब सवाल कर लीजियेगा ।

श्री राम इकबाल सिंह-

श्रीमन्, आपने मेरे अनुरोध पर कहा था कि दो मिनट में संक्षेप में आप अपनी बात कह लें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष-

मैंने आपकी बात सुन ली, अब नहीं सुनेंगे ।

श्री राम इकबाल सिंह-

श्रीमन्, संक्षेप में मेरी बात सुन लें, श्रीमन्, मैं कोई अपने घर की समस्या थोड़े रख रहा हूं, मैं तो आम आदमी के सवाल को खड़ा कर रहा हूं, जहां मानवता रो रही थी, जहां बच्चे खेत में सो रहे हैं, जहां सैकड़ों नहीं हजारों महिलायें डर कर पुलिस से खेत में सो रही हैं, हम तो यह घटना आपसे कहना चाह रहे हैं और आप कह रहे हैं कि एकाउण्ट में एक लाइन का वक्तव्य आ जायेगा, आप करें या न करें, आप अनुमति दें या न दें, यह आपका अधिकार है, हमारा संरक्षण मांगना आपसे अधिकार है । हम अपोजीशन में हैं हम अपनी बात कहेंगे ।

श्री अध्यक्ष-

आप बतायें, आप क्या संरक्षण चाहते हैं ?

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

मान्यवर, एक मिनट मेरी बात भी सुन लें । मान्यवर, हमारे एक कार्यकर्ता की, इनके उस थाने पर हत्या कर दी गयी और तीन आदमी इन्जर्ड हैं, जल गये, उससा में पहली तारीख को घटना घटी, चन्द्रदेव यादव मेरा कार्यकर्ता था ।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग शान्त बैठें, आप लोग चर्चा चाहते ही नहीं हैं तो इसमें हम क्या करें, पहले राम इकबाल जी को कह लेने दें फिर आप भी कह लीजियेगा ।

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

श्रीमन्, हमें अपनी पूरी बात कहने का मौका दीजिएगा ।

श्री अध्यक्ष-

हां, हम आपको पूरा मौका देंगे ।

श्री राम इकबाल सिंह-

श्रीमन्, पूरा मौका दे दीजिए और सब लोगों को दे दीजिए, कोई हर्ज नहीं है...

श्री अध्यक्ष-

आप संक्षेप में अपनी बात कहें, आप तो बात को घुमा-फिरा रहे हैं ।

श्री राम इकबाल सिंह-

श्रीमन्, मैं संक्षेप में ही अपनी बात कह रहा हूं, श्रीमन् 10 महीने से वहां की चार हजार की आबादी अत्यन्त पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति की है, सौ आबादी भी बड़ी बिरादरी की नहीं है, श्रीमन्

उन गरीबों के ऊपर जुर्म हो रहा था, चन्द मुट्ठी भर लोग थाना पकड़ी के इशारे पर,थानाध्यक्ष भी उन्हीं के बीच बैठते, महिलाओं के साथ छेड़खानी होती थी । मान्यवर, हमसे हजारों की संख्याओं में महिलाओं ने कहा कि विधायक जी या तो हमें मरने का रास्ता बताइये या जीने का उपाय बताइये । उन्होंने कहा कि हम जब महिलायें शौच के लिए जाते हैं तो पुलिस के साथ वहां लोग बैठे रहते हैं और टार्च दिखाते हैं और हम लोगों के साथ बदसलूकी होती है । हमने कहा कि आप लोग इज्जत बचा कर जिये और समूह में जायें ।

मान्यवर, हमारा तो जबकि वहां मामूली सा वोट बैंक है सर्वाधिक वोट तो वहां समाजवादी पार्टी के हैं । लेकिन मैं फिर भी वहां इंसानियत के नाते जाता हूं और ये बातें हमने वहां सभा में भी कही और जिले के अधिकारियों से भी कही । लेकिन इन सब मामलों में थानाध्यक्ष पकड़ी मिला हुआ है । मान्यवर, 1 जनवरी, की तारीख को जब पूरी दुनिया नववर्ष मना रही थी तो सांय छः बजे अत्यन्त पिछड़ी तथा दलित वर्ग की पांच महिलाओं को जो शौच के लिए गयी थी, पकड़ लिया । यह महिलाएं जिनका नाम है देवन्ती, ईश्वरवती, रमावती देवी, किरन देवी इनको 10-12 लोग पकड़े । जब इन लोगों ने शोर मचाया तो गांव वाले जुट गये और उन सबको मना किया । जिससे उन महिलाओं की इज्जत बची । लेकिन मान्यवर, उसके बाद पुलिस वाले पी0ए0सी0 बल को लेकर गांव में गये और बजाए उन महिलाओं को संरक्षण देने के और बिना महिला पुलिस को साथ लिए, उन लोगों के दरवाजे तोड़ फोड़ कर मारा पीटा, चूल्हे तोड़ दिये, गर्भवती महिलाओं को पीटा और छोटे बच्चों तथा विकलांगों को भी नहीं बक्शा । आज वहां इतनी दहशत है कि गांव में कोई महिला रात में नहीं सोती है । मान्यवर, उस गांव की गरीबी का अंदाजा इस तथ्य से लगा सकते हैं कि 4000 की आबादी वाले उस गांव में एक टी0वी0 सेट है वह भी उन लोगों ने तोड़ कर नष्ट कर दिया । मान्यवर, वहां दुलेश्वरी देवी पत्नी चन्द्र प्रकाश के 2 वर्ष 10 दिन के बच्चे का पैर पकड़ कर मकान पर फेंक दिया। वह खपरैल पर फंसा हुआ था । इसी तरीके से अन्य गर्भवती महिलाओं को मारा गया । मान्यवर, अगर हमारे समाजवादी पार्टी के विधायक चाहते हैं उनकी सरकार है, तो वह इसकी न्यायिक जांच करा ले सी0बी0आई0 की जांच करा ली जाय तो सारी बात सामने आ जायेगी । मान्यवर, जुल्म जो भी होता है उसके खिलाफ हम आवाज उठाते हैं।

मान्यवर, 2 जनवरी को थाना सुरपुरा जनपद बलिया में स्टेट बैंक का 10 लाख रूपया लूटा गया उसमें बैंक गार्ड लल्लन पाण्डेय मारा गया । कोई भी अपराधी नहीं पकड़ा गया है ।

श्री अध्यक्ष-

आप [illegible] घटना पर बोलें । इस तरह से तो फिर आपका नहीं लिखा जायेगा। आप सभी घटना [illegible] रहे हैं । आप नियमावली को पढ़ लें आप तो बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से आये हैं।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, आप कृपा पूर्वक सुन लें । मान्यवर, 10 जनवरी को ग्राम पिपरवता, थाना रेवती जिला बलिया की 10 वर्षीय खुशबू की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गयी । थाने पर एफ0आई0आर0 नहीं लिखी गयी [illegible] हम भी मौके पर पहुंचे थे । वहां थानाध्यक्ष का कहना था कि 5 हजार रूपये मिलेगा तो एफ0आई0आर0 नोट करेंगे । मान्यवर, इसी तरीके से 27 जनवरी को थाना सहतवार से 10 वर्षीय पूजा पाठक के अपहरण का प्रयास हुआ वहां आपस में झगड़ा होने लगा जिससे वह भाग निकली । मान्यवर, इन सब घटनाओं को लेकर वहां दहशत व्याप्त है, गांववासी भयभीत हैं,कानून-व्यवस्था भंग है कोई इंसान सुरक्षित नहीं है । मान्यवर, बच्चियाँ स्कूल नहीं जा पा रही हैं ।

मान्यवर, इन घटनाओं को लेकर मैं मांग करता हूं कि सदन की समस्त कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाय ।

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

मान्यवर, माननीय श्री राम इकबाल सिंह जी इसी तरह की बातें सदन में उठाते हैं नतीजा यह होता है कि यह खुद इस तरह से लोगों को उकसाने का काम करते हैं । कभी थाने पर बवाल करते हैं, कभी तहसील पर बवाल करते हैं और कभी जिला मुख्यालय पर बवाल करते हैं ।

मान्यवर, एक छोटी सी घटना है, नाले की घटना है एक आदमी नाले को बन्द किये हुए है । मान्यवर, हम भी अपने क्षेत्र में जाकर पंचायत करते हैं तो यह भी वहां जाकर पंचायत कर सकते थे और लोगों को समझा-बुझा सकते थे । लेकिन सिर्फ वोट की राजनीति के लिए थाने का घेराव करा दिया उसमें जो लोग घायल हुए और कितने अन्य लोग भी इन्जर्ड हुए हैं । मान्यवर, यह थाना रेवती की घटना है । (व्यवधान)

श्री राम इकबाल सिंह-

मैं लोगों की समस्याओं को लेकर जेल भी गया हूं और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य आपस में बात न करें ।

माननीय राम इकबाल सिंह जी आप अपनी जब बात कह रहे थे तो वह चुप थे अब आप क्यों खड़े होकर बोल रहे हैं ।

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

यही इन्होंने नगरा थाने पर कराया । दरोगा के खिलाफ जो पंचायत से निपटा गया उसके खिलाफ यह हाईकोर्ट में चले गये और फिर दुबारा धरना-प्रदर्शन किया और जब पुलिस आफिसर गये तब धरना प्रदर्शन समाप्त किया । बात कह लेने दीजिए, आप अपनी बात कह चुके हैं मुझे भी बोलने दें।

श्री राम इकबाल सिंह-

सही तथ्य कहें ।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जाइये । आप घटना पर सीमित रहें ।

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

मान्यवर, इनका काम उकसाना है हमारे यहां का रहने वाला था उसको नवरसा में जमीन मिली थी चन्देल यादव, वहां पर विद्यालय चला रहा था जूनियर हाईस्कूल विद्यालय चला रहा था । एक ग्राम समाज की जमीन को लेकर के वहां एक चौहान बिरादरी के एक आदमी से उसका झगड़ा था ये गये वहां पर और पूरी चौहान बिरादरी को इकट्ठा किये राजभर बिरादरी के लोगों को इकट्ठा किये और कहे कि फूंक दो, ये स्कूल क्यों चला रहा है सिकन्दरपुर जाकर के और यहां पर इनके भाषण का यह असर

हुआ कि उसमें चन्देल यादव के तीन बच्चे आशुतोष यादव, घनश्याम यादव, राजेश यादव, रजनीकान्त यादव बेचारे उसी के अन्दर थे स्कूल में, इन्होंने आग लगवा दी खड़े होकर के और वह लोग जिन्दा जलने लगे और उसी में दरोगा गया स्वयं जाकर के उनको निकलवाया । चन्देल यादव 80 प्रतिशत जल गया और बनारस में जाकर के बेचारा मर गया और दो आदमी घायल हो गये ।

(श्री राम इकबाल सिंह द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय राम इकबाल सिंह जी आप रूकिये, आपका नहीं लिखा जायेगा ।

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

श्रीमान जी, यह पहली तारीख की घटना है पहली जनवरी की घटना है नये साल का इन्होंने तोहफा दिया था । चन्देल यादव जिसकी उम्र 42 साल थी वह जिन्दा जल गया और जाकर बीएचयू में मर गया और दो लोग अभी तक इन्जर्ड हैं जिनको राड से मारा गया और आधा हिस्सा उनका जल गया है । और सुबह इन्होंने अखबार में बयान दिया कि अभी तो कम है क्यों नहीं पूरे स्कूल की बिल्डिंग को जला दिया गया इनका अखबार में बयान निकला । और फिर पुलिस चौकी में पहुंच गये और वहां लोगों ने कहा कि आप कर क्या रहे हैं । यह आप ऐसी बाते करते हों कभी आप नगरा थाना फुकवाते हो, कभी तहसील को फुकवाते हो, कभी थाने पर यह सब करते हो, कभी स्कूल की बिल्डिंग को फुकवाते हो । इनका काम यही है श्रीमान जी,

श्री अध्यक्ष-

ठीक है अब आपकी बात हो गयी ।

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

मैं मांग करता हूं कि चन्देल यादव जो मरा है, सरकार से मैं मांग करता हूं कि उसको 5 लाख का मुआवजा दिया जाय और इन पर भी 120 बी का मुकदमा चलाया जाय । मैं मांग करना चाहता हूं जैसे कृष्णानन्द की हत्या में हमारे अफजाल अंसारी जो आज निर्दोष बन्द हैं, 120 बी में, उसी तरह राम इकबाल सिंह पर 120 बी का मुकदमा चलाया जाय, हमारी आपसे यह मांग है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

देखिये माननीय राम इकबाल सिंह ने भी अपनी बात कही । आप लोग बैठ जाइये मुझे भी कुछ कहने दीजिए ।

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री से मांग करता हूं, सरकार से मांग करना चाहता हूं कि जो जला है उसको 5 लाख का मुआवजा दिया जाय और उनके खिलाफ 120 बी का मुकदमा चलाया जाय ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी आप कुछ कहेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, इस पर तो आप ही निर्णय लें, तो अच्छा होगा ।

श्री अध्यक्ष-

मैं माननीय राम इकबाल सिंह जी ने जो तथ्य रखें और माननीय जियाउद्दीन रिजवी साहब ने जो तथ्य रखे, दोनों तथ्यों से भिन्नता की घटना आती है । मैं संसदीय कार्यमंत्री से कहना चाहूंगा कि इसकी आप जांच करा लें और जांच कराकर इसके तथ्य हमें प्रस्तुत करें ।

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

मान्यवर, 120 बी का मुकदमा और मुआवजे की बात है ।

श्री अध्यक्ष-

अब तथ्य आ जायेगा तब देखेंगे ।

(श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आपकी जो सूचना है, उसमें जो आपने मामला उठाया है, उस पर सरकार का ध्यानाकर्षण कर दिया गया है ।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, केवल दो मिनट में अपनी बात रख दूंगा । मैं तो बहुत कम बोलता हूं । माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से सदन में एक अत्यन्त संवेदनशील विषय पर...

श्री अध्यक्ष-

एक चीज यह है कि इन बातों से भय का वातावरण बनता है । इसलिये मैंने सरकार का ध्यान आकर्षित कर दिया है ।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

मान्यवर, मेरे कहने पर भय नहीं होगा । केवल सदन के सामने तथ्य आ जाये, मेरा आशय यही है । माननीय अध्यक्ष जी, यह बात सामयिक होगी कि लोगों को यह जानकारी प्राप्त हो जाय कि 10 दिन पहले आई0बी0 ने, जो केन्द्र सरकार की संस्था है, उसने उत्तर प्रदेश सरकार को और गृह विभाग को इस बात की सूचना दी है कि दो आतंकवादी आत्मघाती अयोध्या की ओर चले हैं और उन्होंने निश्चित तारीख बताई है कि 26 फरवरी तक वह रामजन्म भूमि परिसर पर कोई अप्रिय घटना कर सकते हैं । मान्यवर, इसके पहले भी 5 जुलाई को 5 आतंकवादियों ने रामजन्म भूमि परिसर पर हमला किया था लेकिन सरकार की चेतनता के कारण वह आतंकवादी मारे गये और हमला विफल हो गया था । लेकिन

तब भी केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को इस बात की जानकारी दी थी कि यह आतंकवादी चले हैं और परिसर पर हमला करेंगे । मान्यवर, मैं यह चाहता हूं कि यह सरकार साफ तौर पर यह बतायें कि यह जानकारी सरकार को प्राप्त होने के बाद रामजन्म भूमि परिसर की सुरक्षा के सरकार ने कौन-कौन से उपाय किये हैं । यह केवल रामजन्म भूमि परिसर की सुरक्षा का सवाल नहीं है, अपितु पूरे जनमानस की सुरक्षा का सवाल है । इसलिये इस विषय को मैं चर्चा कराने के लिये रखता हूं ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ -

मान्यवर, यह बड़ा संवेदनशील मामला है । इस प्रकरण पर नेता सदन भी इजहारेख्याल कर चुके हैं । मान्यवर, रामजन्मभूमि परिसर पूरी तरह सुरक्षित है और किसी तरह की कोई कमी आगे नहीं है ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सुरेश जी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अस्वीकार करता हूं ।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, आप माननीय मंत्री जी को यह निर्देश दे दीजिये कि वह इस प्रश्न का उत्तर तो सही दे दें । प्रश्न यह था कि आई0बी0 ने रिपोर्ट की कि दो आतंकवादी आत्मघाती चल चुके हैं अयोध्या के लिये, तो मंत्री जी ने जवाब दिया कि वह पूरी तरह सुरक्षित है । हम भी मानते हैं कि वहां इतनी फौज है तो सुरक्षित है और राम जी भी अपनी सुरक्षा कर सकते हैं । लेकिन इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया कि इस तरह की कोई सूचना सरकार के पास आई है कि नहीं । इसको इन्होंने टाल दिया। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह कठोर से कठोर कार्यवाही करे । अगर इस तरह की सूचना नहीं आई है तो भ्रम अपने आप दूर हो जायेगा और दहशत नहीं होगी । लेकिन उत्तर तो सही आना चाहिये ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

किसी तरह की कोई दहशत नहीं है, आपकी सब जानकारी में है कि आतंकवादी हमले के दिन भी वहां श्रद्धालुओं की लाइन लगी रही, इसलिये वहां कोई दहशत नहीं है और यहां कह देने से कोई दहशत होने वाली नहीं है । यह भी कहना चाहता हूं कि जब जो चीज संज्ञान में आती है तो उसका संज्ञान लिया जाता है और कार्यवाही होती है ।

श्रीलालजी टण्डन-

मैं यह जानना चाह रहा हूं कि यह बात आपके संज्ञान में आई है कि नहीं, आई0बी0 ने इस तरह की कोई रिपोर्ट दी है कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष-

मैं उत्तर के लिए कैसे जोर डाल सकता हूं ?

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, यह सुरक्षा से संबंधित मामला है, आप कार्रवाई के लिए निर्देश नहीं दे सकते हैं लेकिन आप यह तो निर्देश कर ही सकते हैं कि सही जवाब दें ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, जो बात संज्ञान में लायी जाती है, चाहे वह केन्द्र सरकार के द्वारा संज्ञान में लायी जाए या कहीं दूसरी जगह से संज्ञान में लायी जाए, कार्रवाई अवश्य की जाती है । यदि कोई बात नेता विरोधी दल के द्वारा भी संज्ञान में लायी जाती है, तब भी कार्रवाई की जाती है ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय त्रिपाठी जी, आपकी सूचना ब्लाक से संबधित थी, उसमें यही था कि वित्तीय पावर ब्लाक प्रमुखों को नहीं दिये गये हैं ।

श्री राम प्रकाश त्रिपाठी-

मान्यवर, सुन लीजिए । मेरा कहना यह है कि निर्वाचन आयोग ने पहले आदेश दिये थे कि ब्लाक प्रमुखों से वित्तीय पावर छीन लिये जाएं, उसके बाद आदेश दिये गये कि वित्तीय पावर दे दिये जाएं तो बाकी जगहों पर ब्लाक प्रमुखों को वित्तीय पावर दे दी गई । केवल कन्नौज में यह पावर नहीं दी गई है, क्योंकि वहां सत्तारूढ़ दल का कोई सदस्य नहीं है । मेरा कहना केवल इतना है कि अगर सभी जगह पर वित्तीय पावर दे दी गई है तो उसमें पक्षपातपूर्ण व्यवहार न किया जाए, बल्कि यह अधिकार सभी जगह दे दिये जाएं ।

श्री धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, मेरी भी सूचना ब्लाक प्रमुखों के संबंध में है । मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया । इस समय उत्तर प्रदेश में ब्लाक प्रमुख के चुनाव होने वाले हैं, सरकार ने अभी कोई तिथि घोषित नहीं की है । ब्लाक प्रमुखों के चुनाव निर्विरोध हों, सत्तापक्ष द्वारा ऐसा माहौल बनाया जा रहा है । बी0डी0सी0 सदस्यों की धर पकड़ की जा रही है । जिस प्रकार से लखनऊ के तीन सदस्यों को पकड़कर थाने में प्रस्तुत किया गया और उनके बयान बदलवाये गये, वह बहुत ही दुःखद है।

(श्री धर्मपाल सिंह अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहते रहे ।)

श्री अध्यक्ष-

आप भी विधायक हैं, आप भी चुनाव लड़ा रहे होंगे, आप बैठ जाएं । मैं ब्लाक प्रमुख के प्रकरण पर माननीय सदस्य श्री धर्मपाल सिंह जी एवं त्रिपाठी जी को सुनने के बाद इसे अग्राह्य करता हूं ।

श्री धर्मपाल सिंह-

चुनाव के लिए फोटो पहचान पत्र जारी किये जाएं और इस प्रकरण पर मैं चर्चा कराने की मांग करता हूं ।

श्री अध्यक्ष-

पहले डेट तो घोषित होने दीजिए ।

श्री धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, 07 मार्च तक चुनाव सम्पन्न होने हैं ।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक-प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

मुझे सदन को एक सूचना देनी है-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने 13 जनवरी, 2006 को हुई अपनी बैठक में की गई सिफारिशों के क्रम में अपनी दिनांक 02 फरवरी, 2006 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 02 फरवरी, 2006 से 15 फरवरी, 2006 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1. दिनांक 03 फरवरी, 2006 को सदन का उपवेशन न हो ।
2. दिनांक 15 फरवरी, 2006 को सदन का उपवेशन हो ।
3. दिनांक 02 फरवरी, 2006 से 15 फरवरी, 2006 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नवत् रखा जाए :-

फरवरी, 2006

02 गुरूवार	उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विधेयक, 2006 पर विचार एवं उसका पारण (आधा घण्टा) ।
03 शुक्रवार	बैठक नहीं होगी ।
04 शनिवार	
05 रविवार	
06 सोमवार	
07 मंगलवार	
08 बुधवार	
09 गुरूवार	
10 शुक्रवार	
11 शनिवार	
12 रविवार	
13 सोमवार	
14 मंगलवार	
15 बुधवार	बैठक होगी ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से यह सदन सहमत है ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव, जो संसदीय कार्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विधेयक, 2006

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विधयेक, 2006 पर विचार किया जाए ।

श्री अध्यक्ष-

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, श्री हुकुम सिंह तथा डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी जी अपना प्रस्ताव रखें।

(डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर, श्री हुकुम सिंह तथा डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी जी के सदन में उपस्थित न होने के कारण संशोधन का प्रस्ताव नहीं रखा गया ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विधेयक, 2006 पर विचार किया जाए?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड-2 से खण्ड-24 तक खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विधेयक, 2006

अधीनस्थ सेवाओं की कतिपय श्रेणियों के लिये एक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्थापना ओर उससे सम्बद्ध और आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2006 कहा जायेगा । संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे ।

लागू होना

2-इस अधिनियम के उपबन्ध समूह 'ग' के ऐसे समस्त सीधी भर्ती वाले पदों के संबंध में जिसके अन्तर्गत सचिवालय के पद भी हैं, और राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित किसी बोर्ड या निगम या अन्य कानूनी निकाय में समस्त समूह 'ग' के पदों पर भी लागू होगा :

परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी पद को आयोग के कार्य-क्षेत्र से हटा या जोड़ सकती है ।

अपवाद

3-इस अधिनियम की कोई बात-

(क) राज्य विधानमण्डल के प्रत्येक सदन के सचिवालय में,

(ख) उच्च न्यायालय या उसके अधीनस्थ न्यायालय के अधीन,

(ग) राज्य लोक सेवा आयोग के अधीन,

(घ) उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप-लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 के अधीन नियुक्त लोक आयुक्त के अधीन,

(ङ.) पुलिस अधिनियम, 1861 द्वारा शासित, किसी पद पर भर्ती के संबंध में लागू नहीं होगी ।

परिभाषायें

4-जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य किसी सेवा या पद के संबंध में, ऐसी सेवा में या पद पर नियुक्ति करने के लिये सशक्त प्राधिकारी से है;

(ख) "आयोग" का तात्पर्य धारा-5 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से है;

(ग) "अध्यक्ष" का तात्पर्य आयोग के अध्यक्ष से है ;

(घ) "समूह ग के पद" का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस रूप में विनिर्दिष्ट पद से है ;

(ङ) "सदस्य" का तात्पर्य आयोग के सदस्य से है और जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी है;

(च) "पुराने आयोग" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, 1988 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से है;

(छ) "अन्य पिछड़े वर्गो" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट पिछड़े वर्गो से है;

(ज) "सचिव" का तात्पर्य आयोग के सचिव से है ।

(झ) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है ।

अध्याय-दो
आयोग की स्थापना

5-(1) ऐसे दिनांक को और से, जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे एक आयोग स्थापित किया जायेगा जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नाम से जाना जायेगा । आयोग की स्थापना

(2) पुराने आयोग के प्रत्येक पूर्णकालिक कर्मचारी की सेवायें जो उस आयोग में इस अधिनियम के ठीक पूर्व सेवारत थे, आयोग को अन्तरित हो जायेंगी ।

6-(1) आयोग में एक अध्यक्ष और आठ से अनधिक ऐसे अन्य सदस्य होंगे, जिन्हें राज्य सरकार समय-समय पर नियुक्त करे : आयोग की संरचना

परन्तु यह कि कोई सदस्य अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिये पात्र होगा किन्तु अपनी पदावधि के पश्चात सदस्य या अध्यक्ष के रूप में पुनर्नियुक्ति या पद पर बने रहने के लिये पात्र नहीं होगा ।

(2) यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाए या यदि अध्यक्ष अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो ऐसे कर्तव्यों का पालन, यथास्थिति जब तक कि उपधारा (1) के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति पद ग्रहण न कर ले या, जब तक कि अध्यक्ष अपना कार्यभार पुन: ग्रहण न कर लें, ऐसे सदस्य द्वारा किया जायेगा, जिसे राज्य सरकार इस प्रयोजन के लिये नियुक्त करे।

7-अध्यक्ष और अन्य सदस्य राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति

परन्तु यह कि जहां तक हो सके, आयोग के आधे सदस्य वे व्यक्ति होंगे जिन्होंने अपनी अपनी नियुक्ति के दिनांक को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन समूह 'क' के पदों पर कम से कम दस वर्ष तक पद धारण किये हों ।

8-(1) अध्यक्ष आयोग के प्रशासन का प्रभारी होगा और उसकी निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की शक्तियां और कर्तव्य

(क) एक या अधिक गैर सदस्यों सहित या उनके बिना सदस्यों में से समितियों या उप-समितियों का गठन करना ;

(ख) सदस्यों, समितियों और उप-समितियों को ऐसा कार्य आवंटित करना जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों या विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से आवंटित न किया गया हो ;

(ग) आयोग और उसके सदस्यों के कार्य का समन्वय करना ;

(घ) सदस्यों और आयोग के अधिकारियों को अवकाश स्वीकृत करना और उनके दौरे के कार्यक्रम को अनुमोदित करना ।

(2) सदस्यगण, अभ्यर्थियों की परीक्षाओं और साक्षात्कारों के संचालन में अध्यक्ष की सहायता करेंगे और ऐसे अन्य कार्य करेंगे जो उन्हें इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों या विनियमों के द्वारा या उसके अधीन या अध्यक्ष द्वारा उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन आवंटित किये जायं ।

सदस्यों की पदावधि तथा होने की शर्तें

9-(1) अध्यक्ष या प्रत्येक अन्य सदस्य अपना पदभार ग्रहण करने के दिनांक से पांच वर्ष के लिये पद धारण करेगा :

परन्तु यह कि कोई सदस्य, जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष भी है, पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात या पांच वर्ष का अपना कार्यकाल पूर्ण कर लेने पर, जो भी पहले हो, इस रूप में पद धारण नहीं करेगा ।

(2) अध्यक्ष या अन्य सदस्य राज्य सरकार को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा किसी भी समय अपना पद त्याग सकता है ।

(3) अध्यक्ष या अन्य सदस्य को इस आधार पर कि उसने धारा 10 में विनिर्दिष्ट कोई अनर्हता प्राप्त कर ली है या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा यथाविहित रीति में की गई जांच जिसमें कि ऐसे सदस्य को उसके विरुद्ध लगाये गये आरोप सूचित किये गये हों और उन आरोपों के संबंध में उसे सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर भी दिया गया हो, के पश्चात कदाचार या असमर्थता के आधार पर राज्य सरकार द्वारा किये गये किसी आदेश द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है ।

अध्यक्ष या अन्य सदस्य होने के लिये अनर्हता

10-अध्यक्ष या अन्य सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिये कोई व्यक्ति अनर्ह हो जायेगा यदि वह-

(क) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाए;

(ख) किसी ऐसे अपराध के लिये, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता हो, दोष सिद्ध हो और कारावास की सजा दी गयी हो;

(ग) अस्वस्थ मस्तिष्क का हो गया हो और किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो ।

सहयुक्त करने की शक्ति

11-आयोग अपने साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिये, जो इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों द्वारा अवधारित किये जायें, किसी ऐसे व्यक्ति को सहयुक्त कर सकता है जिसकी सहायता या सलाह वह इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिये लेना चाहे ।

आयोग की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना

12-आयोग का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझी जायेगी कि-

(क) आयोग के गठन में कोई रिक्ति या त्रुटि है,

(ख) अध्यक्ष या उसके अन्य सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि या अनियमितता है; या

(ग) ऐसे कार्य या कार्यवाही में कोई ऐसी त्रुटि या अनियमितता है जिसका कोई तात्विक प्रभाव नहीं पड़ता है ।

आयोग का सचिव

13-(1) राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया आयोग का एक सचिव होगा जो आयोग के कार्यालय का प्रधान होगा ।

(2) सचिव ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों में विनिर्दिष्ट किये जायें या जैसा अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया जाय ।

आयोग के आदेशों का अधिप्रमाणिकरण

14-आयोग के सभी विनिश्चय और आदेश सचिव या इस निमित्त आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किये जायेंगे ।

अध्याय-तीन

आयोग की शक्तियां, कर्तव्य और कार्य का आवंटन

आयोग की शक्तियां और कर्तव्य

15-(1) आयोग की निम्नलिखित शक्तियां और कर्तव्य होंगे, अर्थात-

(क) भर्ती की रीति से संबंधित विषयों पर मार्ग-दर्शक सिद्धान्त तैयार करना;

(ख) परीक्षाएं संचालित करना, साक्षात्कार करना और अभ्यर्थियों का चयन करना;

(ग) खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये विशेषज्ञों का चयन और उन्हें आमंत्रित करना और परीक्षक नियुक्त करना;

(घ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना, जैसी विहित की जायें ।

(2) आयोग, उपधारा (1) में निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने या कर्तव्यों का पालन करने में ऐसे नियमों और विनियमों द्वारा जैसे इस निमित्त बनाये जायें, मार्गदर्शित होगा ।

आयोग द्वारा किये जाने वाले कार्य

16-आयोग, अपना कार्य जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष या अन्य सदस्यों या उसकी किसी समिति द्वारा अपने कृत्यों का सम्पादन करना भी है, सुविधा से करने के लिये राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से विनिमय बनायेगा और ऐसे विनियमों के अनुसार किया गया कार्य आयोग द्वारा किया गया कार्य समझा जायेगा :

परन्तु राज्य सरकार के लिये यह विधिपूर्ण होगा कि वह किसी ऐसे विनियम को मूल या उपान्तरित रूप में अपना अनुमोदन दें ।

अध्याय-चार

रिक्तियों का अधिसूचित किया जाना और नियुक्तियां

रिक्तियों का अधिसूचित किया जाना

17-(1) नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान आयोग के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और इस निमित्त तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा ।

(2) रिक्तियां ऐसी रीति से आयोग को अधिसूचित की जायेगी जैसी विहित की जाये ।

आयोग द्वारा चयन

18-(1) आयोग, धारा 17 के अधीन रिक्तियों की सूचना के पश्चात यथासम्भव शीघ्र परीक्षा आयोजित करेगा या साक्षात्कार करेगा या दोनों ही करेगा और उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों की एक सूची विहित रीति से तैयार करेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित की जाएगी और नियुक्ति प्राधिकारी इस प्रकार भेजी गयी सूची से उसमें उल्लिखित क्रम में नियुक्तियां करेगा ।

अध्याय-पांच

आयोग के समक्ष कार्य

बैठक में निर्णय

19-आयोग की किसी बैठक में सभी मामलों का अवधारण उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा और मतों की समानता की स्थिति में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले सदस्य का एक द्वितीय या निर्णायक मत होगा ।

गणपूर्ति

20-आयोग की किसी बैठक के लिए सदस्यों की कुल संख्या के आधे से गणपूर्ति होगी :

परन्तु गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की गयी किसी बैठक के लिए गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगी ।

अध्याय-छः

वार्षिक रिपोर्ट

वार्षिक रिपोर्ट

21-आयोग प्रत्येक वर्ष ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाये, वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें गत वर्ष के कार्यकलाप का सही और पूरा विवरण दिया जायेगा और उसकी प्रतियां राज्य सरकार को अग्रसारित की जायेगी और राज्य सरकार उसे राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखवायेगी ।

अध्याय-सात

प्रकीर्ण

नियम बनाने की शक्ति

22-राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है ।

विनियम बनाने की शक्ति

23-(1) आयोग, राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के सम्पादन के संबंध में जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन चयन करने के लिए परीक्षाएं आयोजित करने या साक्षात्कार करने या दोनों के लिए फीस लेना भी है; विनियम बना सकती है या उन्हें संशोधित कर सकती है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाये गये विनियम इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों से असंगत नहीं होंगे ।

सद्भावना से गये कार्य का संरक्षण

24-किसी व्यक्ति के विरुद्ध, किसी ऐसे कार्य के लिए जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिए आशयित हो, कोई वाद, अभियोजना या अन्य कार्यवाही नहीं की जा सकेगी ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-24 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, विधेयक 2006 पारित किया जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश राज्य में कन्या, भ्रूण हत्या पर अविलम्ब प्रभावी रोक लगाये जाने के संबंध में डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी द्वारा दिनांक 8 अगस्त, 2005 को नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर जारी चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-32 मा0 बाजपेयी जी ने स्थगित करने का अनुरोध किया था, उसके अनुरोध को स्वीकार किया जाता है ।

प्रदेश के पुलिस कर्मियों एवं वैतनिक होमगार्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भांति अवैतनिक होमगार्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति आयु 60 वर्ष किये जाने के संबंध में श्री प्रमोद कुमार द्वारा दिनांक 8 अगस्त, 2005 को नियम 103 के अन्तर्गत प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर चर्चा

श्री अध्यक्ष-

मा0 प्रमोद कुमार जी, आप चर्चा शुरू करेंगे या स्थगित कराना चाहेंगे ।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, जैसी सदन की इच्छा हो ।

श्री अध्यक्ष-

अभी डेढ़ भी नहीं बजा है समय है, इसलिए चर्चा शुरू करिये ।

श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि चर्चा शुरू करने का अवसर दिया । कई क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए और सामान्य आयु जो एक आदमी का जीवन काल होता था उसमें वृद्धि हुई । पहले सेवानिवृत्त की आयु 55 वर्ष, 58 वर्ष थी, अब वह 60 वर्ष कर दी गयी । होमगार्ड संगठन की स्थापना एक महत्पूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गयी थी और यह एक तरह से सहयोगी संगठन है कानून-व्यवस्था को बनाये रखने के लिए । उन्होंने अपनी उपयोगिता चाहे चीन का युद्ध हो, आंतरिक स्थितियाँ बनी हों, होमगार्ड की उपयोगिता से कोई इंकार नहीं कर सकता । सर्वाधिक चिन्ता का विषय यह है कि इस संगठन में ग्रामीण अंचलों के विशेष रूप से नौजवान इसमें शामिल होते हैं । इन्हें नियमित रूप से कुछ दिया भी नहीं जाता है । मेरा एक छोटा व साधारण सा सुझाव है और मैं समझता हूं कि सदन में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए । माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से जरूर अनुरोध करूंगा कि मेरा कोई ऐसा सुझाव नहीं है जिसको मानने से सरकार को दिक्कत हो । जब सभी

सेवाओं की सेवानिवृत्त की आयु 58 से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गयी है तो मैं सरकार से आपके माध्यम से इतना अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार इस पर विचार करे कि होमगार्ड की जो सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष है उसे 60 वर्ष कर दिया जाय और बहुत से तर्क हैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि बहुत लम्बे विचार-विमर्श के बाद ही सरकारी सेवाओं की आयु 58 से 60 वर्ष की गयी है, कुछ में 62 वर्ष कर दी गयी है और सुप्रीम कोर्ट के मा0 न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की आयु 65 साल कर दी गयी है । होमगार्ड जो एक महत्वपूर्ण वर्ग है, कानून-व्यवस्था के लिए प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए अपना जीवन तक अर्पित करते हैं उनकी सेवाओं को देखते हुए मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि पुलिस कर्मियों एवं वैतनिक होमगार्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भांति अवैतनिक होम गार्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष कर दी जाय ।

होमगार्डस, प्रान्तीय रक्षा दल मंत्री (श्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी)-

नियम 103 के अंतर्गत श्री प्रमोद कुमार जी ने पुलिस कर्मियों एवं वैतनिक होमगार्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भांति अवैतनिक होमगार्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष करने का प्रस्ताव किया है । मैं श्री प्रमोद जी को बताना चाहता हूं कि भारत सरकार ने जो नीति बनाई है और भारत सरकार के दिशा निर्देशन में ही यह नियम बने हैं इसके संगठन के स्वरूप को हम चेंज नहीं कर सकते हैं । उत्तर प्रदेश सरकार चेंज नहीं कर सकती है । आपकी सरकार केन्द्र में है अगर आप इसके स्वरूप को चेंज करवाना चाहते हैं तो केन्द्र से दिशा निर्देश दिला दें हमें कोई आपत्ति नहीं होगी । यह होमगार्ड संगठन स्वयं सेवी संगठन है । स्वयं सेवी संगठन में जो अवैतनिक अधिकारी और कर्मचारी हैं उनकी सेवा की उम्र 18 से 58 वर्ष होती है । उसका कारण यह है कि इन ज्यादा से ज्यादा स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित करें ताकि समाज में जो महामारी, दैवी आपदा, कानून-व्यवस्था के मामले होते हैं उसमें हम ज्यादा से ज्यादा इनका उपयोग समय-समय पर करते रहें । इनको कोई वेतन नहीं दिया जाता है इनकी जब आवश्यकता होती है तभी ड्यूटी लगाई जाती है और इनको मानदेय दिया जाता है । आज हम इनकी उम्र 60 साल कर दें तो वह यह मांग कर सकते हैं कि हमें स्थायी किया जाय । यह उत्तर प्रदेश सरकार नहीं कर पायेगी इससे संगठन का स्वरूप चेंज हो जायेगा अगर संगठन का स्वरूप चेंज कराना है तो केन्द्र सरकार से दिशा निर्देश लेने की आवश्यकता होगी । अगर केन्द्र सरकार के दिशा निर्देश मिल जायं तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार को इसे मानने में कोई दिक्कत नहीं होगी । अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आदरणीय प्रमोद जी ने नियम 103 के अंतर्गत चर्चा के लिए जो प्रस्ताव दिया है यह औचित्यपूर्ण नहीं है ।

श्री प्रमोद कुमार-

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी की भावनाओं का आदर करते हुए कहना चाहता हूं अभी मंत्री जी ने कहा कि एक तकनीकी कठिनाई है इसके लिए केन्द्र सरकार से दिशा निर्देश लेने होंगे तो मैं सिर्फ एक आग्रह करना चाहता हूं मैं चाहता हूं कि आप इस संबंध में एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास भिजवा दें तो मैं इसके लिए आपका आभारी रहूंगा । यहां से एक संस्तुति हो जाय ।

श्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी-

इस तरह का प्रस्ताव जल्द भारत सरकार को भिजवा देंगे ।

श्री प्रमोद कुमार-

मैं इसके लिए मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं ।

श्री अध्यक्ष-

आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ।

श्री प्रमोद कुमार-

मेरा उद्देश्य पूरा हो गया है । चूंकि मेरे प्रस्ताव पर सरकार तैयार हो गयी इसलिए मैं इसे वापस ले रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि श्री प्रमोद कुमार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में पुलिस कर्मियों एवं वैतनिक होमगार्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भांति अवैतनिक होमगार्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भी सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष कर दी जाय, को वापस लेने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश के नगर निगमों द्वारा जनसुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु मार्ग दर्शन सिद्धान्त बनाये जाने के संबंध में डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

वाजपेयी जी का स्थगन के लिये अनुरोध है । उनके अनुरोध को स्वीकार किया जाता है ।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 2 फरवरी, 2006 को नियम-51 के अंतर्गत कुल 25 सूचनायें प्राप्त हुई । पहली सूचना डॉ राधामोहन दास अग्रवाल की जो गोरखपुर नगर से संबंधित लम्बित कार्यो को पूर्ण कराये जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । दूसरी सूचना श्री प्रमोद कुमार की जनपद लखनऊ के थाना मडियांव स्थित 3 बी0डी0सी0 सदस्यों का अपहरण कर लिये जाने एवं उनका अभी तक पता न चल पाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृति हुई । तीसरी सूचना श्री नरेन्द्र प्रार्थी की, जो जनपद गाजियाबाद और बागपत के मध्य हिंडन नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । चौथी सूचना श्री रंगनाथ मिश्र की जो जनपद संत रविदास नगर भदोही के जिला मुख्यालय पर लगे शिलान्यास का पत्थर हटाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृति हुई । पांचवी सूचना श्री फागू चौहान की जो जनपद हरदोई के तहसील सण्डीला में वृक्षारोपण हेतु छोड़ी गई भूमि का अपात्र लोगों को पट्टा किये जाने के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई । छठवीं सूचना श्री घूरा राम की जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत फार्मेसिस्टों को जनपद से बाहर स्थानान्तरण न करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृति हुई ।

सातवीं सूचना श्री जय प्रताप सिंह की जो जनपद संतकबीर नगर स्थित कालिका प्रसाद महर्षि विद्या मंदिर के भवन निर्माण हेतु विधायक निधि से अवमुक्त धनराशि का उपयोग न किए जाने एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई । आठवीं सूचना श्री रमेश चन्द्र बिन्द की जो जनपद मिर्जापुर स्थित रमईपट्टी से चुनार सम्पर्क मार्ग पर बेलवन नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई । नवीं सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की जो जल निगम, वाराणसी द्वारा हैण्डपम्पों के अधिष्ठान तथा खराब हैण्डपम्पों को सुचारू करने की दिशा में उपेक्षा बरतने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई । दसवीं सूचना श्री मदनगोपाल वर्मा की जो जनपद फतेहपुर के जहानाबाद क्षेत्र में शासनादेश के बाद भी अतिरिक्त 40 एम0बी0ए0 का ट्रान्सफार्मर न लगाये जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई । ग्यारहवीं सूचना श्री जगदीश नारायण राय की जो प्रदेश में अनुसूचित जाति की पुत्रियों की शादी में दिए जाने वाले अनुदान के लिये नियमावली बनाये जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई । बारहवीं सूचना श्री रणवीर राणा की जो प्रदेश के कपड़ा बुनकरों के हित में विद्युत दर प्रति पावरलूम लागू किये जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। तेरहवीं सूचना श्री जियाउद्दीन रिजवी की जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाई गई स्थानान्तरण नीति के बाद भी जनपद कानपुर में 10 वर्षो से अधिक समय से कार्यरत चिकित्सकों का स्थानान्तरण न किये जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई । चौदहवीं सूचना डॉ0 पूर्णमासी देहाती की जो प्रदेश के ब्लाक प्रमुखों के चुनाव को देखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुरूप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण-पत्र न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई । पन्द्रहवीं सूचना डॉ0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी की जो भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 7 जिलों की अवस्थापना सुविधाओं एवं आधारभूत सुविधाओं को स्थापित करने हेतु मेरठ महानगर की योजनाओं को शामिल कर सी0डी0आर0 तथा पी0डी0आर0 को तत्काल बनाये जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। सोलहवीं सूचना श्री प्रमोद कुमार की जनपद लखनऊ के थाना मंड़ियांव स्थित 3 बी0डी0सी0 सदस्यों का अपहरण कर लिये जाने एवं उनका अभी तक कोई पता न चल पाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है (प्रमोद कुमार के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

इस पर बोला नहीं जाता है ।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, इसको वक्तव्य के लिये कर दें ।

श्री अध्यक्ष-

आपकी सूचना को वक्तव्य के लिये स्वीकार किया जाता है । जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं चयनित नहीं हुई अत: अस्वीकृत हुई उनके नाम इस प्रकार हैं । चौ0 महेन्द्र सिंह, श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह ऊर्फ मोती सिंह, डॉ0 अजय कुमार, श्री कौशल किशोर, प्रो0 रवीन्द्र पुण्डीर, श्री बीजू पटनायक, श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह), श्री रामकरन आर्य, श्री प्रभुदयाल बाल्मीकि ।

लखनऊ निवासी स्व0 संतोष साहू कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी की हत्या से जुड़े अभियुक्तों को गिरफ्तार न किये जाने के संबंध में श्री प्रमोद कुमार आदि द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

जनपद लखनऊ निवासी स्व0 संतोष साहू कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी की हत्या से जुड़े अभियुक्तों को...

श्री अध्यक्ष-

पढ़ा हुआ मान लेते हैं ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

[गिरफ्तार न किये जाने के संबंध में सर्वश्री प्रमोद कुमार व जगदम्बिका पाल, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-311 के अंतर्गत दिनांक 02-01-2006 को दी गई नोटिस के संबंध में प्रकरण की जांच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ के माध्यम से कराई गई । प्राप्त जांच आख्या के अनुसार तथ्यात्मक विवरण निम्नवत् हैं :-

1. दिनांक 09-11-2005 को थाना-सआदतगंज में वादी श्री कमल साहू पुत्र श्री शिवदीन साहू, निवासी-409/94 दर्जी की बगिया, थाना-चौक पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त श्रीकुमार तिवारी पुत्र प्रेम चन्द्र तिवारी, थाना-सआदतगंज, अनुराग मिश्र पुत्र कल्लू मिश्र व सुमित खन्ना पुत्र अज्ञात, थाना-चौक ने वादी के भाई सन्तोष साहू जो अपने घर के पास स्थित माता मंदिर से दर्शन करके वापस घर लौट रहे थे कि मंदिर के पास पहले से घात लगाकर बैठे उपरोक्त अभियुक्तों ने दिनांक 9-11-2005 को प्रात: समय लगभग 8.30 बजे गोली मारकर उनकी हत्या कर दी ।

2. उक्त के संबंध में थाना-सआदतगंज पर मु0अ0सं0-164/2005 धारा 302भा0दं0वि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया । अभियुक्त श्रीकुमार तिवारी को थाना-सआदतगंज के मु0अ0सं0-164/2005 धारा 302 भा0दं0वि0 में दिनांक 14-11-2005 को वारन्ट तामील कर पुलिस कस्टडी रिमाण्ड पर लिया गया, जिसमें अभियुक्त श्रीकुमार तिवारी ने उक्त घटना के जुर्म को स्वीकार किया ।

3. विवेचना से ज्ञात हुआ कि थाना-सआदतगंज क्षेत्रान्तर्गत दिलाराम बारादरी में श्री पी0एन0सिंह पुत्र सिद्धनाथ सिंह, थाना-सआदतगंज के नाम 4200 वर्ग फीट का प्लाट है,जिसको सन्तोष साहू ने श्री पी0एन0सिंह से सितम्बर, 2005 में खरीद लिया था । इस प्लाट को अभियुक्त श्रीकुमार तिवारी भी लेना चाहते थे । श्रीकुमार तिवारी को जब प्लाट नहीं मिला तो उसने न्यायालय में फर्जी इकरारनामें के आधार पर मुकदमा दायर कर दिया । न्यायालय ने सन्तोष साहू के पक्ष में फैसला दिया । इसी प्रकरण को लेकर श्रीकुमार तिवारी सन्तोष साहू, (मृतक) से रंजिश रखने लगा तथा दिनांक 9-11-2005 को गोली मारकर श्री साहू की हत्या कर दी । विवेचना से यह भी प्रकाश में आया कि मृतक सन्तोष साहू की हत्या में योगेश मिश्र उर्फ चूचू निवासी-दर्जी की बगिया, थाना-चौक, लखनऊ एवं एक अन्य व्यक्ति जिसको योगेश मिश्र लेकर आया था, भी इस घटना में सम्मिलित था। अभियुक्त योगेश मिश्र उर्फ चूचू दिनांक 23-1-06 को कोतवाली नगर इटावा में मु0अ0सं0-62/06 धारा-60 एक्सप्लोसिव ऐक्ट में गिरफ्तार होकर इटावा जेल में निरूद्ध है, जिसका वाद "बी" न्यायालय, लखनऊ से बनवाकर जेल भेजे जाने की कार्यवाही कराई जा रही है। प्रकरण में नामित अभियुक्त अनुराग मिश्र एवं सुमित खन्ना के विरूद्ध कोई साक्ष्य नहीं पाये गये। अत: अभियुक्तों की गिरफ्तारी शेष नहीं है।]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, आपकी अनुमति हो तो इस पर मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूँ। यह दिन में हत्या हुई। दिन दहाड़े हत्या हुई और इसकी एफ0आई0आर0 लिखी गई। उसके बाद मान्यवर इसमें नामजद अपराधी हैं। नामजद अभियुक्त हैं। उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। हम इतना आश्वासन चाहते हैं सरकार से, समयबद्ध ढंग से जाँच कराकर गिरफ्तारी का आश्वासन सदन को दे। इसमें समयबद्ध आश्वासन सरकार दे।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

मान्यवर, यह तो इसी में है आप दूसरा पैरा देखें। "उक्त के संबंध में थाना सआदतगंज पर मु0अ0सं0-164/2005 धारा 302 भा0दं0वि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त श्री कुमार तिवारी को थाना सआदतगंज के मु0अ0सं0-164/2005 धारा 302 भा0दं0वि0 में दिनांक 14-11-2005 को वारन्ट तामील कर पुलिस कस्टडी रिमाण्ड पर लिया गया, जिसमें अभियुक्त श्री कुमार तिवारी ने उक्त घटना के जुर्म को स्वीकार किया।"

श्री प्रमोद कुमार-

इसको आप समयबद्ध कर दें।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

अब तो अदालत का काम है।

श्री प्रमोद कुमार-

विवेचना करा दें।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

विवेचना हो जाएगी।

जनपद खीरी स्थित युवराज दन्त महाविद्यालय के बी0एस0सी0 एवं एम0एस0सी0 के छात्रों में परीक्षाफार्म न भरवाये जाने के संबंध में डा0 कौशल किशोर द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

(वक्तव्य संसदीय कार्यमंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

[मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 02-01-2006 की नियम-51 के अन्तर्गत सूचना दी गयी कि जनपद खीरी का युवराज दत्त महाविद्यालय, जो स्नातकोत्तर तक की शिक्षा प्रदान कर रहा है और सरकारी सहायता प्राप्त है। बी0एस0सी0 व एम0एस0सी0 में निर्धारित सीटों के अतिरिक्त महाविद्यालय के प्रबन्धक व प्रधानाचार्य ने अतिरिक्त दाखिले ले लिए थे। उस समय तो छात्रों को यह बताया गया था कि शासन के निर्देश है कि कोई छात्र बिना शिक्षा के रहने न पाए। इसलिए हम स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त फीस लेकर दाखिले ले रहे हैं और अब छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर ने ऐसे छात्रों को परीक्षा फार्म भरवाने से मना कर दिया है। इसलिए अब युवराज दत्त

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

महाविद्यालय का प्रबन्धतंत्र यह कह रहा है कि यह दाखिले सायंकालीन शिक्षा के अन्तर्गत लिए गए थे। 154 छात्र परीक्षा फार्म न भरवाए जाने की वजह से बहुत परेशान है और इनका एक वर्ष के साथ-साथ भविष्य ही अधर में लटक गया है। छात्रों में बहुत रोष व्याप्त है। अभिभावक भी अपने बच्चों के भविष्य को लेकर बेहद परेशान हैं और आन्दोलन पर उतारू हैं। अत: मा0 सदस्य द्वारा इन छात्रों के परीक्षा फार्म भरवाने की व्यवस्था किए जाने की मांग की गयी है।

2- मा0 सदस्य द्वारा दी गयी उक्त सूचना पर कुलसचिव, छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय , कानपुर से आख्या प्राप्त की गयी, जिसमें यह अवगत कराया गया है कि जनपद खीरी स्थित युवराज दत्त महाविद्यालय में विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2005-06 में बी0एस0सी0 प्रथम वर्ष कक्षा हेतु 25 प्रतिशत सीट वृद्धि के साथ कुल 750 सीटें निर्धारित हैं। महाविद्यालय द्वारा बी0एस0सी0 प्रथम वर्ष कक्षा में प्रवेशित 750 छात्र/छात्राओं की प्रवेश सूची विश्वविद्यालय में दिनांक 02-09-2005 को प्रस्तुत कर 750 छात्र/छात्राओं के परीक्षा आवेदन पत्र प्राप्त किए गये थे। उक्त परीक्षा आवेदन फार्म महाविद्यालय द्वारा छात्र/छात्राओं से भरवाकर दिनांक 15-10-2005 को विश्वविद्यालय में जमा किए जा चुके हैं।

3- यह भी अवगत कराया गया है कि युवराज दत्त महाविद्यालय, खीरी को बी0एस0सी0 प्रथम वर्ष कक्षा में सायंकालीन कक्षाओं की अनुमति विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान नहीं की गयी है। कोई भी महाविद्यालय विश्वविद्यालय की बिना अनुमति के सायंकालीन कक्षाओं में प्रवेश लेने हेतु अधिकृत नहीं है। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी, खीरी के पत्र संख्या-328/बी0एस0सी0-परीक्षा फार्म/ शिक्षा/स्टेनों, दिनांक 19-11-2005 को प्रत्युत्तर भी विश्वविद्यालय द्वारा पत्र संख्या- सी0एन0जे0एफ0वि0वे0/आर0कैम्प/ 193/2005, दिनांक 22-11-2005 द्वारा जिलाधिकारी, खीरी को प्रेषित किया जा चुका है, जिसमें जिलाधिकारी, खीरी को सूचित किया गया है कि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के अधिनियम, विभिन्न शासनादेशों तथा महामहिम के निर्देश का उल्लंघन करते हुए अवैधानिक तरीके से निर्धारित सीटों से अधिक 154 छात्र/छात्राओं को प्रवेशित किया गया है। अत: महाविद्यालय द्वारा बी0एस0सी0 प्रथम वर्ष कक्षा में निर्धारित सीटों से अधिक प्रवेशित 154 छात्र/छात्राओं हेतु नियमानुसार विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र निर्गत किया जाना सम्भव नहीं है।

4- जहाँ तक एम0एस0सी0 प्रथम वर्ष के छात्रों से परीक्षा फार्म न भरवाये जाने का प्रश्न है, के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा अवगत कराया गया है कि श्री कुलाधिपति के पत्र संख्या-ई0स0-2470/ जी0एस0, दिनांक 15-10-2005 द्वारा महाविद्यालय को पत्र 2005-06 हेतु परास्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत वनस्पति विज्ञान विषय में समबद्धता प्रदान किए जाने का औचित्य नहीं पाया गया है। अत: श्री कुलाधिपति के उक्त पत्र के अनुपालन में महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा एम0एस0सी0 प्रथम वर्ष, वनस्पति विज्ञान विषय में प्रवेश हेतु छात्र आवंटित नहीं किए गये हैं।

5- उल्लेखनीय है कि उक्त के सम्बन्ध में प्रश्नगत महाविद्यालय के प्रबन्धक व प्राचार्य को उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-57 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नोटिस दिनांक 30-12-2005 को निर्गत की गयी है, जिसके द्वारा एक माह के अन्दर सुसंगत साक्ष्यों व अभिलेखों सहित स्पष्टीकरण मांगा गया है।

6- सम्बन्धित महाविद्यालय के प्रबन्धक एवं प्राचार्य का स्पष्टीकरण प्राप्त होने के पश्चात प्रकरण नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।]

श्री अध्यक्ष-

कौशल किशोर जी नहीं हैं लेकिन यह गम्भीर मामला था काफी लड़कों ने हमसे भी सम्पर्क किया। वह पढ़ते हैं उनसे फीस ली जाती है। कानपुर यूनीवर्सिटी ने एम0एस0सी0 की मान्यता नहीं दी है तो इसको देख लें उनके फार्म क्यों जमा नहीं कराये जाते।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

आपके माध्यम से आश्वासन देना चाहता हूँ इसको करायेंगे।

जनपद संतकबीर नगर के नगर पंचायत हरिहरपुर वार्ड नं0-1 (सवापार) में श्री गोपी कृष्ण द्विवेदी, सेवानिवृत्त उप सचिव, विधान सभा की जमीन पर अवैध कब्जा कर हमले के प्रयास के दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध मं श्री अलगू प्रसाद चौहान द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

माननीय सदस्य द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना के अनुसार जनपद संतकबीर नगर के नगर पंचायत हरिहरपुर में...

एक सदस्य-

पढ़ा मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

श्री अलगू प्रसाद चौहान जी उपस्थित तो हैं नहीं।

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

[सवापार (वार्ड नं0-1) में श्री गोपी कृष्ण द्विवेदी, सेवा निवृत्त उप सचिव की जमीन पर अवैध कब्जा करके श्रीमती कमलावती देवी पत्नी स्व0 श्री हरि कृष्ण द्विवेदी द्वारा जबरन अवैध रूप से बाउन्ड्री बनवाकर कब्जा कर लिया गया है । श्री द्विवेदी द्वारा जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक को आवेदन पत्र दिये गये परन्तु अवैध अतिक्रमण हटाने हेतु पुलिस बल उपलब्ध नहीं कराया गया । श्री गोपी कृष्ण द्विवेदी द्वारा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने पर उसे उचित धाराओं में दर्ज नहीं किया गया । श्री गोपी कृष्ण द्विवेदी द्वारा दिनांक 12.9.05 को प्रमुख सचिव, गृह को भी पत्र दिया गया परन्तु उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुयी ।

2. श्री गोपी कृष्ण द्विवेदी द्वारा प्रमुख सचिव, गृह को दिये गये प्रार्थना पत्र की जांच पुलिस अधीक्षक, संतकबीर नगर से करायी गयी । जांच से पाया गया कि श्री गोपी कृष्ण एवं विपक्षीगणों के बीच जमीन को लेकर विवाद हुआ । जांच के अनुक्रम में श्री गोपी कृष्ण द्विवेदी एवं विपक्षीगण को अभिकथन हेतु बुलाया गया, विपक्षी श्री उमाशंकर पाण्डेय पुत्र श्री बृजभूषण पाण्डेय निवासी हरिहरपुर वार्ड नं0-7 थाना महुली उपस्थित हुये किन्तु श्री गोपी कृष्ण द्विवेदी उपस्थित नहीं हुए । श्री राम नाथ दूबे के 4 पुत्र क्रमशः श्री राम दूबे, औतार राम दूबे, अक्षेवर दूबे एवं मुरलीधर दूबे थे, जिसमें से औतार राम दूबे एवं मुरलीधर दूबे नावल्द रहे तथा श्री राम दूबे के दो पुत्र क्रमशः हरिकृष्ण दूबे एवं गिरीश चन्द्र दूबे हैं जिसमें हरिकृष्ण की शादी श्रीमती कमलावती देवी से हुई है जिनके मात्र दो पुत्रियां हैं, एक लड़की मीना की शादी उमाशंकर पाण्डेय से हुई । श्री उमाशंकर अपनी ससुराल में ही अपनी पत्नी सहित रह कर अपने ससुराल वालों की देखभाल करता है जो श्री गोपी कृष्ण द्विवेदी के विपक्षीगण हैं । श्रीमती कमलावती द्वारा जिस जमीन पर बाउन्ड्री बनायी गयी है वह जमीन कमलावती के पति श्री हरिकृष्ण के पिता श्री राम

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

दूबे द्वारा ग्राम सवापार के निवासी बूढन नाथ आदि से रजिस्टर्ड बैनामों के माध्यम से लिया गया है । इस बात को लेकर उभय पक्षों में विवाद होना पाया गया जिसके संबंध में विपक्षी श्रीमती कमलावती देवी द्वारा मा0 न्यायालय जिला जज बस्ती के यहां वाद संख्या-229/05 श्रीमती कमलावती बनाम गोपी कृष्ण आदि दाखिल किया गया है जिसमें मा0 न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश के अनुपालन में स्थिति यथावत है । स्थानीय पुलिस द्वारा शान्ति व्यवस्था के दृष्टिकोण से उभय पक्षों के विरुद्ध अंतर्गत धारा 107/116 जा0फौ0 की कार्यवाही दिनांक 8-6-05 को की जा चुकी है जो विचाराधीन न्यायालय है । ऐसी स्थिति में सन्दर्भित प्रकरण में किसी अन्य पुलिस कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है । श्री गोपी कृष्ण द्विवेदी द्वारा थाना महुली जनपद संतकबीर नगर में दिनांक 22-6-05 को एन0सी0आर0 नं0-96/05 धारा 504/506 भा0द0वि0 विरुद्ध श्रीमती कमलावती देवी आदि 04 नफर पंजीकृत कराया गया था जिसकी विवेचना पूर्ण कर नामित अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 18-12-05 जो मा0 न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है ।]

जनपद अलीगढ़ के कस्बा खैर में राजस्व अभिलेखों में जमींदारों के नाम दर्ज होने के संबंध में श्री प्रमोद गौड़ द्वारा नियम-51 के अंतर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्यमंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 2-1-2006 को नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गई है कि करस्बा खैर जनपद अलीगढ़ में...

एक मा0 सदस्य-

पढ़ा मान लिया जाए ।

(संलग्न वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री अध्यक्ष-

श्री प्रमोद गौड़ भी नहीं है ।

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

[सरकार के अनेक प्रयास करने तथा समय-समय पर नोटिफिकेशन द्वारा उ0प्र0 जमींदारी उन्मूलन एवं भू-व्यवस्था अधिनियम के अंतर्गत राजस्व अभिलेखों में संशोधन कराते हुए जमींदारों के स्थान पर कृषकों का नाम दर्ज किये जाने एवं आबादी स्थलों में, जैसे दुकान, मकान सराय, विद्यालय भूमि, धर्म स्थल, कब्रिस्तान आदि पर काबिज लोगों के नाम दर्ज करने हेतु विधायी परिवर्तन किये । परन्तु तहसील खैर जनपद अलीगढ़ में स्थित कस्बा खैर में आज तक राजस्व अभिलेखों में जमींदारान का नाम यथावत पूर्व की भांति चला आ रहा है । मा0 सदस्य द्वारा दी गयी सूचना में यह भी उल्लेख किया गया है कि जनपद अलीगढ़ में उ0प्र0 जमींदारी उन्मूलन एवं भू-व्यवस्था अधिनियम के अंतर्गत जमींदारान का नाम दर्ज रहने के कारण जमींदारों के द्वारा अनेक दुकानों, मकानों सराय, धर्म स्थलों, बंजरों व सार्वजनिक भूमि, कब्रिस्तान तथा कृषि भूमि को गैर कानूनी ढंग से बेचा जा रहा है, बैनामा किये जा रहे

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

हैं जिससे असल काश्तकारों, दुकान मालिकों व मकानों में सैकड़ों वर्षों से रह रहे लोगों का उत्पीड़न हो रहा है । इसको क्रय करने वाले भू-माफिया को कम कीमत पर बैनामें जमींदारान द्वारा कर दिये जाने से असल हकदारों को रोजाना कब्जा हटाने की धमकियां दी जा रही हैं जिससे आम आदमी व असल व कब्जेदार (मालिक) भू-माफियाओं से भयभीत हैं परन्तु शासन व प्रशासन इस ओर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है ।

2. मा0 सदस्य द्वारा दी गयी सूचना के संबंध में जिलाधिकारी, अलीगढ़ से प्राप्त आख्यानुसार कस्बा-खैर जनपद अलीगढ़ में स्थित नान0 जेड0ए0 की भूमि 664.00 एकड़ जमींदारी विनाश के अंतर्गत जमींदारी समाप्त करने की सूचना जारी न होने की दशा में राजस्व अभिलेखों में प्रश्नगत भूमि पर जमींदारान का नाम अभिलेखों में यथावत चला आ रहा है । जिलाधिकारी, अलीगढ़ द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि मा0 सदस्य विधान सभा के पत्र दिनांक 2-1-2006 में नान0जेड0ए0 की भूमि की विक्रय किये जाने संबंधी कोई तथ्य/सूचना प्रकाश में नहीं आई है । सार्वजनिक उपयोग की भूमि के बैनामा किये जाने एवं कब्जा हटाये जाने के संबंध में भी जिलाधिकारी, अलीगढ़ द्वारा अवगत कराया गया है कि मा0 सदस्य के पत्र दिनांक 2-1-2006 में वर्णित कथन के संबंध में तहसीलदार/उप जिलाधिकारी को निर्देश दिये गये हैं कि इस प्रकरण की गहराई से छानबीन कर सही तथ्य पाये जाने पर कब्जा करने वाले एवं बैनामा करने वालों के विरुद्ध प्रबल कार्यवाही की जाये एवं सब रजिस्ट्रार खैर को भी निर्देशित किया गया है कि स्थल निरीक्षण बाद ही भूमि का स्वामित्व पाये जाने पर ही पंजीकरण की कार्यवाही करें ।

3. जहां तक प्रदेश के नागर क्षेत्रों में अकृषक भूमि की जमींदारी समाप्त करने का प्रश्न है इस संबंध में अवगत कराना है कि प्रदेश के नागर क्षेत्रों में अकृषक भूमि की जमींदारी समाप्त करने के संबंध में अकृषक भूमि का क्षेत्रफल उसके मध्यवर्तियों की संख्या तथा मध्यवर्तियों को दी जाने वाली प्रतिकर की धनराशि का आकलन तथा प्रतिकर धनराशि आदि की भुगतान व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु राजस्व परिषद् से प्राप्त सूचनानुसार प्रदेश के शहरी क्षेत्र के अकृषक भूमि की जमींदारी प्रथा समाप्त किये जाने से प्रदेश शासन को देय प्रतिकर की धनराशि अरबों रुपयों में होगी । उक्त प्रतिकर की धनराशि सुनिश्चित हो जाने पर ही नागर क्षेत्र की अकृषक भूमि की जमींदारी प्रथा समाप्त किया जाना सम्भव होगा जो प्रदेश की वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुए अत्यन्त कठिन प्रतीत होता है जिसके परिणामस्वरूप उक्त प्रस्ताव पर विचार न करने का निर्णय लिया गया ।

4. इसी संबंध में मा0 नगर विकास मंत्री की अध्यक्षता में प्रदेश में वित्तीय संसाधनों की वृद्धि किये जाने के संबंध में गठित मा0 मंत्रिपरिषद् की उप समिति की 10वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि टेनेन्सी एक्ट के अंतर्गत आने वाली भूमि की जमींदारी उन्मूलन अधिनियम के अंतर्गत लाया जाता है तो सरकार को मुआवजे के रूप में एक बड़ी धनराशि वहन करनी होगी तथा ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष अनेक वाद भी दायर हो सकते हैं । अतः जनपदों में स्थित नान0जेड0ए0 एवं सरकारी आस्थानों की भूमि जो विनियमित नहीं है, की सूचना समस्त जिलाधिकारियों से प्राप्त कर ली जाये ।

उक्त निर्णय के आलोक में प्रदेश के समस्त जनपदों से शासन द्वारा उक्त सूचना राजस्व परिषदों के माध्यम से मांगी जा रही है किन्तु अभी तक परिषद् से समस्त जनपदों की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। समस्त जनपदों की सूचना प्राप्त होने के पश्चात ही इस प्रकरण को मा0 मंत्रिपरिषद् की उप समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा तद्नुसार लिये गये निर्णय के उपरान्त मामले में कार्यवाही की जायेगी।]

उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लि0 मुख्यालय, लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में श्री कोविद कुमार सिंह, द्वारा नियम-51 के अंतर्गत दी गयी सूचना पर सहकारिता राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

[उ0प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम सं0 51 के अंतर्गत माननीय श्री कोविद कुमार सिंह, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 8-12-2005 द्वारा उ0प्र0 उपभोक्ता सहकारी संघ लि0 मुख्यालय लखनऊ में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं करोड़ों रूपये की अनियमितता तथा गबन की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये अवगत कराया गया है कि संघ में विगत कई वर्षो से व्याप्त भ्रष्टाचार जो अब चरम सीमा पर पहुंच चुका है एक सहायक प्रबंधक श्री हरबीर सिंह द्वारा रू0 5.91 करोड़ का गबन किया गया जिसकी जांच अपर निबंधक (विकास) श्री सी0एम0 सिंह द्वारा की गयी जिसमें उक्त सहायक प्रबंधक श्री सिंह को दोषी पाया गया एवं वसूली की संस्तुति की गयी थी । इसी प्रकरण की सी0बी0सी0आई0डी0 की जांच में भी उक्त सहायक प्रबंधक को गबन का दोषी पाया गया तथा रिकवरी के साथ विभागीय एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही की संस्तुति की गयी जिस पर निलम्बन भी हुआ । किन्तु प्रकरण में लीपा पोती कर उक्त सहायक प्रबंधक को बहाल कर कार्यकारी पद का पुन: चार्ज दे दिया गया। इस कारण उपभोक्ता संघ बन्दी के कगार पर है जिसमें कर्मचारीगण आन्दोलनरत हैं एवं उनके भविष्य की असुरक्षा के कारण उनमें कुण्ठा एवं भय व्याप्त है यदि व्यापक जांच की जाती है तो अन्य प्रकरण भी सामने आ जायेंगे । माननीय सदस्य द्वारा उपर्युक्त प्रकरण में पुन: जांच कराकर दोषी से वसूली कर दण्डित किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

उक्त प्रकरण के संबंध में अवगत कराना है कि श्री हरबीर सिंह, तत्कालीन शाखा प्रबंधक, लखनऊ को आदेशों के विपरीत उधार बिक्री कराने, शाखा पर समुचित नियंत्रण न रखने, लेखों का समुचित ढंग से रख-रखाव न कराने एवं सौंपे गये दायित्वों का सम्यक निर्वहन न करने के कारण उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का निर्णय लेते हुये तत्कालीन उप-सामान्य प्रबंधक (प्रशा0) को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था । तदुपरान्त प्रारम्भिक जांच के दौरान लखनऊ शाखा में श्री हरबीर सिंह के कार्यकाल में राज्य सात वस्तुओं रिटेल शाप, तेल मिल पटल पर भी गम्भीर वित्तीय अनियमितता एवं अपहरण के मामले प्रकाश में आये । अत: श्री हरबीर सिंह को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुये पूरे प्रकरण की जांच करने हेतु तत्कालीन उप-सामान्य प्रबंधक (प्रशा0) संघ मुख्यालय को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया ।

जांच अधिकारी श्री मो0 असलम खाँ, उप-सामान्य प्रबधंक (प्रशा0) संघ की सेवा से स्थानान्तरण हो जाने के फलस्वरूप उपर्युक्त प्रकरण में श्री मंगू सिंह, उप सामान्य प्रबधं (वित्त) संघ मुख्यालय को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया । नियुक्ति अधिकारी द्वारा अनुमोदित 19 आरोपों से श्री सिंह को आरोपित किया गया । सहायक प्रबंधक के नियुक्ति अधिकारी प्रबंधक निदेशक, उ0प्र0 उपभोक्ता, सहकारी संघ लि0 लखनऊ हैं जिनके स्तर से विभागीय कार्यवाही के निर्णय अन्तिम किये जा सकते हैं। मामले में शीघ्र निस्तारण हेतु श्री मंगू सिंह, उप सामान्य (वित्त/जांच अधिकारी) के स्थान पर श्री डी0सी0 कंसल, प्रभारी सामान्य प्रबंधक (व्यव0), संघ मुख्यालय को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया तथा जांच अधिकारी के अनुरोध पर संघ की ओर से अभिलेखों को दिखाने एवं संघ का पक्ष प्रस्तुत करने हेतु श्री राजमणि द्विवेदी, तत्कालीन क्षेत्रीय प्रबंधक, लखनऊ को प्रेजेन्टिंग आफिसर नामित किया गया ।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जांच अधिकारी ने दिनांक 22-6-94 को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें उन्होंने श्री हरबीर सिंह के विरुद्ध लगाये गये 19 आरोप सिद्ध नहीं पाये । जांच अधिकारी की जांच आख्या को दृष्टिगत रखते हुये श्री डी0सी0कंसल, जांच अधिकारी के आरोपों का पुन: परीक्षण कर तथा शाखा प्रबंधक के जाब चार्ट को ध्यान में रखते हुये जांच आख्या प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया, जिसके संदर्भ में जांच अधिकारी ने उल्लेख किया कि एक नये साक्ष्य को आधार मानकर पुन: जांच कार्यवाही को संशोधित करने में मैलाफाइड इन्टेशन से दण्डित करने की प्रतिध्वनि आती है और इससे निष्पक्षता प्रभावित होगी । अत: उनकी जांच आख्या वही है जो दिनांक 22-6-94 को दी गयी ।

यह भी उल्लेखनीय है कि पुलिस अधीक्षक, विशेष अनुसंधान शाखा सहकारिता, उ0प्र0 लखनऊ ने सूचित किया कि मु0अ0सं0 188/92 धारा 409/420/467/477 एवं भा0दं0वि0 थाना कैसरबाग, जनपद लखनऊ की विवेचना क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के निरीक्षक श्री बी0डी0 जखमोला द्वारा की गयी विवेचना के दौरान उन्होंने श्री हरबीर सिंह के द्वारा संघ में अपनी नियुक्ति के दौरान अपने कर्तव्यों एवं दायित्व के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही बरतने के संबंध में श्री हरबीर सिंह के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की । इस संबंध में जांच अधिकारी को पुन: जांच हेतु पत्र लिखा गया । जांच अधिकारी ने अपने पत्र दिनांक 25-7-95 द्वारा अवगत कराया कि श्री महक सिंह, पुलिस उपाधीक्षक से दिनांक 19-7-95 को सम्पर्क करने पर, उनके द्वारा यह अवगत कराया गया कि जांच से संबंधित समस्त रिकार्ड न्यायालय में सुरक्षित है । विभागीय कार्यवाही संघ द्वारा पहले ही पूर्ण की जा चुकी है ।

इस प्रकार जांच अधिकारी की जांच आख्या को देखते हुये श्री हरबीर सिंह के विरुद्ध प्रारम्भ में की गयी अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त किये जाने के संबंध में प्रस्तावित किया गया कि श्री हरबीर सिंह को निलम्बन की तिथि से सवेतन बहाल करते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही इस प्रतिबंध के साथ समाप्त की जा सकती है कि उक्त आपराधिक मामले में स्पष्ट रूप से दोषी पाये जाने पर अलग से कार्यवाही की जायेगी । इस पर तत्कालीन प्रबंध निदेशक द्वारा संघ के अध्यक्ष के अनुमोदन से दिनांक 3-8-95 को यह निर्णय लिया गया कि विभागीय जांच अधिकारी बिना किसी प्रतिबंध के समाप्त की जाय। इस प्रकरण में प्रबंध निदेशक को निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार था । अग्रेतर उनके द्वारा यह भी आदेशित किया गया कि सी0बी0सी0आई0डी0 की रिपोर्ट के आधार पर मा0 न्यायालय के भविष्य में होने वाले निर्णय का सम्मान एवं पालन किया जायेगा, लेकिन मात्र भविष्य की सम्भावनाओं के आधार पर किसी के भविष्य को अधर में लटका कर रखना मानवता के विपरीत होगा । इस निर्णय के क्रम श्री सिंह के विरुद्ध आरम्भ की गयी अनुशासनात्मक कार्यवाही अधिकृत स्तर से बिना किसी दण्ड के निलम्बन अवधि को सेवाकाल मानते हुये समाप्त कर दी गयी ।

उल्लेखनीय है कि निबंधक, सहकारी समितियां, उ0प्र0 लखनऊ एवं पुलिस अधीक्षक, एस0आई0बी0 (सी0बी0) की आख्या के परिप्रेक्ष्य में श्री हरबीर सिंह तत्कालीन शाखा प्रबंधक एवं अन्य संदर्भित आदि के संबंध में जांच हेतु श्री जी0डी0 अवस्थी तत्कालीन सामान्य प्रबंधक (प्रशा0) संघ मुख्यालय का जांच अधिकारी नामित किया गया । श्री हरबीर सिंह के विरुद्ध चार आरोप लगाते हुये अनुपूरक आरोप-पत्र श्री सिंह को उपलब्ध कराया गया । जांच आख्या में जांच अधिकारी द्वारा चार आरोपों में से श्री सिंह पर आरोप सं0 01 एवं 04 आंशिक रूप से सिद्ध पाये गये तथा आरोप सं0 02 एवं 03 सिद्ध नहीं पाये गये । परिणाम स्वरूप श्री हरबीर सिंह की चरित्र पंजिका में विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि अंकित करते हुये इस प्रतिबंध के साथ संचालित अनुशासनात्मक कार्यवाही दिनांक 09-12-2004 को इस प्रतिबंध के साथ समाप्त कर दी गयी कि मा0 न्यायालय में दोषी पाये जाने अथवा श्री सिंह के विरुद्ध निबंधक/उपनिबंधक के द्वारा धारा 65, धारा 68 व अन्य किसी जांच में दोषी पाये जाने पर तद्नुसार अग्रेतर कार्यवाही सम्पादित की जायेगी ।]

वक्तव्य के समय संबंधित मंत्रियों को सदन में उपस्थित रहने के निर्देश

श्री अध्यक्ष-

इस बात का ध्यान रखा जाए कि जिन संबंधित मंत्री का वक्तव्य हो, वह उपस्थित रहें । आप देखें, सहकारिता मंत्री भी नहीं है ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

अध्यक्ष जी, सम्बंधित मंत्री जी मुझ से कहकर गए हैं ।

श्री अध्यक्ष-

आप से कह कर गए हैं लेकिन इसकी सूचना मुझे भी होनी चाहिए । माननीय मंत्री जी से कह दें कि वह अपने विभाग से संबंधित स्वयं उत्तर दें, यह अच्छी बात नहीं है । सहकारिता मंत्री जी आ गए हैं ।

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

[xxx xxx xxx]

जनपद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर एवं बागपत स्थित उद्योगों द्वारा प्रदूषित पानी छोड़ने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री हुकुम सिंह द्वारा नियम-51 के अंतर्गत दी गयी सूचना पर पर्यावरण मंत्री का केवल वक्तव्य

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया ।)

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

मान्यवर, कृष्णा नदी, काली नदी (पश्चिम) की प्रमुख सहायक नदी है ।

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

पढ़ा हुआ मान लें ।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा मान लेते हैं ।

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खाँ)-

[जिसका उदगम स्थल जनपद सहारनुपर में है जोकि जनपद के ग्राम कचराई, भनेड़ा, खेमचन्द होती हुई जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम कैडी, बनत भभीसा आदि गांव से गुजरती हुई जनपद बागपत के ग्राम बरनाला के समीप अन्तत: हिन्डन नदी में मिलती है । इस नदी में जनपद सहारनुपर, मुजफ्फरनगर, बागपत के उद्योगों के उत्प्रवाह के अतिरिक्त शहरी जल मल का निस्तारण होता है । नदी में वर्षा ऋतु को छोड़कर अन्य समय में स्वयं का उत्प्रवाह बहुत कम होने का कारण नदी की स्वयं जल शोधन की क्षमता नगण्य है ।

[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर जनपद के प्रमुख प्रदूषणकारी उद्योग यू0पी0 कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री फेडरेशन लि0, आसवनी इकाई, ननौता, सहारनपुर, शामली डिस्टलरी एण्ड कैमिकल वर्क्स शामली, मुजफ्फरनगर,निकिता पेपर मिल्स लि0, शामली, मुजफ्फरनगर, सिक्का पेपर मिल्स लि0, शामली, मारुति पेपर मिल्स लि0, सिक्का शामली, किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, ननोता सहारनपुर, अपर दोआब शुगर मिल्स, शामली मुजफ्फरनगर, बजाज हिन्दुस्तान लि0, थाना भवन मुजफ्फरनगर, रमाला सहकारी चीनी मिल्स लि0, बागपत, एस0एम0सी0 फूड्स लि0, ननौता सहारनपुर का उत्प्रवाह कृष्णा नदी में जाता है । इनमें 2 आसवनी इकाई, 3 एग्रो वेस्ट आधारित पेपर इकाई, 4 चीनी इकाई एवं एक डेरी उद्योग है ।

इन सभी उद्योगों में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है । दो आसवनी इकाई में से शामली डिस्टलरी में स्पेन्ट वाश हेतु शून्य उत्प्रवाह निस्तारण आधारित वायो कम्पोस्ट प्लान्ट की स्थापना कर ली गई है तथा केवल अल्प प्रदूषणकारी फ्लोर वाश से जनित उत्प्रवाह, बोर्ड मानक के अनुरूप शुद्धिकरण के पश्चात निस्तारित किया जाता है । दूसरी आसवनी इकाई यू0पी0 कोपरेटिव शुगर फैक्ट्री फेडरेशन लि0, ननौता में भी बायो कम्पोस्टिंग प्लाण्ट लगाया गया है । यह इकाई नियमित रूप से संचालित नहीं है । तीनों एग्रो वेस्ट आधारित पेपर इकाइयों में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है, परन्तु निस्तारित उत्प्रवाह में शुद्धिकरण के बाद भी रंग की समस्या रहती है । इसके निराकरण हेतु इन उद्योगों को भारत सरकार द्वारा बनाये गये चार्टर के अनुसार ब्लैक लिकर के उपचार हेतु कैमिकल रिकवरी प्लाण्ट/लिग्निन रिकवरी प्लाण्ट लगाये जाने हेतु दिशा निर्देश प्राप्त हैं एवं तदनुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है । चारों चीनी इकाइयों में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है तथा शुद्धिकृत उत्प्रवाह को यथासंभव सिंचाई हेतु प्रयोग में लाने के निर्देश दिये गये हैं । शेष डेरी उद्योग में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है उत्प्रवाह बोर्ड मानक के अनुरूप निस्तारित किया जाता है ।

कृष्णा नदी के किनारे स्थित शहरों का घरेलू जल मल बिना शुद्धिकरण के कृष्णा नदी में निस्तारित होने के कारण भी नदी की जल गुणता प्रभावित होती है ।]

जनपद कुशीनगर स्थित खड्डा नगर पंचायत सुभाष चौक से भैंसहा जाने वाला बाढ़ नियंत्रित बांध को गढ्ढा मुक्त कराये जाने के संबंध में श्री पूर्णमासी देहाती, द्वारा नियम-51 के अंतर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य

सिंचाई मंत्री (श्री मुन्ना सिंह चौहान)-

[मा0 सदस्य द्वारा अवगत कराया गया है कि विधान सभा क्षेत्र नौरंगिया,जनपद-कुशीनगर के अंतर्गत खड्डा नगर पंचायत सुभाष चौक से भैंसहा जाने वाला मार्ग जो बाढ़ नियंत्रण बांध के रख-रखाव के लिए निर्मित कराया गया था, जर्जर स्थित में पहुंच गया है । दर्जनों गांव और बिहार, नेपाल का भी मुख्य मार्ग गढ्ढे में लिप्त हो गया है जिसका जनहित में मरम्मत तथा पुनर्निर्माण कराये जाने की सूचना देते हुए वक्तव्य की मांग की गई है ।

इस संबंध में अवगत कराना है कि विधान सभा क्षेत्र नौरंगिया, जनपद-कुशीनगर के अंतर्गत खड्डा नगर पंचायत में सुभाष चौक से भैंसहा जाने के लिए सिंचाई विभाग द्वारा सड़क का निर्माण वर्ष 1970 के पूर्व कराया गया था जिसकी लम्बाई 6.952 कि0मी0 है । धनाभाव के कारण विगत 15 वर्षो से इस मार्ग की मरम्मत नहीं कराई जा सकी । वर्तमान में यह मार्ग बाढ़ एवं हल्के तथा भारी वाहनों के आवागमन

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

के कारण पूर्णरूपेण क्षतिग्रस्त हो गया है । मार्ग की मरम्मत हेतु लगभग रू 7.00 लाख प्रति कि0मी0 की दर से रू0 48.66 लाख की धनराशि की आवश्यकता होगी । इसके संबंध में विस्तृत परियोजना प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है । परियोजना की स्वीकृति तथा धनावंटन प्राप्त होने के उपरांत प्रश्नगत सड़क की मरम्मत का कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा ।]

जनपद लखीमपुर खीरी में उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, शाखा बेहजम के प्रबंधक द्वारा बड़े पैमाने पर फर्जी ऋण वितरण करके घोटाला करने के संबंध में श्री राजेश कुमार द्वारा, नियम-51 के अंतर्गत दी गगी सूचना पर सहकारिता मंत्री का केवल वक्तव्य

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री शारदा नन्द अंचल)-

[श्री राजेश कुमार, मा0 विधायक पैला खीरी द्वारा उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, शाखा बेहजम के प्रबंधक द्वारा बड़े पैमाने पर फर्जी ऋण वितरण के घोटाले के संबंध में अंकित तथ्यों की जांच, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा की गयी । कृषकों के बयान एवं बैंक के अभिलेखों के आधार पर निम्नलिखित कर्मचारी/अधिकारी दोषी पाये गये:-

1- श्री बी0एन0 सिंह, शाखा प्रबंधक बेहजम, जनपद लखीमपुर खीरी ।
2- श्री छोटेलाल मिश्र (निलम्बित) तत्कालीन शाखा प्रबंधक ।
3- श्री देवेन्द्र प्रसाद गुप्ता, सहायक शाखा आंकिक ।
4- श्री श्रीराम कुरील, तत्कालीन शाखा आंकिक (सेवानिवृत्त)
5- श्री राजीव कटियार, शाखा आंकिक शाखा बेहजम ।
6- श्री विजय कुमार पाण्डेय, सहायक शाखा आंकिक ।
7- श्री छोटेलाल, फील्ड आफिसर ।
8- श्री सन्तराम, सहायक फील्ड आफिसर ।
9- श्री अवधेश कुमार सिंह, सहायक विकास अधिकारी (समाज कल्याण) ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित फर्म/डीलर भी दोषी पाये गये :-

1- मे0 अवध मशीनरी स्टोर्स जनपद-लखीमपुर खीरी ।
2- मे0 श्रीगणेश मशीनरी स्टोर्स जनपद-लखीमपुर खीरी ।
3- मे0 वर्मा एजेन्सी जनपद-लखीमपुर खीरी ।
4- मे0 गुप्ता ट्रेडर्स जनपद-लखीमपुर खीरी ।
5- मे0 न्यू वर्मा मशीनरी स्टोर्स जनपद-लखीमपुर खीरी ।

प्रकरण की जांच में कृषकों द्वारा अवगत कराया है कि उन्हें पूरी ऋण राशि प्राप्त नहीं हुई तथा जांच के समय कृषकों के पास ऋण से सृजित परिसम्पत्तियां भी नहीं पाई गयीं ।

प्रकरण में क्रमांक-1,3,5,6,7, एवं 8 पर अंकित कार्मिकों को निलम्बित कर अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है । पूर्व से अन्य प्रकरण के कारण क्रमांक-2 पर उल्लिखित निलम्बित शाखा प्रबंधक श्री छोटेलाल मिश्रा के विरुद्ध चल रही अनुशासनिक कार्यवाही में इस प्रकरण को भी सम्मिलित कर दिया गया है । क्रमांक-4 पर अंकित सेवानिवृत्त शाखा आंकिक श्री श्रीराम कुरील को वित्तीय क्षति की पूर्ति हेतु कारण बताओं नोटिस निर्गत कर दी गयी है । श्री बी0 एन0 सिंह, शाखा

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

प्रबन्धक बेहजम को उनके निधासन बैंक शाखा के कार्यकाल से सम्बन्धित मामलों में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गयी थी जिसमें डीलर, ग्राम विकास अधिकारी, अवर अभियंता, लघु सिंचाई अभियुक्त थे। इसकी जांच कोआपरेटिव सेल द्वारा की जा रही है। याचिका सं0-589 (एम0बी0) 2003 में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 31-1-2003 द्वारा श्री बी0एन0 सिंह, शाखा प्रबन्धक की गिरफ्तारी पर रोक लगाई गयी है तथा जांच कार्यवाही यथावत् चलते रहने के आदेश हैं।

प्रबन्धक निदेशक, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 द्वारा अद्यतन स्थिति निम्नवत् अवगत कराई गयी है :-

1- प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना-नीमगांव, जनपद लखीमपुर खीरी में दिनांक 1-2-2006 को दर्ज कराई गयी है।

2- उक्त प्रकरण में दोषी 5 फर्मों को दिनांक 13-1-06 को कारण बताओ नोटिस प्रेषित की जा चुकी है। एक फर्म मे0 वर्मा एजेन्सी, लखीमपुर खीरी को कारण बताओ नोटिस फर्म मालिक के उपलब्ध न होने के कारण प्राप्त नहीं कराई जा सकी।

3- प्रकरण में अन्य विभाग के दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी एवं निदेशक, समाज कल्याण को पत्रांक-130083 दिनांक 12-1-06 द्वारा सन्दर्भित किया जा चुका है।]

जनपद रायबरेली स्थित नलकूप संख्या 65, 70, 88 के विगत कई वर्षों से खराब होने के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य

सिंचाई मंत्री (श्री मुन्ना सिंह चौहान)-

[मा0 सदस्य द्वारा अवगत कराया गया है कि विधान सभा क्षेत्र 96, डलमऊ के अन्तर्गत संचालित सिंचाई नलकूप संख्या-65डी0जी0, ग्राम सभा-तेलियानी, विकास खण्ड-डलमऊ, नलकूप संख्या-70डी0जी0, ग्राम सभा-धीरनपुर, विकास खण्ड-दीनशाह गौरा एवं नलकूप संख्या-88डी0जी0, ग्राम सभा-सेलरहा (बॉसी परान) विकास खण्ड-डलमऊ विगत कई वर्षों से खराब पड़े हैं जिससे किसानों की फसलें सिंचाई के अभाव में सूख जाती हैं तथा भूमि परती रह जाती है। जिससे क्षेत्रीय जनता एवं किसानों में अत्यन्त रोष एवं आक्रोश व्याप्त है। अत: इन नलकूपों को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य की मांग की गई है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नलकूप संख्या-65डी0जी0, ग्राम सभा-तेलीयानी, विकास खण्ड-डलमऊ चलित अवस्था में है। नलकूप संख्या-70डी0जी0, ग्राम सभा-धीरनपुर, विकास खण्ड-दीनशाह गौरा का पानी खारा होने के कारण वर्ष 1992 में 5009 घंटे चलने के पश्चात् असफल हो गया। अत: यह नलकूप परित्याग हेतु प्रस्तावित नलकूपों की श्रेणी में सम्मिलित है और भूगर्भ जल सिंचाई हेतु अयोग्य होने के कारण पुन: चालू नहीं किया जा सकता। नलकूप संख्या-88डी0जी0, ग्राम सभा-सेलरहा (बॉसी परान), विकास खण्ड-डलमऊ का वर्ष 2004-05 में पुन: निर्माण कराये जाने के बाद दि0 28-11-05 से सिंचाईरत कर दिया गया है।]

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड पटेहरा, विधान सभा क्षेत्र मझवां के अंतर्गत सिरसी बांध पर सिंचाई हेतु स्थापित पम्प को चालू कराने के संबंध में श्री रमेश चन्द्र बिन्द, द्वारा नियम-51 के अंतर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का केवल वक्तव्य

सिंचाई मंत्री (श्री मुन्ना सिंह चौहान)-

[श्री रमेश चन्द्र बिन्द, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रमुख सचिव, विधान सभा, उ0प्र0 को दिनांक 02-01-06 को नियम-51 के अंतर्गत यह सूचना दी गयी है कि विधान सभा क्षेत्र मझवां जनपद मिर्जापुर के वि0खं0 पटेहरा के अन्तर्गत सिरसी बांध पर सिंचाई हेतु पम्प बैठाया गया है परन्तु पम्प अभी तक चालू नहीं कराया गया है उक्त पम्प से सैकड़ों ग्राम के किसान लाभान्वित होते हैं, पम्प न चालू होने के कारण किसानों की फसल सूख जा रही है । जिससे किसानों में काफी रोष एवं असंतोष व्याप्त है ।

अत: इस लोक हित के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सिरसी बांध के पम्प को चालू कराने एवं सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूं ।

इस संबंध में विभाग से प्राप्त आख्या के आधार पर यह अवगत कराना है कि जनपद मिर्जापुंर के विकास खण्ड पटेहरा में एक 50 क्यूसेक क्षमता की सिरसी मढ़ियान पम्प नहर स्थापित है । उक्त नहर के लिए पक्का पम्प हाउस निर्मित है । पम्प हाउस में 25-25 क्यूसैक के 03 पम्प स्थापित है, जिनमें से एक पम्प स्टैंड बाई के रूप में है तथा ये सभी पम्प चालू दशा में हैं । पम्प नहर हेतु सिरसी बांध से जल उपलब्ध होता है । इस नहर से सिंचाई एवं जल प्रणाली के रख-रखाव का कार्य सिरसी बांध प्रखण्ड, मिर्जापुर द्वारा किया जाता है । उक्त पम्प नहर खरीफ फसल में सिंचाई हेतु ही स्थापित की गयी है एवं दिनांक 20-10-2005 तक सिंचाईरत रही है । वर्तमान में सिरसी बांध में जल स्तर कम हो जाने के कारण नहर के चलाने हेतु पानी उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण से यह पम्प नहर बन्द है । वर्षा ऋतु में सिरसी बांध में पानी एकत्र होने पर ही पम्प नहर चलायी जानी सम्भव होगी ।]

नयी चीनी उद्योग प्रोत्साहन नीति, 2004 में संशोधन करते हुए नयी चीनी मिल को विशेष प्रोत्साहन/ छूट दिये जाने विषयक श्री हुकुम सिंह द्वारा नियम-49 के अंतर्गत दी गयी सूचना पर निर्धारित चर्चा का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

टण्डन जी ने इसे स्थगित करने के लिए कहा है, हुकुम सिंह जी भी नहीं है ।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

अध्यक्ष जी, सदन उठने से पहले, जो मऊ में दंगा हुआ था और जिसकी शासन ने एक उपसमिति बनाकर जांच कराई थी ।

श्री अध्यक्ष-

उसको आप नियमों में लायें ।

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी-

रिपोर्ट सदन में आने से पहले वह अखवारों में छप गया, इससे सदन के विशेषाधिकार का हनन हुआ है, उसे सदन में आना चाहिए था ।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मद संख्या-46 पर चर्चा करा लें, कई दिन से स्थगित हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष-

जिस माननीय सदस्य ने चर्चा की मांग की है, वह नहीं है ।

श्री अम्बिका चौधरी-

यदि नहीं है तो स्थगित करने की क्या आवश्यकता है ?

श्री अध्यक्ष-

जो माननीय सदस्य चर्चा मांगते हैं, उन्हें रहना चाहिए, अगर नहीं रहते हैं तो वह अस्वीकार हो जाती है लेकिन टण्डन जी ने नेता विरोधी दल की हैसियत से इसे स्थगित किए जाने की मांग की है।

श्री भरत सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री बी0बी0 सिंह, उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की अवहेलना एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना श्री धर्मपाल सिंह, सदस्य विधान सभा द्वारा जिलाधिकारी बरेली के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष-

विशेषाधिकार हनन की अवहेलना एवं सदन की अवमानना के निम्नलिखित मामलों में निर्णय ले लिया गया है :-

1. श्री भरत सिंह, सदस्य विधान सभा द्वारा बी0बी0 सिंह, उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण के विरुद्ध अभिसूचित सूचना, दिनांक 30 नवम्बर, 2004 ।
2. श्री धर्मपाल सिंह, सदस्य विधान सभा द्वारा जिलाधिकारी, बरेली के विरुद्ध अभिसूचित सूचना, दिनांक 22 मार्च, 2005 ।

उपर्युक्त दोनों मामलों में विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचनायें अग्राह्य कर दी गयी है ।

उक्त सूचनाओं पर मेरे द्वारा दिये गये निर्णय सदन के आज दिनांक 2-2-06 के उपवेशन की कार्यवाही के अंग माने जायेंगे ।

दिये गये निर्णय मैं पढ़ रहा हूं ।

माननीय श्री भरत सिंह, सदस्य, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63/64 के अंतर्गत श्री बी0बी0 सिंह, उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण के विरुद्ध विशेषाधिकार-हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचना दिनांक 30 नवम्बर, 2004 को अभिसूचित की थी ।

माननीय सदस्य का कथन है कि उन्होंने दिनांक 30 नवम्बर, 2004 को लगभग अपराह्न 2.15 बजे श्री बी0बी0 सिंह, उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण से बात कराने हेतु टेलीफोन पर उनके वैयक्तिक सहायक श्री कृष्ण कुमार से अनुरोध किया तो उनके वैयक्तिक सहायक श्री कृष्ण कुमार ने कहा कि तुरन्त बात कराते हैं, उपाध्यक्ष से पूछने के बाद श्री कृष्ण कुमार ने कहा कि 5 मिनट के अन्दर वह स्वयं मिलाकर उनसे बात कराते हैं । लगभग 15 मिनट के बाद जब माननीय सदस्य ने बहुत अनुरोध किया तो बी0बी0 सिंह लाइन पर आये और कहने लगे कि जब उन्होंने अपने पी0ए0 के द्वारा उनको सूचित करा दिया कि आज बात नहीं हो सकती, तो बार-बार वे उनके कार्यो में बाधा क्यों डाल रहे हैं ?

माननीय सदस्य द्वारा सम्मान व्यक्त करते हुए श्री बी0बी0 सिंह को याद कराया गया कि वे लगभग 4 लाख लोगों का उत्तर प्रदेश विधान सभा में प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको उनसे बात करने से मना नहीं करना चाहिए तो उपाध्यक्ष द्वारा कहा गया कि जाओ तुम्हारे जैसे बहुत विधायक देखें हैं और विधान सभा में प्रश्न करके उनका जो विगाड़ना हो विगाड़ लेना । इसके फलस्वरूप माननीय सदस्य ने प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63 के अंतर्गत श्री बी0बी0 सिंह, उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना देते हुए उनके विरुद्ध कार्यवाही करने की मांग की है ।

इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से वस्तुस्थिति की जानकारी मांगी गयी थी, जो माननीय राजस्व मंत्री ने अपने पत्र, दिनांक 30 जून, 2005 द्वारा भेजी है 1

माननीय राजस्व मंत्री ने अपनी आख्या के माध्यम से अवगत कराया है कि प्रश्नगत मामले में उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण का स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया जिसमें उन्होंने अवगत कराया है कि दिनांक 30 नवम्बर, 2004 को अपराह्न में श्री भरत सिह, सदस्य विधान सभा द्वारा उनके कार्यालय मे वार्ता हेतु टेलीफोन किया गया, परन्तु उपाध्यक्ष द्वारा अपने मोबाइल पर अन्यत्र वार्ता करने के कारण माननीय सदस्य से तत्समय वार्ता नहीं हो सकी । माननीय सदस्य द्वारा नोट कराये गये 02 मोबाइल नम्बरों पर उपाध्यक्ष द्वारा वार्ता हेतु काफी प्रयास किया गया, परन्तु स्पष्ट सिग्नल न मिलने के कारण वार्ता नहीं हो सकी । उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि उक्त घटना के पश्चात उन्होंने माननीय सदस्य से मुलाकात की और वस्तुस्थिति से उन्हें अवगत कराते हुये खेद प्रकट किया जिससे माननीय सदस्य पूर्णतया संतुष्ट हो गये । अन्त में माननीय राजस्व मंत्री ने उक्त तथ्यों के आधार पर प्रकरण को समाप्त करने का अनुरोध किया है ।

माननीय सदस्य, श्री भरत सिंह ने अपनी प्रश्नगत सूचना में इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि ये किस मामले में उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, श्री बी0बी0 सिंह से टेलीफोन पर बात करना चाहते थे । अत: यह स्पष्ट नहीं है कि श्री भरत सिंह, सदस्य, विधान सभा उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण से सदस्य विधान सभा के रूप में अपने किस कर्तव्य के संबंध में बात करना चाहते थे। इसके अतिरिक्त माननीय राजस्व मंत्री से प्राप्त वस्तुस्थिति की जानकारी के अनुसार उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, श्री बी0बी0 सिंह ने माननीय सदस्य से मिलकर वस्तुस्थिति से उन्हें अवगत कराकर खेद भी व्यक्त कर दिया है, जिससे माननीय सदस्य संतुष्ट भी हो गये हैं ।

अत: वर्णित स्थिति में प्रश्नगत प्रकरण पर विचारोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस मामले में विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं हूं । अत: मैं इस प्रकरण को अग्राह्य करता हूं ।

श्री धर्मपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा ने उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन

नियमावली, 1958 के नियम 63/64 के अंतर्गत तत्कालीन जिलाधिकारी, बरेली के विरुद्ध विशेषाधिकार-हनन तथा सदन की अवमानना के प्रश्न की एक सूचना दिनांक 22 मार्च, 2005 को अभिसूचित की है।

श्री धर्मपाल सिंह ने अपनी उक्त सूचना में यह कहा है कि शासन के निर्देशानुसार जिला पंचायतों में समितियों का गठन किया गया जिसमें एक जिला शिक्षा समिति भी है । जिला शिक्षा समिति की बैठक में विद्यालयों की स्थापना एवं आवंटन विधान सभा क्षेत्रवार हुआ और यह निर्णय हुआ कि जिस जनप्रतिनिधि का जो विधान सभा क्षेत्र हो उसमें वही जनप्रतिनिधि उन विद्यालयों का शिलान्यास अथवा उद्घाटन करेंगे । इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिये गये थे । तदनुसार माननीय सदस्य द्वारा अपने विधान सभा क्षेत्र, 32-आंवला, जनपद बरेली की ग्राम पंचायत के मुख्यालय गौटिया डालचन्द्र क्षेत्र पंचायत मझगवां में ग्राम पंचायत के प्रस्तावानुसार विधि विधान से एक सार्वजनिक सभा में विद्यालय का शिलान्यास किया गया । मा0 सदस्य ने उक्त सूचना में यह भी कहा है कि शासन की मंशा रहती है कि जहां प्राथमिक विद्यालय बना हो वही जूनियर हाई स्कूल का निर्माण कराया जायगा परन्तु जिलाधिकारी, बरेली ने एक दूसरा आदेश कर इसी ग्राम पंचायत गौटिया डालचन्द्र के मजरे गिरधरपुर में जूनियर हाईस्कूल बनवाना शुरु कर दिया । दूसरे ग्राम में भवन निर्माण हेतु जब ग्राम प्रधान ने खाते से रुपया निकालने से मना कर दिया तो जिलाधिकारी, बरेली ने एकल खाता अध्यापक के नाम कर भवन निर्माण कराना शुरु कर दिया जो पंचायती राज व्यवस्था व नियमों के प्रतिकूल है । माननीय सदस्य का यह भी कथन है कि उनके द्वारा किये गये विद्यालय के शिलान्यास स्थल को जिलाधिकारी,बरेली द्वारा बदले जाने से उनके विशेषाधिकार की अवहेलना तथा सदन की अवमानना का प्रश्न बनता है और उन्होंने इस मामले में विशेषाधिकार समिति से आवश्यक जांच कराने का अनुरोध किया है ।

प्रश्नगत मामले के तथ्यों पर मेरे विचार करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि इस प्रकरण में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63/64 के अंतर्गत विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना का प्रश्न अंतर्ग्रस्त नहीं है । अत: मैं इसे अग्राह्य करता हूं ।

अब हम उठते हैं, 15 फरवरी, 2006 को फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 1 बजकर 45 मिनट पर बुधवार दिनांक 15 फरवरी, 2006 को दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ ।
दिनांक 2 फरवरी, 2006

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी क

(देखिये अता0 प्र0सं0-75 का उत्तर पीछे पृ0 सं0 39 पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2005 के तृतीय गुरुवार हेतु निर्धारित श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह,मा0 सदस्य, द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-75 से संबंधित आर0आई0डी0एफ0-2 से 7 के अंतर्गत निर्मित कार्यो की सूची-

आर0आई0डी0एफ0-2 कोई मार्ग निर्मित/स्वीकृत नहीं है ।

आर0आई0डी0एफ03 (1) सराय जमुआरी मार्ग, लम्बाई-2 कि0मी0

आर0आई0डी0एफ0-4

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लम्बाई कि0मी0	क्र0 सं0	कार्य का नाम	लम्बाई कि0मी0
1	नचरौला लिंक मार्ग	2.00	12	कंसा पट्टी मार्ग	2.00
2	नोही लिंक मार्ग	2.00	13	सरौली लिंक मार्ग	2.00
3	गधियांवा लिंक मार्ग	2.00	14	कंजा सराय गुलामी मार्ग	2.00
4	कन्हई मधुपुर मार्ग	2.00	15	नेवादा आसपुर देवसरा मार्ग	2.00
5	अतसण्ड लिंक मार्ग	2.00	16	साल्हीपुर कंजास मार्ग	2.00
6	सरसीखस लिंक मार्ग	1.80	17	बेला संपर्क मार्ग	2.00
7	माना पुर लिंक मार्ग	2.00	18	धनसार लिंक मार्ग	2.00
8	सपहा छात लिंक मार्ग	2.00	19	मेहदौरा लिंक मार्ग	2.00
9	अस्थरा लिंक मार्ग	2.00	20	फेन्हा लिंक मार्ग	2.00
10	पूरे दलपत शाह लिंक मार्ग	2.00	21	अमुवाही लिंक मार्ग	2.00
11	कंजास कटारी लिंक मार्ग	2.00			
आर0आई0डी0एफ0-5					
1	डांही लिंक मार्ग	1.82	6	पर्वतपुर सुलेमानपुर लिंक मार्ग	2.00
2	हरीपुर बरदैता संपर्क मार्ग	2.00	7	कोहरांवा लिंक मार्ग	2.30
3	पूरे वंशीधर मार्ग	1.50	8	धरौली लिंक मार्ग	2.00
4	बेहटा लिंक मार्ग	2.00	9	पूरा लिंक मार्ग	2.00
5	पूरब पट्टी लिंक मार्ग	2.00			
आर0आई0डी0एफ0-6					
1	इब्राहिमपुर लिंक मार्ग	1.70	9	विरौती लिंक मार्ग	2.00
2	बहुता सम्पर्क मार्ग	2.00	10	भिवनी मंगरौरा लिंक मार्ग	2.00
3	भाटीकला सिकरी कानूपुर मार्ग	2.00	11	लाखीपुर लिंक मार्ग	1.90
4	अतरौरा मीरपुरमार्ग	2.00	12	कौनी लिंक मार्ग	1.85
5	कुकुवार लिंक मार्ग	2.00	13	दरछूट लिंक मार्ग	2.00
6	रायपुर लिंक मार्ग	2.00	14	लाखीपुर कपसा से धनेपुर	2.00
7	देईडीह धौरहरा लिंक मार्ग	2.00	15	रामगढ़ा लिंक मार्ग	1.75
8	दाउदपुर लिंक मार्ग	2.00	16	मेंहदिया संपर्क मार्ग	1.90

उत्तर प्रदेश विधान सभा

17	महुली संपर्क मार्ग	2.00	22	गौरामाफी सम्पर्क मार्ग	2.00
18	भीखमपुर लिंक मार्ग	1.75	23	मंगरौरा लिंक मार्ग	2.00
19	पूरे देवजानी सम्पर्क मार्ग	2.00	24	मदुरा रानीगंज सम्पर्क मार्ग	1.87
20	लौली पुस्ताखास लिंक मार्ग	1.85	25	धनेपुर गोपापुर सम्पर्क मार्ग	1.90
21	रामपुर बबरिया सम्पर्क मार्ग	2.00			
आर0आई0डी0एफ0-7					
1	सरसीखस मार्ग का छूटा भाग	1.50	6	नचरौला मार्ग का छूटा भाग	0.78
2	नोही सम्पर्क मार्ग का छूटा भाग	0.25	7	सपहाछात मार्ग का छूटा भाग	0.70
3	दाउदपुरलबेदा मार्ग का छूटा भाग	1.00	8	मानापुर रामगंज का छूटा भाग	1.80
4	करैला भैसोनी मार्ग	1.00	9	रामापुर लिंक मार्ग का छूटा भाग	0.50
5	भदौना लिंक मार्ग	1.00	10	बेहटा लिंक मार्ग का छूटा भाग	1.60

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी ख

(देखिये अता0प्र0सं0-77 का उत्तर पीछे पृष्ठ 40 पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र, 2005 के तीसरे गुरुवार हेतु निर्धारित श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-77 के

जनपद प्रतापगढ़ उत्तर की संलग्नक सूची :- (रू0 लाख में)

क्र0सं0	परियोजना का नाम	शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि
1	2	3
1	मोलनापुर नाले पर पुल निर्माण।	13.41
2	चन्दौका पुंल के एप्रोच रोड का कार्य।	11.28
3	ईसरौली सम्पर्क मार्ग।	1.90
4	साल्हीपुर सम्पर्क मार्ग।	4.59
5	महदहा से रानीपुर सम्पर्क मार्ग।	15.98
6	परदहा सुमेर से पीली नदी नाले पर पुलिया निर्माण।	11.46
7	सम्पर्क मार्ग सैफाबाद नोही का निर्माण।	13.16
8	बहुता सम्पर्क मार्ग।	13.92
9	सम्पर्क मार्ग रखहा से सराय नाहर वाया मरूआन।	23.59
10	पूरेमासी के अनिरूध निर्माण कार्य।	11.07
11	बेलसडी नाले पर पुलिया निर्माण।	9.07
12	इलाहाबाद फैजाबाद मार्ग बरासराय।	4.60
13	विरौती सम्पर्क मार्ग।	5.96
14	ढिढुई से अनदेवरी सम्पर्क मार्ग।	15.98
15	उपाध्यायपुर से महदहा मार्ग।	12.17
16	प्रतापगढ़ पट्टी मार्ग पर रूर से अतरौरा सम्पर्क मार्ग	8.26
17	कामा पट्टी से लहैया नहर की पटरी।	11.84
18	उपाध्यायपुरसे महदहा मार्ग का अवशेष कार्य।	12.00
19	अतरौरा मीरपुर नाले पर पुल एवं मार्ग निर्माण।	21.94
20	रामपुर बेला कसा पट्टी वाया कलहूगंज मार्ग।	15.08
21	सरसतपुर रमईपुर नेवादा।	16.12
22	रूर से लालगंज मार्ग।	34.10
23	सुरवारपुर लिंक मार्ग।	7.54
24	उसका में परैया नाले पर पुलिया निर्माण।	7.00

जनपद : प्रतापगढ़

1	2	3
25	मनईपुर कोटिया रामगढ़ मार्ग।	30.16
26	कोडौर गौरी पट्टी मार्ग।	11.08
27	रेडीगारापुर धुई मार्ग।	12.89
28	प्यारेपुर गौसपुर मार्ग।	16.72
29	पट्टी बाई पास बीबीपुर दशरथपुर मार्ग।	14.41
30	रामकोला लालगंज सराय मधई दाउदपुर बघवा मार्ग।	7.63
31	रेडीगारापुर गोबिन्दपुर परसद मार्ग।	10.05
32	रेडीगारापुर गोबिन्दपुर मार्ग।	12.89
33	अरैला भट पट्टी महरूपुर मार्ग।	15.00
34	अतपुर सम्पर्क मार्ग।	15.98
35	गहबरा सम्पर्क मार्ग।	13.59
36	दुहीया सराय शंकर मार्ग निर्माण।	18.73
37	बमनपुर रघईपुर दमडी-सम्पर्क मार्ग।	11.31
38	तरदहा लोनियापुर बेलसण्डी असुढ़ी और गडौरी सम्पर्क मार्ग।	15.08
39	नोही ढिढुई सम्पर्क मार्ग।	18.85
40	चिन्तामणीपुर अन्देवरी मुजाही सम्पर्क मार्ग।	21.14
41	कंसा पट्टी महदहा बेला चादा पट्टी मार्ग।	33.93
42	रेडीगारापुर से उसरौली मार्ग।	26.39
43	अमरगढ़ बैजलपुर मार्ग खरहिया गोबिन्दपुर मार्ग।	10.05
44	मदाफरपुर धरौली बकुलाही मार्ग।	10.05
45	आनापुर बेलसण्डी असुढी पूरे सनाथ गडौरी चन्दापुर अपाही सम्पर्क मार्ग।	22.99
46	कटारी कंजास का शेष भाग एवं साल्हीपुर कुर्रा भौसिया ईसापुर मार्ग।	20.74
47	वारीकला परसण्डी धरौली सिकारी मार्ग।	18.85
48	डांडर अतरौरा भाटी कला मार्ग।	11.31
49	भिखमपुर तेलियानी लखनूडीह।	15.00
50	धूई नाले पर पुलिया एवं पहुंच मार्ग निर्माण।	9.12

एच0एन0पी0 कुशवाहा

अनु सचिव ।

पी0एस0यू0पी0-एल0 31 विधान सभा (51)-04-05-06-813 (कम्प्यूटर/आफसेट)।